02.किशोर न्याय अधिनियम (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015

2. परिभाषाऐं:– इस अधिनियम मे जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

1.'' परित्यक्त बालक'' का अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसे उसके जैविक अथवा दत्तक माता–पिता या संरक्षको द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है जिसे सम्यक जॉच के पश्चात समिति द्वारा परित्यक्त घोषित किया जा चुका है।

2.दत्तकग्रहण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा दत्तक बालक स्थायी रूप से अपने जैविक माता पिता से अलग कर दिया जाता है और वह अपने दत्तक माता पिता कव उन सभी अधिकारों , विशेषाधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के साथ धर्मज संतान बन जाता हैं जैसे किसी जैविक बालक से सम्बद्व होते हैं।

3.दत्तकग्रहण विनियम:– का अभिप्राय एसे विनियमों से है जिन्हे दत्तकग्रहण के सम्बंध में प्राधिकरण द्वारा विरचित और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हैं

4.प्रशासक :– का अभिप्राय राज्य के उप सचिव की पंक्ति से अनित्न किसी एसे जिला पदधारी से है जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रदान की गयी हैं।

5.अनुरक्षण:– का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय या अन्य प्रकार के आश्रय का प्रावधान सुनिश्चित करने से है जिन्होने अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हैं लेकिन उन्होने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नही की है और उन्होने समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए किसी संस्थागत देखरेख को छोड दिया है।

6.प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण:– का अभिप्राय किसी विदेशी सामाजिक अथवा बाल कल्याण अभिकरण से है जिसे केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनिवासी भारतीय या भारत के समुद्र पार भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तकग्रहण हेतु प्रायोजित करने के लिए उस देश के केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर प्राधिकृत किया गया है।

7.प्राधिकरण:– का अभिप्राय धारा 68 के अधीन गठित केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण से है:–

8.भीख मॉगना:– का अभिप्राय निम्न है।

1. लोकस्थान में भिक्षा की याचना करना या प्राप्त करना या किसी निजी परिसर में भिक्षा की याचना करना या प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना , चाहे वह किसी भी बहाने से हो।
2. भिक्षा अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीव जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति , विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना।

9.बालक का सर्वोत्तम हित :– का अभिप्राय बालक के सम्बंध में उसके मूलभूत अधिकारों तथा आवश्यकता, पहचान, सामाजिक भलाई और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्विक विकास की पूर्ति करने हेतु लिये गये किसी भी निर्णय के आधार से है।

10 **परिषद:–** का अभिप्राय धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय परिषद से है।

11 **केन्द्रीय प्राधिकरण:–** का अभिप्राय अन्तर देशीय दत्तकग्रहण में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय 1993 के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग से है।

12 **बालक:–** का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिसने अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नही की है।

13 **विधि का उल्लंघन करने वाला बालक:–** का अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसका अपराध को कारित करना अभिकथित है या पाया जाता है और जिसने अपराध के कारित किये जाने की तारीख पर अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नही की हैं ।

14 **देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक :–** का अभिप्राय ऐसे बालक से है:–

1. जिसे गृह विहीन अथवा किसी निश्चित स्थान पर निवास स्थान के और जीवन निर्वाह के सिकी सदृश्य साधन के बिना पाया जाता है अथवा
2. जिसे तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हुए पाया जाता है अथवा भिक्षा मांगते हुए या सडक पर आवारागर्दी करते हुए पाया जाता है अथवा
3. जो किसी व्यक्ति के साथ चाहे व हउस बालक का संरक्षक हो या नही निवास करता है और उस व्यक्ति ने

(क) उस बालक को आहत किया है या उसका शोषण किया है या दुरूपयोग किया है या प्रताडित किया है अथवा उसकी उपेक्षा की है बालक के संरक्षण हेतु बनायी गयी तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि का उल्लंघन किया है अथवा

(ख) उस बालक को मार डालने, आहत करने या उसका शोषण करने या दुरूपयोग करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्विति किये जाने की युक्तियुक्त संभावना है , अथवा

(ग) किसी अन्य बालक या बालक को मार डाला है, उनका दुरूपयोग किया है, उनकी उपेक्षा की है या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक के उस व्यक्ति द्वारा मार डाले जाने , दुरूपयोग किये जाने , शोषण किये जाने या उपेक्षा किये जाने की युक्तियुक्त संभावना है, अथवा

4. जो मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है या जो घातक या असाध्य रोग से ग्रसित है, जिसे आश्रण देने वाला या देखवाल करने वाला कोई नही है अथवा जिसके माता पिता या संरक्षक देखभाल करने में असमर्थ , अयोग्य हैं बशर्ते ऐसा परिषद या समिति द्वारा किया गया हो, अथवा

5 जिसके माता या पिता अथवा संरक्षक हैं और ऐसे माता या पिता अथवा संरक्षक का उस बालक पर नियंत्रण और उसकी सुरक्षा तथा भलाई को संरक्षण प्रदान करने के लिए समिति अथवा परिषद द्वारा अयोग्य या असमर्थ होना पाया गया हो अथवा

6. जिसके माता पिता नही है तथा ऐसा कोई व्यक्ति नही है जो उसकी देखरेख करने का इच्छुक हो अथवा जिसके माता पिता ने उसे परित्यक्त कर दिया है या उसका अभ्यर्पण कर दिया है अथवा

7. जो गुमशुदा या भगौडा बालक है अथवा जिसके माता पिता को ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाये, युक्तियुक्त जॉच करने के पश्चात नही पाया जा सकता है, अथवा

8. जिसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार अथवा अवैध कार्यो के प्रयोजनार्थ दुरूपयोग किया गया है जिसे यातनाऐ दी गई हैं जिसका शोषण किया गया है अथवा उसका ऐसा किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, अथवा

9. जिसका मादक द्रव्यों में या दुर्व्यापार के कार्यो में लगा दिया जाना पाया गया है और उसका इस प्रकार लगाया जाना सम्भाव्य है अथवा

10. जिसका अन्तःकरण विरूद्व अभिलाभ के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है अथवा किया जाना सम्भाव्य है अथवा

11. जो किसी सशस्त्र संघर्ष , सामाजिक अशान्ति अथवा प्राकतिक आपदा शिकार हुआ है अथवा उसके द्वारा प्रभावित है अथवा

12. जो विवाह की आयु को प्राप्त करने के पूर्व विवाह किये जाने के आसन्न जोखित में है और जिसके माता पिता परिवार के सदस्य , संरक्षक एवं अन्य किसी व्यक्ति का उस विवाह के अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी होना सम्भाव्य है ।

15 बालक के अनुकूलः— का अभिप्राय ऐसे किसी व्यवहार , आचरण, चलन,प्रक्रिया , दृष्टि कोण, वातावरण या उपचार से है जो मानवीय विचारशील तथा बालक के सर्वोत्तम हित में हो

16 बालक दत्तक ग्रहण हेतु विधितः स्वतंत्रः— का अभिप्राय धारा 38 के अधीन सम्यक जॉच करने के पश्चात समिति द्वारा उस रूप में घोषित किये गये बालक से है

17 बाल कल्याण अधिकारीः— का अभिप्राय समिति अथवा जैसा विषय हो परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए बालक गृह से सम्बद्व ऐसे उत्तरदायित्व वाले अधिकारी से है जिसे विहित किया जाये।

18 बाल कल्याण पुलिस अधिकारीः— का अभिप्राय धारा 107 की उप धारा (1) के अधीन उस रूप में पदनामित अधिकारी से है।

19 बालक गृहः— का अभिप्राय ऐसे बालक गृह से है जिसे या तो स्वंय या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठन के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित अथवा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और वह धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में पंजीकृत किया गया हो।

20 बालको का न्यायालयः— का अभिप्राय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (2006 का 4) के अधीन स्थापित न्यायालय अथवा यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन विशेष न्यायालय, जहॉ कहीं विद्यमान हो से है और जहॉ ऐसे न्यायालयों को पदनामित

PTS JODHPUR

नही किया गया है तो वहाँ अधिनियम के अधीन अपराधों के विषय में विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले सत्र न्यायालय से है।

21 बालक देखरेख संस्थाः— का अभिप्राय बालक गृह खुला आश्रम, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह सुरक्षा का स्थान विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण और उन बालकों जिन्हे ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है, की देखरेख और संरक्षण प्रदान करने लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा से है।

22 समितिः— का अभिप्राय धारा 27 के तहत अधीन गठित बाल कल्याण समिति से है।

23 न्यायालयः— का अभिप्राय ऐसे सिविल न्यायालय से है जिसे दत्तक गृहण और संरक्षकत्व के मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त है और इसमें जिला न्यायालय , कुटुम्ब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय सम्मिलित हो सकते हैं।

24 शारीरिक दण्डः— का अभिप्राय किसी भी व्यक्ति द्वारा बालक को ऐसे शारीरिक दण्ड देने से है जिसमें असहनीय पीडा का अनुभव हो और जो किसी अपराध के लिए अथवा बालक को अनुशासन में करने या उसमें सुधार लाने के प्रयोजनार्थ प्रतिकार के रूप में जानबूझकर कारित किया जाना सम्मिलित है।

25. बालक आपातकालीन सेवाऐंः— का अभिप्राय ऐसे संकट के समय बालकों के लिए चौबीस घण्टे आपातकालीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है जिनका सम्बंध आपातकालीन या लम्बी अवधि का देखरेख और पुर्नवास सुविधा से है।

26. जिला बालक संरक्षण इकाईः— का अभिप्राय धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी जिले के लिए बालक संरक्षण इकाई से है जो इस अधिनियम के और अन्य बालक संरक्षण उपायों के पालन को सुनिश्चित करने के केन्द्र बिन्दु है।

27. उपयुक्त सुविधाः— का अभिप्राय किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट बालक के उत्तरदायित्व को अस्थायी रूप से स्वंय पर लेने के लिए तैयार किये गये सरकारी संगठन या पंजीकृत स्वंयसेवी अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा चलायी जा रही सुविधा से है और ऐसी सुविधा को उक्त प्रयोजनार्थ उपयुक्त मानकर धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन समिति अथवा जैसा विषय हो परिषद द्वारा मान्यता दी जाती है।

28. उपयुक्त व्यक्तिः— का अभिप्राय किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ बालक के उत्तरदायित्व को लने के लिए तैयार किसी भी व्यक्ति से है और ऐसा व्यक्ति इस निमित्त की गयी जॉच के पश्चात पहचाना जाता है और उसे उस बालक को प्राप्त करने एवं उसकी देखरेख करने के लिए समिति अथवा जैसा परिस्थतिजन्य हो परिषद द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ उपयुक्त मानकर मान्यता दी जाती है।

29. पालन—पोषण सम्बंधी देख—रेख :— का अभिप्राय उस बालक के जैविकीय परिवार को छोडकर अन्य परिवार के घेरलू वातावरण में वैकल्पिक देखरेंख के प्रयोजनार्थ समिति द्वारा बालक के स्थान से है जिसका ऐसी देखरेख प्रदान करने के लिए चयन किया गया है। अर्हित है अनुमोदन किया गया है और पर्यवेक्षण किया गया है।

30. पालक परिवार::— का अभिप्राय धारा 44 के अधीन धात्रेय देख रेख में बालकों को रखने के लिए जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त पाये गये परिवार से है।

31. संरक्षक :— का अभिप्राय किसी बालक के सम्बंध में उसके नैसर्गिक संरक्षक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से है जो समिति या जैसा परिस्थतिजन्य हो परिषद की राय में उस बालक का वास्तविक प्रभार रखता है और विषय हो परिषद द्वारा मान्यता दी गयी हो।

32. सामूहिक पालक देखरेखः— का अभिप्राय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले ऐसे बालकों के लिए देखरेंख सुविधा जैसे परिवार से है जो पैतृक देखरेंख के बिना परिवार जैसे और समुदाय पर आधारित हल के माध्यम से निजी देखरेख प्रदान करने और अपनत्व के बोध और पहचान का विकसित करने पर लक्ष्य साध रहे हैं।

33. घृणित अपराध :— में ऐसे अपराध सम्मिलित है जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता(1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन न्यूनतम दण्ड सात वर्ष या उससे अधिक कारावास है।

34. अन्तर देशीय दत्तक ग्रहणः— का अभिप्राय किसी अनिवासी भारतीय द्वारा या भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा या विदेशी द्वारा बालक का दत्तक ग्रहण,

35. किशोरः— का अभिप्राय अठारह वर्ष से कम आयु के बालक से है।

PTS JODHPUR

36. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थः– के क्रमशः वही अर्थ होगें जो उन्हे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अधीन प्रदान किये गये है।

37. अनापत्ति प्रमाण –पत्रः– का अभिप्राय अन्तर देशीय दत्तक ग्रहण के लिए उक्त प्रयोजनार्थ केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र से है।

38. अनिवासी भारतीय :– का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय पारपत्र को धारित करता है और वर्तमान में एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में निवास कर रहा है।

39. अधिसूचना :– का अभिप्राय भारत के राज पत्र या जैसा विषय हो राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और अभिव्यक्ति अधिसूचित करना का तदनुसार अर्थन्वयन किया जावेगा।

40. सम्प्रेक्षण गृहः– का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा या तो स्वंय द्वारा या किसी स्वंयसेवी अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित और अनुरक्षित सम्प्रेक्षण गृह से है और उसे धारा 47 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में पंजीकृत किया गया है।

41. खुला आश्रयः– का अभिप्राय बालकों की ऐसी सुविधा से है जिसे राज्य सरकार द्वारा या तो स्वंय द्वारा या किसी स्वंयसेवी अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित और अनुरक्षित किया गया है एवं उस धारा के विनिर्दिष्ट प्रयाजनों के लिए उस रूप मे पंजीकृत किया गया है।

42. अनाथः– का अभिप्राय ऐसे बालक से है

1. जो बिना किसी जैविकीय या दत्तक माता पिता अथवा विधिक संरक्षक के है अथवा,
2. जिसका विधिक संरक्षक उस बालक की देखेरख करने का इच्छुक अथवा देखरेख की जिम्मेदारी लेने में सक्षम नही है।

43. भारत के विदेशी नागरिकः– का अभिप्राय नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) के अधीन उस रूप में पंजीकृत व्यक्ति से है।

44. भारतीय मूल का व्यक्तिः– का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके पारम्परिक पूर्वजों में से कोई भारतीय राष्ट्रिक हे अथवा था, और जिसके पा वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है।

45. लघु अपराधः–में ऐसे अपराध सम्मिलित है जिनके लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता(1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन अधिकतम दण्ड तीन वर्ष तक का कारावास है।

46. सुरक्षित स्थान :– का अभिप्राय ऐसे किसी स्थान या संस्था से है, (जो पुलिस हिरासत या कारागार नही है) जिसे पृथक रूप से स्थापित किया गया है या जो सम्प्रेक्षण गृह या जैसा विषय हो विशेष गृह से सम्बद्व है जिसका भार साधक व्यक्ति उन बालकों को प्राप्त करने और उनकी देखरेख करने का इच्छुक है जिनका जॉच और आदेश मे यथा विनिर्दिष्ट अवधि या उसके प्रयोजनार्थ दोषी होना पाये जाने के पश्चात चलने वाले पुर्नवास दोनों के दौरान और परिषद अथवा बालकों के न्यायालय के आदेश और विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है या पाया गया है।

47. विहितः– का अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाने से है।

48. परिवीक्षा अधिकारीः– का अभिप्राय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 (1958 का 20) के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी से अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधिक और परिवीक्षा अधिकारी से है।

49. भावी दत्तक माता–पिताः– का अभिप्राय धारा 57 के प्रावधानों के अनुसार किसी बालक को दत्तक ग्रहण में लेने के लिए सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों से है।

50. सार्वजनिक स्थानः– का वही अर्थ होगा जो उसे अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का 104) में प्रदान किया गया है।

51. पंजीकृतः– राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रबंधित बालक देखरेख संस्थाओं या अभिकरणों या सुविधाओं के सन्दर्भ में सम्प्रेक्षण गृहों , विशेष गृहों सुरक्षित स्थान, बालक गृहों खुले आश्रयों या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण या उपयुक्त सुविधा या किसी ऐसे अन्य संस्थान से है जो अल्पकाल के लिए या लम्बी अवधि के आधार पर बालकों को आवासिक देखरेख प्रदान करने के लिए धारा 51 के अधीन प्राधिकृत और पंजीकृत अभिकरणों या सुविधाओं की विशिष्ट आवश्यकता के उत्तर में सामने आये हैं।

52. रिश्तेदारः– का अभिप्राय, इस अधिनियम के अधीन दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ किसी बालक के सम्बंध में चाचा या चाची अथवा मामा या मामी अथवा दादा या दादी या नाना नानी से है।

PTS JODHPUR

53. राज्य अभिकरणः— का अभिप्राय धारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण और सम्बंधित अन्य मामलों से संव्यवहार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से है।

54. गम्भीर अपराधः— में ऐसे अपराध सम्मिलित है जिनके लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन दण्ड तीन से सात वर्ष के मध्य है।

55. विशेष किशोर पुलिस इकाईः— का अभिप्राय किसी जिले या नगर या जैसा विषय हो रेलवे पुलिस जैसी अन्य किसी पुलिस इकाई की ऐसी पुलिस फोर्स की इकाई से है जो बालकों से संव्यवहार करती है तथा जिसे धारा 107 के अधीन बालकों से संव्यवहार करने लिए उस रूप मे ंपदनामित किया गया है।

56. विशेष गृहः— का अभिप्राय विधि का उल्लंघन करने वाले उन बालकों , जिनका जॉच के माध्यम से किसी अपराध को कारित करना पाया जाता है और जिन्हे परिषद के आदेश से ऐसी संस्था के पास भेजा जाता है जो उनकों आवास तथा पुर्नवास सम्बंधी सेवाओं को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अथवा धारा 48 के अधीन मान्यता प्राप्त स्वंयसेवी या गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित संस्था से है।

57. विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणः— का अभिप्राय अनाथों (यतीमों) परित्यक्तों तथा अभ्यर्पित बालकों को शरण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा या स्वंयसेवी अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित एवं धारा 65 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्था से है और समिति के आदेश से दत्तकग्रहण हेतु प्रस्तुत की गई है।

58. प्रायोजनः— का अभिप्राय बालक की चिकित्सीय, शैक्षिक और विकास सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार को वित्तीय या अन्य प्रकार के सम्पूरक समर्थन के प्रावधान से है।

59. राज्य सरकारः— से अभिप्राय किसी केन्द्र शासित प्रदेश के सम्बंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक से है।

60. अभ्यपित बालकः का अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसे माता पिता या पिता अथवा संरक्षक द्वारा अपने नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक और अन्य सामाजिक घटकों के कारण समिति के समक्ष त्याग दिया गया है और समिति द्वारा उसे एस प्रारूप में घोषित किया गया है।

61. इस अधिनियम मे ंप्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों , लेकिन जिन्हे इसमें परिभाषित नही किया गया है तथा जिन्हे अन्य अधिनियमों में परिभाषित किया गया है को वही अर्थ प्राप्त होंग जो उन्हे क्रमश : उन अधिनियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय— 2
बालको की देखरेख और संरक्षण के लिए सामान्य सिद्वान्त

3. अधिनियम के प्रशासन में पलान किये जाने वाले सामान्य सिद्वान्तः— केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, परिषद और अन्य अभिकरणों का जैसे विषय हो इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्वान्तों द्वारा मार्गदर्शन होगा अर्थात—

(1) निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्वान्तः— किसी भी बालक का अट्ठारह वर्ष की आयु तक किसी भी कदाशय या आपराधिक आशय सम्बंध निर्दोष होना उपधारित किया जायेगा।

(2) मर्यादा तथा अर्हा का सिद्वान्तः— सभी मनुष्यों के साथ समान मर्यादा और अधिकारों के साथ व्यवहार किया जावेगा।

(3)भागीदारी का सिद्वान्तः— प्रत्येक बालक को सभी प्रक्रियाओं और उसके हित को प्रभावित करने वाले विनिश्चयों में सुने जाने तथा भाग लेने का अधिकार होगा और उस बालक के विचारों को उस बालक की आयु तथा परिपक्वता पर सम्यक ध्यान देतु हुए विचारण में सम्मिलित किया जायेगा।

(4) सर्वोत्तम हित का सिद्वान्तः— उस बालक के सम्बंधित सभी निर्णय इस प्रमुख विचारण पर आधारित होगे कि वे बालक के सर्वोत्तम हित में है तथा बालक को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए सहायता प्रदान करें।

(5) पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्वान्तः— बालक की देखरेख , पालन पोषण और संरक्षण का प्रमुख उत्तरदायित्व जैविक परिवार या दत्तक अथवा जैसा विषय हो, धांय माता—पिता को होगा।

(6) सुरक्षा का सिद्वान्त :— यह सुनिश्चित करने के लिये सभी उपायों को किया जायेगा कि बालक सुरक्षित हो और उसे जब वह देखरेख और संरक्षण पद्वति में हो एंव उसके पश्चात कोई भी अपहानि, दुरूपयोग या दुर्व्यवहार कारित न किया जावे ।

PTS JODHPUR

(7) सकारात्मक उपाय :– बालकों की भैंध्यता और इस अधिनियम के अधीन हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करने के लिये, भलाई को प्रोत्साहन देने, पहचान के विकास को सरल बनाने तथा सम्मिलित और समर्थकारी वातावरण प्रदान करने के लिये परिवार और समुदाय के संसाधनों को संचारित किया जाना चाहिये ।

(8) गैर कलंककारी अर्थविज्ञान का सिद्वान्त :– किसी बालक से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रतिकूल अथवा अभियोग लगाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

(9) अधिकारों के अत्यजन का सिद्वान्त :– बालक के किसी भी अधिकारी का कोई भी त्यजंन अनुज्ञेय या वैध नहीं है चाहे उसकी मांग उस बालक द्वारा की गई हो या उस बाल की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा परिषद अथवा समिति द्वारा की गई हो और मौलिक अधिकारों का कोई भी प्रयोग न किया जाना त्यंजन की कोटि में नहीं आयेगा ।

(10) समानता और भेदभाव न किये जाने का सिद्वान्त :– किसी बालक के विरूद्ध लिंग, जाति, जन्म स्थान, विजाति, निर्योग्यता आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और प्रवेश, अवसर तथा उपचार की समानता प्रत्येग बालक को प्रदान की जायेगी ।

(11) एकान्तता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्वान्त :– प्रत्येक बालक को अपनी एकान्तता और गोपनीयता को सभी बालकों से और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(12) अंतिम अवलम्बन के उपाय के रूप में संस्थाकरण का सिद्वान्त :– किसी बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंब के कदम के रू͂ में संस्थागत देखरेख में रखा जायेगा ।

(13) स्वदेशावर्तन और पुनःस्थापन का सिद्वान्त :– किशोर न्याय पद्वति में प्रत्येक बालक को यथशीघ्र अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन कराये जाने और उसकी सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रास्थिति को पुनः स्थापित कराये जाने का अधिकार प्राप्त होगा, जिसमें वह इस अधिनियम की व्याप्ति के अंतर्गत आने से पूर्व था, जब तक कि ऐसा पुनःस्थापन और स्वदेशावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो

(14) नये सिरे से प्रारंभ का सिद्वान्त :– किशोर न्याय पद्वति के अधीन किसी भी किशोर के सभी पूर्व अभिलेखों को, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर समाप्त कर दिये जाने चाहियें ।

(15) नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त :– निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, पक्षपात के विरूद्ध नियम और पुनर्विलोकन के अधिकार समेत, निष्पक्षता के मूलभूत प्रतिकियात्मक मानकों का सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्यायिक क्षमता में कार्य करते हुए पालन किया जायेगा ।

अध्याय 03
किशोर न्याय परिषद

4. किशोर न्याय परिषद :–

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये, इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कार्यो का निर्वहन करने के लिये एक या अधिक किशोर न्याय परिषदों का गठन करेगा ।

(2) किसी परिषद में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाला महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न हो और ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जावे, चुने गये दो सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, जिनमें से पीठ का गठन करते हुए कम से कम एक महिला होगा और ऐसी प्रत्येक पीठ को, महानगरीय मजिस्ट्रेट या जैसा विषय हो , प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(3) किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि वह व्यक्ति कम से कम सात वर्षो से बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा कल्याणकारी कियाकलापों में सकिय रूप से लगा हुआ है अथवा बालक मनोविज्ञान, मनःचिकित्सा, समाजशास्त्र अथवा विधि में उपाधि के साथ व्यवसायरत व्यवसायी रहा है ।

(4) कोई भी व्यक्ति परिषद के सदस्य के रूप में चयन का पात्र नहीं होगा, यदि वह –

1– मानवाधिकारों के अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन का कोई पूर्व अभिलेख रखता है।

2– नैतिक अधमता से संबंधित किसी भी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया है और वह दोषसिद्ध उलट नहीं दी गई हो या उसको उस अपराध के सम्बन्ध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है ।
3– केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया गया है या निलंबित कर दिया गया है ।
4– कभी बालक के दुरूपयोग या बालश्रम के नियोजन या मानवाधिकार के किसी अन्य उल्लंघन या अनैतिक कृत्य में लिप्त हुआ है ।
5– राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों के लिये देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, विधिक प्रावधान और न्याय पर परिषद के प्रधान मजिस्ट्रेट समेत सभी सदस्यों का प्रवेश, प्रशिक्षण तथ सुग्राहीकरण को नियुक्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रदान किया जावे ।
6– परिषद के सदस्यों के पद का कार्यकाल और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य त्याग पत्र दे सकता है, ऐसी होगी जैसा विहित किया जावे ।
7– प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, परिषद के किसी भी सदस्य की नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात निरस्त किया जा सकेगा, यदि वह –

1– इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी रहा है, अथवा
2– लगातार तीन माह तक, बिना किसी वैध कारण के परिषद की कार्यवाहियों में उपस्थित होने में विफल हुआ है, अथवा
3– एक वर्ष में होने वाली बैठकों में से तीन चौथाई से कम उपस्थित होनें में विफल हुआ है, अथवा
4– सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उपधारा (4) के अधीन असक्षम हो गया है।

(5) किसी ऐसे व्यक्ति का स्थानन जिसका जांच प्रक्रिया के दौरान बालक होना बन्द हो गया है :–
जहां इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी बालक के सम्बन्ध में जांच प्रारंभ की गई है और उस जांच की अनुपालना के दौरान, उस बालक ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तो इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, परिषद द्वारा जांच को जारी रख सकेगा और ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में आदेशों को उसी प्रकार से पारित किया जा सकेगा मानो वह व्यक्ति बालक के समान ही बना हुआ है ।
(6) उस व्यक्ति का स्थानन, जिसने उस समय अपराध कारित किया था जब व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का था–
1– कोई व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण की है और उसे ऐसा अपराध कारित करने के लिये पकड़ लिया जाता है जो उसने तब कारित किया था जब वह अठारह वर्ष से कम आयु का था, तो उस व्यक्ति को, इस धारा के प्रावधानों के अध्ययधीन जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक ही था माना जाऐगा ।
2– उप धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यदि उसे परिषद द्वारा जमानत पर मुक्त नहीं किया गया है, जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा ।
3– उप धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति से इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संव्यवहार किया जायेगा ।
(7) परिषद से संबंधित प्रक्रिया :–
1–परिषद ऐसे समयों पर बैठकों को करेगा और अपनी बैठकों में कामकाज के संव्यवहार से संबंधित ऐसे नियमों का पालन करेगा जिन्हें विहित किया जाये और वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बालक के अनुकूल (बाल सुलभ) हों और यह कि कार्यस्थल बालक को भयभीत करने वाला न हो और वह नियमित न्यायालयों जैसा न प्रतीत हो ।
2– विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिषद के निजी सदस्य कि समक्ष उस समय पेश किया जा सकेगा, जब परिषद पीठासीन न हो ।
3– परिषद, परिषद के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के होते हुए, कार्य कर सकेगा और परिषद द्वारा पारित कोई भी आदेश, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम के दौरान किसी भी सदस्य की मात्र अनुपस्थिति के कारण अवैध नहीं होगा :
'' परन्तु यह कि वाद के अंतिम निस्तारण के समय अथवा धारा 18 की उप धारा (3) के अधीन आदेश को करने में उपस्थित प्रधान मजिस्ट्रेट समेत कम से कम दो सदस्य आवश्यक होंगे ।

PTS JODHPUR

4– अंतरिम या अंतरिम निस्तारण में परिषद के सदस्यों के मध्य राय के किसी मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय सर्वसम्मत होगी लेकिन जहां ऐसा कोई बहुमत न हो तो प्रधान मजिस्ट्रेट की राय सर्वमान्य होगी ।

(8) परिषद की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व :–

1– तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए लेकिन इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी जिले में गठित परिषद को, उस परिषद के क्षैत्राधिकार के क्षैत्र में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों से अपवर्जी रूप से संव्यवहार करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

2– इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन परिषद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और बालकों के न्यायालय द्वारा उस समय भी किया जा सकेगा, जब कार्यवाहियां धारा 19 के अधीन या अपील, पुनरीक्षण में या अन्य प्रकार से उनके समक्ष आयीं हो ।

3– परिषद के कार्यो और उत्तरदायित्वों में निम्न सम्मिलित होगा –

(क) प्रकिया में प्रत्येक सोपान में बालक या माता या पिता या संरक्षक की अधिसूचित भागीदारी सुनिश्चित करना,

(ख) यह सुनिशचित करना कि बालक के अधिकारों को, बालक को पकड़ने, जांच, अनुरक्षण और पुनर्वास की सम्पूर्ण प्रकिया में संरक्षित किया जायेगा

(ग) विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिये विधिक सेवा की उपलब्धता सुनिश्चत करना

(घ) जहां कहीं आवश्यक हो, परिषद बालक को उस दशा में ऐसी अर्हताओं, अनुभव को ध्यान में रखते हुए, तथा ऐसे शुल्क को संदाय करने पर जिसे विहित किया जाये, निर्वचनकर्ता अथवा अनुवादक प्रदान करेगा यदि वह कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा का समझ पाने में विफल हो जाता है,

(ङ) परिवीक्षा अधिकारी, अथवा यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण करने तथा परिषद के समक्ष प्रथम बार पेश किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश करना जिससे कि उन परिस्थितियों अभिनिश्चित किया जा सके जिसमें अभिकथित अपराध कारित किया गया था,

(च) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के वादों का धारा 14 में विनिर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्यायनिर्णयन करना और उनका निस्तारण करना,

(छ) उस बालक से संबंधित मामलों को, जिनका विधि का उल्लंघन कारीत करना अभिकथित है, किसी भी प्रक्रम पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में होना बताया गया है, समिति को अंतरित करना तदद्वारा इस बात को मान्यता देना कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक उसी समय देखरेख की आवश्यकता रखने वाला बालक भी हो सकता है और समिति तथा परिषद दोनों के अन्तर्वलित होने की आवश्यकता है,

(ज) मामले का निस्तारण करना और ऐसा अंतिम आदेश पारित करना जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण ईकाई या जैसी आवश्यकता हो, किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा अनुवर्तन समेत बालक के पुनर्वास के लिये निजी देखरेख योजना सम्मिलित हों,

(झ) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख से संबंधित उपयुक्त व्यक्तियों को घोषित करने के लिये जांच करना,

(य) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिये आवासिक सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक माह कम से कम एक बार निरीक्षण करना और जिला बालक संरक्षण ईकाई और राज्य सरकार की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का निवेदन करना,

(ट) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन, विधि का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक बालक के विरूद्ध, इस सम्बन्ध में किये गये परिवाद पर, कारित किये गये अपराधों के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज किये जाने हेतु पुलिस को आदेशित करना,

(ठ) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन, विधि का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक बालक के विरूद्ध, इस सम्बन्ध में समिति द्वारा लिये गये लिखित परिवाद पर, कारित किये गये अपराधों के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज किये जाने हेतु पुलिस को आदेशित करना,

PTS JODHPUR

(ड) वयस्कों हेतु बनाये गये कारागारों का नियमित निरीक्षण करना और समय समय पर यह जांच करना कि कोई बालक ऐसे कारागारों में बन्द किया गया हो और ऐसे बालक के सम्प्रेषण गृह में स्थानांतरित करने हेतु तत्काल प्रयास करेगा, और

(ढ) अन्य कोई कार्य जिसे विहित किया जावे ।

(9) मजिस्ट्रेट द्वारा पालन की जाने वाली प्रकिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है –

1– जब मजिस्ट्रेट, जो इस अधिनियम के अधीन परिषद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त नहीं है, की यह मत हो कि वह व्यक्ति जिनका अपराध कारित किया जाना अभिकथित है और जिसे उसके समक्ष लाया गया है, कोई बालक है तो वह बिना किसी विलम्ब के ऐसी राय दर्ज करेगा और बालक को तत्समय क्षैत्राधिकार रखने वाले परिषद के समक्ष उस कार्यवाही के अभिलेख के साथ अग्रेषित करेगा ।

2– यदि कोई व्यक्ति, जिसका अपराध को कारित करने का अभिकथित है, परिषद को छोड़कर किसी न्यायालय के समक्ष, यह दावा करता है वह व्यक्ति बालक है अथवा अपराध के कारित किये जाने की तारीख को बालक था, अथवा यदि स्वयं न्यायालय की यह राय हो कि वह व्यक्ति अपराध के कारित किये जाने की तारीख को बालक था तो उच्च न्यायालय जांच करेगा, उस व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिये ऐसे साक्ष्य को (लेकिन शपथ पत्र को नहीं) लेगा जो आवश्यक हो एवं उस व्यक्ति की आयु का, जहां तक निकटतम हो सके, कथन करते हुए मामले पर निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा,

''परन्तु यह कि ऐसा दावा किसी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकेगा और उसे वाद के अंतिम निस्तारण के पश्चात भी किसी भी प्रक्रम पर मान्यता दी जायेगी और ऐसे दावे का इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अवधारण किया जायेगा भले ही उस व्यक्ति का इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की दिनांक को या उसके पूर्व बालक होना बन्द हो गया हो।

3– यदि न्यायालय यह पाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और वह इस अपराध के कारित किये जाने की तारीख को बालक था तो वह उस बालक को समुचित आदेशों के पारित किये जाने हेतु परिषद के समक्ष अग्रेषित करेगा और न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश, यदि कोई हो, का कोई भी प्रभाव न रखना समझा जायेगा ।

4– यदि इस धारा में किसी व्यक्ति का संरक्षणकारी अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित हे तो जबकि बालक होने के उस व्यक्ति के दावे की जांच की जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को जांच अवधि में सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकेगा

अध्याय 04

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

(10) ऐसे बालक को पकड़ा जाना जिसका विधि का उल्लंघन कारित करना अभिकथित है–

1– पुलिस द्वारा जैसे ही किसी ऐसे बालक को पकड़ा जाता है जिसका विधि का उल्लंघन कारित करना अभिकथित है, उस बालक को विशेष किशोर पुलिस ईकाई अथवा नामोदिष्ट बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जायेगा जो उस बालक को बिना कोई समय नष्ट किये हुए लेकिन उस स्थान से जहां उस बालक को पकड़ा गया था, यात्रा हेतु आवश्यक समय को अपवर्जित करते हुए बालक को पकड़ने के चौबीस घण्टे की अवधि के भीतर परिषद के समक्ष पेश करेगा :

''परन्तु यह कि सिकी भी दशा में, वह बालक जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है, पुलिस हिरासत में नहीं रखा जायेगा अथवा कारागाम में नहीं बन्द कर दिया जायेगा।

2– राज्य सरकार इस अधिनियम के सुसंगत नियमों की विरचना करेगी –

(1) ऐसे व्यक्तियों (पंजीकृत स्वयंसेवी अथवा गैर सरकारी संगठनों समेत) का उपबन्ध करना, जिनके माध्यम से किसी ऐसे बालक जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है, को परिषद् के समक्ष पेश किया जा सकेगा

(ii) ऐसी रीति का उपबन्ध करना जिसमे उस बालक जिसका विधि का उल्लघन करना अभिकथित है, को सम्प्रक्षेण गृह या जेसा विषय हो सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकेगा।

(11)उस व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार मे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक को रखा जाता है, कोई व्यक्ति जिसके प्रभार मे विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को रखा जाता है जबकि वह आदेश

प्रभावी हो, उक्त बालक के उतरदायित्व को उसी प्रकार से प्राप्त करेगा मानो उक्त व्यक्ति उस बालक का पिता हो और बालक के भरण पोषण के लिए उतरदायी हो।
परन्तु यह है वह बालक परिषद् द्वारा बताई गई अवधि के लिए उस व्यक्ति के प्रभार मे बना रहेगा बावजूद इसके कि उक्त बालक का माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया जावे सिवाय जब परिषद् की यह राय हो कि माता या पिता अथवा अन्य कोई व्यक्ति उस बालक पर प्रभार का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है।

(12)उस व्यक्ति को जमानत जो प्रकट रूप से ऐसा बालक है, जिसका विधि का उल्लंघन करना आदि कथित है,

(1) जब कोई व्यक्ति जो प्रकट रूप से बालक है, और जिसका किसी जमानतीय अथवा गैर जमानतीय अपराध को कारित करना अभिकथित है, पुलिस द्वारा पकडा जाता है, या निरूद्ध किया जाता है। अथवा परिषद् के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है। तो वह व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि मे अन्तर्दिट किसी बात के होते हुये प्रतिभू के साथ अथवा उसके बिना जमानत पर मुक्त कर दिया जावेगा या परिविक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख मे रखा जावेगा।
परन्तु यह कि उस व्यक्ति को उस दशा मे इस प्रकार मुक्त नही किया जावेगा जब यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रकट होते हो कि उस मुक्ति से उस व्यक्ति का किसी ज्ञात अपराधियो की संग तमे आना अथवा उस व्यक्ति का नेतिक शारीरिक या मनोवेज्ञानिक खतरे मे डाल देना सम्भाव्य है, अथवा उस व्यक्ति की मुक्ति से न्याय का उदेश्य विफल हो जायेगा और परिषद् जमानत से इन्कार करने के कारणो और उन परिस्थितियो को अभिलिखित करेगा जिनके परिणामस्वरूप ऐसा निर्णय लिया गया।
(2) जब उस वयक्ति को पकडे जाने के पश्चात थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर मुक्त नही किया जाता है तो वह अधिकारी उस व्यक्ति को केवल सम्प्रेक्षण गृह मे ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे विहित किया जावे, जब तक की उस व्यक्ति को परिषद् के समक्ष न लिया जा सकता हो।
(3) जब उस व्यक्ति को परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर मुक्त नही किया जा सकता तो वह उस व्यक्ति से सम्बन्धित जांच के लम्बनकाल के दौरान उस अवधि के लिए, जिसे आदेश मे विनिर्दिष्ट किया जाये, सम्प्रेक्षण गृह या जैसा विषय हो, सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश करेगा।
(4) जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत आदेश के सात दिन के भीतर जमानत आदेश की शर्तो का पालन करनें में असमर्थ है तो वह बालक जमानत की शर्तो के संशोधित किये जाने हेतु परिषद् के समक्ष पेश किया जाएगा।

(13) माता–पिता, संरक्षक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना–(1) जब कोई ऐसा बालक जिसका विधि उल्लंघन करना अभिकथित है ,पकड़ा जाता है तो थाने के बाल कल्याण पुलिस के रूप में पदनामित अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस ईकाई, जिसके समक्ष उस बालक को लाया जाता है, उस बालक के पकड़े जाने के पश्चात् , यथा संभव शीघ्र निम्न को सुचित करेगा–
(i) उस बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक, यदि उन्हें पाया जा सके, और उन्हें उस परिषद् के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश करेगा जिसके समक्ष बालक को पेश किया गया है; और
(ii) परिवीक्षा अधिकारी, अथवा यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी, दो सप्ताह के भीतर बालक के इतिवृत तथा पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना और अन्य तात्विक परिस्थितियों को अन्तर्विष्ट करते हुए सामाजिका अन्वेषण रिर्पोट को तैयार करने और दाखिल करने के लिए, जिनका जाँच को करने हेतु परिषद् की सहायता करना संभाव्य है ।
(2) जहाँ किसी बालक को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो परिषद् द्वारा परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी को सूचित किया जायेगा।

(19) बालकों के न्यायालय की शक्तियां–

(1) धारा 15 के अधीन परिषद् से पारम्भिक मूल्यांकन के प्राप्त होने के पश्चात् बालकों का न्यायालय यह विनिश्चित कर सकेगा कि–

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार वयस्क के रूप में बालक के विचारण की आवश्यकता है और वह बालक की विशेष आवश्यकताओं, समुचित विचारण के सिद्धान्तों पर

PTS JODHPUR

विचार करते हुए और बालक के अनुकूल वातावरण को बनाये रखते हुए इस धारा एवं धारा 21 के प्रावधानों के अध्यधीन विचारण के पश्चात् समुचित आदेशों को पारित कर सकेगा।

(2) बालक के वयस्क के रूप में विचारण की आवश्यकता नहीं है और परिषद् के रूप में जाँच कर सकेगा तथा धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार समुचित आदेशों को पारित कर सकेगा।

2. बालकों का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश में परिवीक्षा अधिकारी अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई अथवा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्तन समेत बालक के पुनर्वास के लिए निजी देखभाल योजना सम्मिलित होगी।

3. बालकों का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि वह बालक जिसका विधि का उल्लंघन करना पाया जाता है, किसी सुरक्षित स्थान पर तब तक के लिए भेजा जाये जब तक कि वह 21 वर्ष की आयु का न हो जाये और तत्पश्चात् उस व्यक्ति को कारागार में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

4. बालकों का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उस सुरक्षित स्थान में बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस बालक के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न हो, यथा अपेक्षित परिविक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षक इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष आवधिक अनुवर्तन रिपोर्ट हो।

5. उपधारा (4) के अधीन रिपोर्टो को अभिलेख तथा अनुवर्तन, जैसा अपेक्षित हो, के लिए बालकों के न्यायालय के समक्ष अग्रेषित किया जायेगा।

(20) बालक ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली लेकिन उसे अभी भी सुरक्षित स्थान में रहने की निर्धारित अवधि को पूर्ण करना शेष है–जब विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन उसका सुरक्षित स्थान में रहने की अवधि को पूर्ण करना अभी शेष है तो बालकों का न्यायालय परिविक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा या स्वयं द्वारा, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए, यथा अपेक्षित अनुवर्तन के लिए प्रावधान करेगा कि क्या उस बालक ने सुधारकारी परिवर्तन को प्राप्त कर लिया है और क्या वह बालक समाज का अभी भी जिम्मेदार सदस्य बना रह सकता है और इस प्रयोजनार्थ, सुसंगत विशेषज्ञों के मूल्यांकन के साथ धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन उस बालक के प्रगति अभिलेख को विचरण में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् बालकों का न्याययलयः–

(i) बालक को ऐसी शर्तों पर मुक्त करने का निर्णय ले सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे जिसमें रहने की निर्धारित अवधि के शेष भाग के लिए जाँच प्राधिकारी की नियुक्ति सम्मिलित है;

(ii) यह विनिश्चित करेगा कि बालक कारागार में अपनी अवधि के शेष भाग के पुरा करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा प्रत्येक न्यायालय जाँच प्राधिकारियों और जाँच प्रक्रियाओं, जिन्हें विहित किया जाये, की सूची अनुरक्षित करेगा।

21. **आदेश जिसे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध पारित नहीं किया जा सकेगाः–**

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी भी बालक को ऐसे किसी अपराध के लिए , या तो इस अधिनियम के प्रावधानो के अधीन या भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि के अधीन, मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावस से दण्डादिष्ट नहीं किया जायेगा।

22. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन कार्यवाही बालक के विरुद्ध लागू नहीं होगीः–

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के, अथवा तत्समय प्रवृत किसी भी निवारक निरोध विधि के होते हुए, कोई भी कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी और उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन किसी भी बालक के विरुद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

23. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक और ऐसे व्यक्ति जो बालक नहीं है, के सम्बन्ध में कोई संयुक्त कार्यवाही नहीं–

(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974का 2) की धारा 223 में अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, ऐसे बालक, जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है, के संबंध में ऐसे व्यक्ति के साथ, जो बालक नहीं है, कोई भी संयुक्त कार्यवाही नहीं होगी ।

(2) यदि परिषद् द्वारा या बालकों के न्यायालय द्वारा जांच के दौरान, वह व्यक्ति जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है, पाया जाता है कि वह बालक नहीं है, तो उस व्यक्ति के बारे में बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा।

PTS JODHPUR

24. अपराध के निष्कर्षो पर अनर्हता का अपसारणः– (1) तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि में अर्न्तविष्ट किसी भी बात के होते हुए बालक, जिसने अपराध कारित किया है और जिससे इस अधिनियम के प्रावधानो के अधीन संव्यवहार किया गया है , उस विधि के अधीन अपराध की दोषसिद्धि से संबंधित अर्न्हता, यदि कोई हो से ग्रसित नहीं होगाः

परन्तु यह कि ऐसे किसी बालक के मामले में , जिसने सोलह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है या उससे अधिक है और उसका धारा 19 की उपधारा(1) के खण्ड (1) के अधीन बालकों के न्यायालय द्वारा विधि का उल्लंघन करना पाया जाता है तो उपधारा (1) के प्रावधान लागु नहीं होगें ।

(2) परिषद् पुलिस को यह निर्देशित करते हुए, अथवा बालक के न्यायालय द्वारा अपने निजी रजिस्ट्री को निदेशित करते हुए आदेश पारित करेगा कि अपील की अवधि अथवा, जैसा विषय हो, कि अपील की अवधि जिसे विहित किया जाये,की समाप्ति के पश्चात् उस दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेखों को नष्ट कर दिया जायेः

परन्तु यह कि किसी घृणित अपराध की दशा में ,जहॉ बालक का धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड(i) के अधीन विधि का उल्लंघन करना पाया जाता है तो उस बालक की दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किया जायेगा।

25.लम्बित वादों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान–इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए,ऐसे बालक, जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है या पाया जाता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को किसी भी परिषद् या न्यायालय के समक्ष लम्बित सभी कार्यवाहियों को उस परिषद् या न्यायालय में उसी प्रकार से जारी रखा जायेगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित किया ही न गया हो।

26.विधि का उल्लंघन करने वाले भगोडे बालक के सम्बन्ध में प्रावधान–(1) तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि में अन्तर्विष्टि प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए,कोई भी पुलिस अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान से या किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था की देखरेख से भाग चुका है,जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था।

(2) उपधारा(1)में निर्दिष्ट बालक को चौबीस घण्टे के भीतर विशेष रूप से उस परिषद् के समक्ष जिसने उस बालक के सम्बन्ध में मूल आदेश पारित किया था,यदि सम्भंव हो,अथवा निकटतम परिषद् के समक्ष जहॉ बालक को पाया गया है,पेश किया जायेगा।

(3)परिषद् उस बालक के भाग जाने के कारणों को अभिनिश्चित करेगा और उस बालक के या तो उस संस्था या उस व्यक्ति,जिसकी अभिरक्षा से वह बालक भाग गया था या अन्य किसी इसी प्रकार के स्थान या व्यक्ति, जिसे परिषद् उपयुक्त समझे,के पास वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेशों को पारित करेगाः

.परन्तु यह कि परिषद् किन्ही विशेष प्रयासों के सम्बन्ध में,जिन्हें बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझा जाये,अतिरिक्त निर्देशों को भी दे सकेगा।

(4)उस बालक के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

27. बाल कल्याण समितिः–

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसुचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों के सम्बन्ध में ऐसी समितियों को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने

परन्तु यह कि वाद के अन्तिम निस्तारण के समय कम से कम तीन सदस्य अवश्य ही उपस्थित होंगे।

29. समिति की शक्तियाँ –(1) समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों की देखरेख ,संरक्षण,उपचार ,विकास और पुनर्वास के लिए वादो का निस्तारण करने और साथ ही उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण भी प्रदान करने को प्राधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहाँ किसी समिति को किसी क्षेत्र के लिए गठित किया गया है, तो वहां ऐसी समिति को, तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, लेकिन इस अधिनियम में यथा अन्यथा अभिव्यक्त के सिवाय, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालको से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के साथ अपवर्ती रूप से संव्यवहार करने की शक्ति प्राप्त होगी।

30. समिति के कार्य और उत्तरदायित्वः– समिति के कार्य और उतरदायित्वों में निम्न सम्मिलित होंगे–

1) अपने समकक्ष पेश किये बालकों का संज्ञान लेना और उन्हें प्राप्त करना;

PTS JODHPUR

2) इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उसे प्रभावित करने वाले सभी विवाद्यकों पर जाँच करना;
3) सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिर्पोट दाखिल करने के लिए बाल कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों या जिला बाल संरक्षण ईकाई को निदेशित करना;
4)देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों की देखरेख के लिए उपयुक्त व्यक्तियें को घोषित करनें हेतु जांच करना;
5) धात्रेय बालक के स्थानन का निर्देश करना;
6) बालक की निजी देखरेख योजना पर आधारित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों की देख रेख, संरक्षण, समुचित पुर्नवास या पुनःस्थापन सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में माता–पिता या संरक्षकों या उपयुक्त व्यक्तियों या बालक गृहों या उपयुक्त व्यक्तियों या बालक गृहों या उपयुक्त सुविधा के लिए आवश्यक निर्देशों को पारित करना;
7) बालक की आयु, लिंग या निर्योग्यता एवं आवश्यकता पर आधारित संस्थागत समर्थन की अपेक्षा करते हुए पंजीकृत संस्था का चयन करना और संस्था की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखना;
8) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों के लिए आवासिक सुविधाओं के संबंध में प्रत्येक माह कम से कम दो निरीक्षणों को करना और जिला बालक संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार से सेवाओं की गुणवता में सुधार लाने हेतु कार्यवाही निवेदन करना;
9) माता–पिता द्वारा अभ्यर्पण विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अपने विनिश्चिय पर पुनर्विचार करने एवं साथ ही परिवार को एकजुट बनायें रखने के सभी प्रयासों को करने के लिए समय प्रदान किया गया था;
10) यह सुनिश्चित करना कि सम्यक् प्रक्रिया, जिसे विहित किया जाये, का अनुसरण करने हुए त्यक्त अथवा खोयें हुए बालकों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए सभी प्रयासो को किया जायें;
11) अनाथ, परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बालक को , सम्यक् जाँच के पश्चात् दत्तक ग्रहण के लिए विधितः उपलब्ध घोषित करना;
12) वादो का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों की सहायता करना, जिन्हें समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है , परन्तु यह कि ऐसा निर्णय कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिया जायें;
13) यौन रूप से दुरूपयोग किये गये बालकों के पुनर्वास हेतु कार्यवाही करना, जिनका यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 (2012का 32) के अधीन विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा समिति की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों के रूप में सूचित किया जाता है;
14) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा निर्दिष्ट वादों से संव्यवहार करना;
15) जिला बालक संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के समर्थन से देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों के उत्थान में लगी हुई पुलिस, श्रम विभाग और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करना;
(16) किसी बालक देखरेख संस्थान में बालक के दुरूपयोग के सम्बन्ध में परिवाद की दशा में, समिति जांच करेगी और पुलिस, जिला बालक संरक्षण ईकाई या श्रम विभाग या बालक सेवाओं के लिये या जैसा विषय हो जांच करेंगी तथा निर्देश देंगी।
(17) बालकों के लिये समुचित विधिक सेवा से उपगम करना,
(18) ऐसे अन्य कार्य और उत्तरदायित्वों का पालन जिन्हें विहित किया जावे ।

अध्याय 06

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रकिया

31. समिति के समक्ष पेश किया जाना –

(1) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक को निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के भी द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, अर्थात

1– तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन किसी भी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस ईकाई या पदनामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जिला बालक संरक्षण ईकाई के अधिकारी या श्रम कानून के तहत नियुक्त किया गया पुलिस अधिकारी,

2– कोई भी लोक सेवक,

PTS JODHPUR

3– चाईल्डलाईन सेवाएं या कोई भी स्वेच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठन या कोई अभिकरण जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो कर सकेंगी,
4– बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी,
5– कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना रखने वाला व्यक्ति,
6– स्वयं बालक द्वारा, अथवा,
7– नर्सिंग होम, अस्पताल या मातृत्व गृह की कोई भी नर्स, चिकित्सक या प्रबन्ध तंत्र
'' परन्तु यह कि उस बालक को बिना कोई समय खोये हुए लेकिन यात्रा के लिये आवश्यक समय को अपवर्जित करते हुए 24 घंटे की अवधि के भीतर समिति के समक्ष पेश किया जायेगा ।
(2) राज्य सरकार समिति के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने की रीति और बालक को बालक गृह या उपयुक्त सुविधा या जैसा विषय हो उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने एवं जांच की अवधि के दौरान सौंपने की रीति का प्रावधान करने के लिये इस अधिनियम से सुसंगत नियमों की विरचना करेंगी ।

32.संरक्षक से पृथक पाये गये बालक से संबंधित सूचना देना अनिवार्य – कोई आमजन बालक या पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या नर्सिंग होम या अस्पताल या मातृत्व गृह का कोई भी कार्यकारी, जो किसी ऐसे बालक को पाता है तथा उनकी जिम्मेदारी लता है अथवा उसे सुपुर्द किया जाता है जिसका परित्यक्त किया जाना या खो जाना प्रकट होता है या दावा किया जाता है या कोई बालक जिसका बिना किसी पारीवारिक समर्थन के अनाथ होना प्रकट होता है या दावाकर्ता है, चौबीस घण्टे के भीतर (यात्रा के लिये आवश्यक समय को अपवर्जित करके), चाईल्डलाईन सर्विसेज या निकटतम थाने या बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण ईकाई को सूचना देगा अथवा बालक को इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत बालक देखरेख संस्था, जैसा विषय हो, को सौंप देगा ।
2 उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक से संबंधित सूचना को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर प्रसारित (अपलोड) किया जायेगा, जैसा केन्द्र सरकार या समिति या जिला बालक संरक्षण ईकाई या जैसा विषय हो, बालक देखरेख संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

33. सूचित न करने का अपराध – यदि धारा 32 के अधीन यथा अपेक्षित बालक के सम्बन्ध में सूचना को उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दिया जाता है तो उस कृत्य को अपराध के रूप में माना जायेगा ।

34. सूचित न करने की शास्ति – कोई व्यक्ति जिसने धारा 33 के अधीन अपराध कारित किया है, छःमाह के कारावास अथवा दस हजार रूपये के अर्थदण्ड या दोनों के लिये दायी होगा ।

35. बालकों का अभ्यर्पण –
(1) माता या पिता अथवा संरक्षक, जो अपने नियंत्रण से परे, शारीरिक, भावनात्मक तथा अन्य सामाजिक घटकों से किसी बालक को अभ्यर्पित करने का इच्छुक है,उस बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा ।
(2) यदि जांच की निर्धारित प्रक्रिया और मंत्रणा के पश्चात समिति को यह विश्वास हो जाता है तो समिति के समक्ष माता या पिता अथवा जैसा विषय हो संरक्षक द्वारा अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जायेगा।
3. माता पिता अथवा संरक्षक जिनके बालक का अभ्यर्पण किया गया है को अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिए दो माह का समय प्रदान किया जायेगा और इस बीच की अवधि के दौरान समिति सम्यक जॉच के पश्चात या तो उस बालक को माता पिता अथवा संरक्षक के पास पर्यवेक्षणाधीन बने रहने की अनुमति दी गई या उस बालक को, यदि वह 6 वर्ष की आयु से कम का या कम की है, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में, या यदि वह 6 वर्ष से अधिक का है तो बालकगृह में रखेगी।

36. जॉचः–(1) धारा 31 के अधीन किसी बालक के पेश किये जाने अथवा रिपोर्ट के प्राप्त किये जाने पर समिति ऐसी रीति से जॉच करेगी जिसे विहित किया जाये और समिति स्वप्रेरणा से या धारा 31 की उप धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उस बालक को बालकगृह या आश्रय गृह या उपर्युक्त सुविधा या उपर्युक्त व्यक्ति के पास भेजने और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण के लिए ओदश पारित कर सकेगी।
परन्तु यह कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालक जो अनाथ हैं, अभ्यर्पित कर दिये गये हैं या जिनका परित्यक्त किया जाना प्रतीत होता है। विशेषीकृत दत्तक गृहण अभिकरण जहॉ उपलब्ध हो में रखे जायेगें।

PTS JODHPUR

(2) सामाजिक अन्वेषण 15 दिन कि भीतर पूर्ण किया जायेगा। जिससे की समिति बालक के प्रथम बार पेश किये जाने के 4 माह के भीतर अन्तिम पूर्ण आदेश पारित करने के लिए समर्थ हो सके।
परन्तु यह कि अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के लिए जॉच को पूरा करने का समय धारा 38 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
(3)जॉच के पूरा होने के पश्चात, यदि समिति का यह मत हो कि उक्त बालक का कोई परिवार या दृश्यमान समर्थन नही है अथवा वह देखरेख और संरक्षण की व्यापक आवश्यकता में है तो वह उस बालक को, यदि बालक 6 वर्ष से कम आयु का है, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के पास, या उस बालक के लिए पुर्नवास के उपर्युक्त साधनों को पाये
जाने तक या उस बालक के 18 वर्ष की आयु के पूर्ण किये जाने तक बालक गृह या उपर्युक्त सुविधा या व्यक्ति या धात्रेय परिवार के पास भेज सकती है।
परन्तु यह कि बालक गृह या उपयुक्त सुविधा या व्यक्ति या धात्रेय परिवार के पास रखे गये बालक की स्थिति में समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी, जैसा विहित किया जाये।
(4)समिति वादों की निष्तारण की प्रकृति और जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित वादों पर , वादो की लम्बिता की समीक्षा हेतु ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाये त्रैमासिक रिपोर्ट दाखिल करेगी।
(5) उप धारा (4) के अधीन समीक्षा के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट समिति को लम्बिता को सम्बोधित करने के लिए यदि आवश्यक हो, उपचार सम्बंधी आवश्यक उपायों को करने या करने का निर्देश करेगा और राज्य सरकार के समक्ष उस समीक्षा की रिर्पोट प्रेषित करेगा जो अतिरिक्त समितियों, यदि आवश्यक हो, का गठन करा सकता है।
परन्तु यह कि यदि वादों की लम्बिता ऐसे निर्देशों के प्राप्त होने के 3 माह के पश्चात भी समिति द्वारा असम्बोधित बनी रहती है तो राज्य सरकार उक्त समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी।
(6)समिति के समाप्त होने की प्रत्याशा में और ताकि नई समिति का गठन करने में कोई समय ना खोया जाये, राज्य सरकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सक्षम व्यक्तियों की स्थायी पैनल को बनाये रखेगी।
(7)उप धारा 5 अधीन नई समिति के गठन में किसी भी विलम्ब होने की दशा में निकटवर्ती जिले की बाल कल्याण समिति उस मध्यवर्ती अवधि में उत्तरदायित्व को ग्रहण कर लेगी।
37. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक के सम्बंध में पारित आदेशः— (1) समिति , जॉच के माध्यम से यह विश्वास हो जाने पर कि समिति के समक्ष बालक देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक है, बाल कल्याण अधिकारी द्वारा दाखित सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के विचारण पर और उस बालक की इच्छाओं पर विचार करने पर, बशर्ते वह बालक
अपना मत रखने के लिये पर्याप्त रूप से परिपक्व हो, निम्नलिखित आदेशों के सम्बन्ध में एक या अधिक आदेशों के सम्बन्ध में एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात—
(क) घोषणा कि बालक देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में हैं,
(ख) उस बालक के माता पिता या संरक्षक या परिवार को, बाल कल्याण अधिकारी या नामांकित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के साथ या उसके बिना पुनःस्थापित किया जाना,
(ग) इस निष्कर्ष पर पहूंचने के पश्चात भी कि बालक के परिवार का पता नहीं लगाया जा सकता है या पता लगाया भी गया हो तो उस बालक का परिवार के साथ पुनःस्थापन बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, ऐसी बालकों को रखने वाली संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए लम्बी अवधि के लिये या अस्थायी रूप से देखरेख के प्रयोजनार्थ उस बालक के बालक गृह या उपयुक्त सुविधा या विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण में स्थानन,
(घ) लम्बी अवधि के या अस्थायी देखरेख के लिये उपयुक्त व्यक्ति के साथ स्थानन,
(ड) धारा 44 के अधीन धात्रेय देखरेख के आदेश,
(च) धारा 45 के अधीन प्रायोजन,
(छ)उन व्यक्तियों या संस्थाओं या सुविधाओं की जिनकी देखरेख में बालक को रखा जाता है, उस बालक की देखरेख, संरक्षण या पुनर्वास के सम्बन्ध में निर्देश, जिसमें आवश्यकता पर आधारित मन्त्रणा, व्यावसायिक थैरेपी या व्यवहार में परिवर्तन सम्बन्धी थैरेपी, कुशल प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षिक सेवाएं और यथा अपेक्षित अन्य विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप और साथ ही अनुवर्तन तथा जिला बालक संरक्षण ईकाई या राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय सम्मिलित है, तत्काल आश्रय

PTS JODHPUR

एवं सेवाएं जैसे चिकित्सकीय ध्यान, मनःचिकित्सकीय और मनो वैज्ञानिक समर्थन से संबंधित निर्देश सम्मिलित है ।
(ज) यह घोषणा कि, बालक को गोद लेने के लिये कानूनी तौर पर धारा 38 के तहत स्वतंत्र है,
2– समिति यह आदेश पारित कर सकेगी –
(1) पालक की देखरेख के लिये उपयुक्त व्यक्ति की घोषणा,
(2) अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत, और
(3) किसी भी अन्य रूप से किसी भी अन्य कृत्य से संबंधित आदेश निर्धारित किया जा सकेगा ।
धारा 47–सम्प्रेक्षण गृहः– (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में या तो स्वयं द्वारा ,या दस्वयंसेवी अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, जिनहें इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन पंजीकृत किया जायेगा,असथायी प्रवेश हेतू किसी ऐसे बालक के, जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है,इस अधिनियम के अधीन किसी भी जांच की लम्बिता के दौरान,देखरेख पुर्नवास के लिए सम्प्रेक्षण गृहों को स्थापित करेगा तथा अनुरक्षित करेगा।
(2) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित गृह को छोड़कर कोई अन्य पंजीकृत संस्था उस बालक के जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए सम्प्रेक्षण गृह के रूप मे उस संस्था को पंजिकृत कर सकती है।
(3) प्रत्येक बालक, जिसका विधि का उल्लघन करना अभिकथित है पुर्नवास एंव सामाजिक एकीकरण और ऐसी परिस्थितीयों जिनके अधीन और उस रीति, जिसमे सम्प्रेक्षण गृह के पंजीयन को प्रदान किया जा सकेगा या उस वापस लिया जा सकेगा के लिए उनके द्वारा प्रदान किये जाने वाली सेवाओ के मानक और विभिन्न प्रकार सम्मिलित है।
(4) प्रत्येक बालक जिसका विधि का उल्लंघन करना अभिकथित है जिसे माता या पिता अथवा संरक्षक का प्रभार नही रखा जाता है और सम्प्रेक्षण गृह मे भेजा जाता है, बालक की आयु और लिंग के अनुसार बालक की शारीरिक और मानसिक परिस्थितियां तथा कारितक किये गये अपराध की श्रेणी पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात पृथक किया जायेगा।
48. विशेष गृह – (1) राज्य सरकार या तो स्वयं द्वारा या स्वयसेवी अथवा गैर सरकारी संगठनो के माध्यम से विशेष गृहो, जिन्हे उस रूप मे पंजिकृत किया जायेगा, ऐसी रीति से जिसे विहित किया जावे विधि का उल्लंघन करने वाले बालको, जिनका किसी अपराध को कारित किया जाना पाया जाता है और जिन्हे वहां धारा 18 कि अधीन बनाये गये किशोर न्याय परिषद् के आदेश से रखा जाता है के पुर्नवास हेतु अपेक्षित हो सकने वाले प्रत्येक जिले अथवा जिलो के समूह के स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगी।
(2) राज्यय सरकार, नियमो द्वारा विशेष गृहो के प्रबधन और अनुश्रवण के लिए प्रावधान कर सकती है जिसमे उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ के मानक और विभिन्न प्रकार जो किसी बालक के सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए आवश्यक है ओर वो परिस्थितियां जिनके अधिन और वह रीति जिसमे किसी विशेष गृह का पंजियन प्रदान किया जा सकता है, प्रावधान कर सकेगी।
(3) उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियमो मे उन बालको जिनका विधि का उल्लघन करना पाया जाता है के आयु, लिंग, उनके द्वारा कारीत अपराध की प्रकृति तथा उस बालक की मानसिक एंव शारीरिक क्षमता के आधार पर पृथक्करण का भी प्रावधान किया जा सकेगा।
49. सुरक्षित स्थान, राज्य सरकार धारा 41 के अधिन किसी राज्य मे पंजिकृत कम से कम एक सुरक्षित स्थान को स्थापित करेगी जिससे की अट्ठारह वर्ष की आयु के व्यक्ति या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक जो सोलह से अट्ठारह वर्ष की आयु के मध्य है और किसी घृणित अपराध को कारीत करने का अभियुक्त या सिद्वदोष है को रखा जा सके।।
(2) प्रत्येक सुरक्षित स्थान मे जांच की प्रक्रिया के दौरान उन बालको या व्यक्तियो के तथा किसी अपराध को कारीत करने के सिद्वदोष बालको या व्यक्तियो के रहने के लिए प्रबंध और सुविधाएं होगी।
(3) राज्य सरकार नियमो द्वारा स्थानो के उन प्रकारो को जिन्हे उपधारा (1) अधिन सुरक्षित स्थान के रूप मे नामांकित किया जा सकता हो ओर सुविधाओ तथा सेवाओ, जिन्हे उसमे प्रदान किया जा सकता हो विहित कर सकेगी।
50 बालक गृहः– राज्य सरकार, या तो स्वयं द्वारा या स्वयंसेवी संगठनो के माध्यम से बालक गृहो जिन्हे उस रूप मे पंजिकृत किया जायेगा, देखरेख और सरक्षंण की आवश्यकता रखने वाले बालको के उनकी

देखरेख उपचार शिक्षा प्रशिक्षण विकास और पुर्नवास के लिए स्थानन हेतु प्रत्येक जिले या जिलो के समूह मे स्थापित कर सकेगी और उन्हे अनुरक्षित कर सकेगी।
(2) राज्य सरकार आवश्यकता पर निर्भर करते हुऐ विशेषिकृत सेवाओ को प्रदान करने वाली विशेष आवश्यता के साथ बालको लिए किसी भी बालक गृह को गृह के रूप मे नामांकित करेगी।
(3) राज्य सरकार नियमो द्वारा बालक गृह के अनुसश्रवण तथा प्रबंधन के लिए प्रावधान कर सकेगी। जिसमे प्रत्येक बालक के लिए निजि देखरेख योजनाओ पर आधारित उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ के मानक और प्रकृति सम्मलित है ।

अध्याय– 9
बालकों के विरूद्व अन्य अपराध

74. बालकों की पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिषेधः– (1) किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका , न्यूज सीट या दृश्य–श्रृव्य, मीडिया या किसी जॉच अथवा अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के सम्बंध में या संसूचना या अन्य रूप में कोई भी रिपोर्ट नाम, पता या विद्यालय या अन्य कोई विशिष्टि प्रकट नही करेगी। जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक अथवा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालक या पीडित बालक या ऐसे मामले में लिप्त अपराध के साक्षी की तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन, पहचान प्रकट होती हो, ना ही ऐसे किसी बालक की तस्वीर को प्रकाशित किया जायेगा।
परन्तु यह कि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से परिषद या जैसा विषय हो समिति जॉच करते समय ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकती है बशर्ते उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण उस बालक के सर्वोत्तम हित में हो।
(2) पुलिस ऐसे मामलों में जहॉ वाद को बन्द किया जा चुका है या उसका निष्तारण किया जा चुका है, चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ या अन्यथा बालकों के अभिलेख को प्रकट नही करेगी।
(3) उप धारा (1) के प्रावधानों का अतिलंघन करते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास जो 6 माह तक हो सकता है या अर्थ दण्ड से जो दो लाख रूपये तक हो सकता है। या दोनों से दण्डनीय होगा।

75. बालक के प्रति क्रूरता के लिए दण्डः– जो कोई किसी बालक का वास्तविक प्रभार रखते हुए या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर हमला करता है, उसे परित्यक्त कर देता है उसका दुरूपयोग करता है, उसे अभिदर्शित करता है या ऐसी रीति से जान बूझकर उसकी उपेक्षा करता है या उस बालक पर हमला करता है, या उस बालक पर हमला कराता है उसे परित्यक्त कराता है उसका दुरूपयोग कराता है एवं अभिदर्शित कराता है या उसकी उपेक्षा कराता है, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट कारित होना सम्भाव्य है तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकती या एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगा।
परन्तु यह कि यदि यह पाया जाता है कि जैविकीय माता पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुआ है तो यह उप धारित किया जायेगा कि ऐसा परित्याग अपनी इच्छा से नही है और इस धारा के दाण्डिक प्रावधान ऐसे वादों में लागू नही होगे।
परन्तु अग्रेतर यह कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे संगठन द्वारा या उसका प्रबंध करके नियोजित करे किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जिसे उस बालक के देखरेख और संरक्षण का कार्य सौंपा गया है , तो वह सश्रम कारावास से , जो पॉच वर्ष तक हो सकेगा और अर्थदण्ड से पॉच लाख रूपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।
परन्तु यह भी पूर्व उल्लेखित क्रूरता के कारण ,यदि वह बालक शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या वह नियमित कार्यो को करने के लिए मानसिक रूप से अनुपयुक्त हो जाता है या जिसका जीवन या अंग जोखिम में है तो ऐसा व्यक्ति कम से कम तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डनीय होगा। लेकिन जो 10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा और पॉच लाख के रूपये के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा।

76. भीख मांगने के लिए बालक का नियोजनः– (1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी बालक का प्रयोग करता है अथवा किसी बालक से भीख मंगवाता है , ऐसी अवधि के कारावास से जो पॉच वर्ष तक का हो सकता है , से दण्डनीय होगा और साथ ही एक लाख रूपये के अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा।

PTS JODHPUR

परन्तु यह कि यदि भीख मांगने के प्रयोजनार्थ व्यक्ति बालक का अंग भंग कर देता है या उसे अपंग बना देता है तो वह कम से कम 7 वर्ष की अवधि के कारावास, जो 10 वर्ष तक का हो सकता है, से दण्डनीय होगा और पांच लाख रू के अर्थ दण्ड के लिए भी दायी होगा।

(2) जो कोई बालक का वास्तविक प्रभार या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधील दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है ,उपधारा (1) में यथा उपबंधित किसी दण्ड से दण्डनीय होगा और उस व्यक्ति का धारा 2 के खण्ड (14) के उपखण्ड (5) के अधीन अनुपयुक्त माना जायेगाः

परन्तु यह कि उक्त बालक किसी भी परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक नहीं माना जायेगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के प्रभार अथवा नियंत्रण से हटा दिया जायेगा और उसे समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।

77. किसी बालक को नशीली मदिरा या स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति :– जो कोई,सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय अन्य प्रकार से, किसी बालक को कोई नशीली मदिरा या स्वापक औषधि या तम्बाकू के उत्पाद या मनःप्रभावी पदार्थ दिलवाता है या देता है, ऐसी अवधि के सश्रम कारावास, से जो 7 वर्ष तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और अर्थदण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा जो एक लाख रू तक को हो सकता है।

78. किसी नशीली मदिरा, स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का विक्रय करने, फेरी लगाने, ले जाने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए बालक का प्रयोग करनाः– जो कोई किसी बालक का किसी नशीली मदिरा, स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का विक्रय करने, फेरी लगाने, ले जाने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए प्रयोग करता है, ऐसी अवधि सश्रम कारावास से दण्डनीय होगा जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और एक लाख रू तक के अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा।

79. बालक नियोजिती (बालक कर्मकार) का शोषणः– तत्समय प्रवृत किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, जो कोई दृश्यमान ढंग से किसी बालक को नियोजित करता है और उसे नियोजन के प्रयोजनार्थ बन्धक बना कर रखता है या उसके उपार्जन को प्रतिधारित करता है या उस को अपने निजी प्रयोजनों के लिए प्रयोग करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो 5 वर्ष तक हो सकता है , दण्डनीय होगा और 1 लाख रू के अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद 'नियोजन' में माल का विक्रय करना और सेवा प्रदाता और आर्थिक अभिलाभ के लिए स्थानों पर मनोरंजन भी सम्मिलित है।

80.निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना दत्तकग्रहण के लिए उपचार :– यदि कोई व्यक्ति अथवा संगठन इस अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रावधानों अथवा प्रक्रियाओं का पालन किये बिना दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को प्रस्तावित करता है या देता है या प्राप्त करता है तो ऐसा व्यक्ति या संगठन या तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास के जो तीन वर्ष तक हो सकता है या एक लाख रू के अर्थदण्ड से या दोनो से दण्डनीय होगा :

परन्तु ऐसे किसी वाद मे जहां अपराध को किसी मान्यता प्राप्त दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा उस दत्तकग्रहण अभिकरण के दिन प्रतिदिन के कामकाज के संचालन के प्रभारी और उत्तरदायी व्यक्तियों को उस अभिकरण का पंजीयन तथा धारा 65 के अधीन उसकी मान्यता को भी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वापस ले लिया जायेगा।

81. किसी भी प्रयोजन के लिए बालकों का विक्रय और प्राप्ति :– कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी बालक का विक्रयकर्ता है या उसे क्रय करता है, ऐसी अवधि के सश्रम कारावास, जो 5 वर्ष तक का हो सकता है, से दण्डनीय होगा और वह एक लाख रू के अर्थदण्ड से भी दण्डनीय होगाः

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे अपराध को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जिसे उस बालक का वास्तविक प्रभार प्राप्त है, जिसमें अस्पताल या नर्सिंगहोम या मैटेर्निटी होम के कर्मचारी सम्मिलित हैं तो कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी और वह 7 वर्ष तक हो सकती है।

82.शारीरिक दण्ड– 1) किसी बालक की देखरेख संस्था का कोई भी प्रभारी व्यक्ति या नियोजिती जो किसी बालक को, उस बालक को अनुशासन में रखने के उद्देश्यों से, शारीरिक दण्ड देता है, प्रथम दोषसिद्धि पर, 10 हजार के अर्थदण्ड के लिए उत्तरदायी होगा और पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध के लिए, ऐसे कारावास के लिए, उतरदायी होगा जो 3 मास तक का हो सकता है या अर्थदण्ड या दोनो के लिए उतरदायी होगा ।

PTS JODHPUR

2) यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट संस्था में नियोजित किसी व्यक्ति को उस उपधारा के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है तो वह व्यक्ति सेवा से बर्खास्तगी के लिए भी दायी होगा, और उसे तत्पश्चात् बालको के साथ सीधे कार्य करने से विर्वजित किया जायेगा।
3) ऐसे किसी वाद में जहां किसी शारीरिक दण्ड की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था को सूचना दी जाती है और उस संस्था का प्रबंध तंत्र किसी भी जांच में सहयोग नहीं करता है। या समिति या परिषद् या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेशो का अनुपालन नहीं करता है तो उस संस्था के प्रबंध का प्रभारी व्यक्ति कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास के साथ दण्ड के लिए दायी होगा और वह अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रू तक हो सकता है ।

83. उग्रवादी समूह या अन्य व्यस्कों द्वारा बालक का प्रयोंगः— कोई भी गैर राज्य , स्वयंभू उग्रवादी समूह या केन्द्र सरकार द्वारा उस रूप में घोषित इकाई, यदि किसी बालक को किसी भी प्रयोजनार्थ भर्ती करती है या उसका प्रयोग करती है, ऐसी अवधि के सश्रम का कारावास का दायी होगा जो 7 वर्ष तक हो सकती है और पांच लाख रू के अर्थ दण्ड के लिए भी दायी होगा।

84. बालक का व्यपहरण और अपहरण— इस अधिनियम की प्रयोजना के लिए, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 359—369 के प्रावधान किसी ऐसे बालक या अव्यस्क के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागु होगें जो 18 वर्ष से कम आयु का है और सभी प्रावधानो को अर्थान्वयन किया जायेगा।

85. निशक्त व्यक्तियों के साथ कारित किये गये अपराध— जो कोई किसी ऐसे बालक के साथ इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधो में से किसी को भी कारित करता है, जो निशक्त है जैसा कि चिकित्सक व्यवसायी द्वारा इस रूप में प्रमाणित किया गया है तो वह व्यक्ति उस अपराध के लिए उपबंधित शास्ति के दोगुना के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरणः इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए, 'पद निःशक्ता' का वही अर्थ होगा जो उसे निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खण्ड 1 के अधीन उसे प्रदान किया गया है

86. अपराधों का वर्गीकरण और नामोदिष्ट न्यायालयः—
(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सात वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय है, तो वह अपराध बालक न्यायालय द्वारा संज्ञेय, अजमानतीय तथा विचारणीय होगा ।
(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध तीन वर्ष से और उससे अधिक की लेकिन सात वर्ष से अधिक नही, अवधि के कारावास से दण्डनीय है, तो ऐसा अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय, अजमानतीय तथा विचारणीय होगा ।
(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध तीन वर्ष से कम के कारावास से या केवल अर्थदण्ड से दण्डनीय है, तो ऐसा अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा असंज्ञेय, जमानतीय तथा विचारणीय होगा ।

87. दुष्प्रेरण :— जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है , यदि दुष्प्रेरित किया गया वह कृत्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिये उपबंधित दण्ड से दंडित किया जायेगा ।

- स्पष्टीकरण — किसी कृत्य या अपराध का दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कारित किया जाना उस समय कहा जाता है जब उसे उकसाने के परिणामस्वरूप या षडयंत्र के अनुसरण में या ऐसी सहायता से कारित किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण का गठन होता है ।

88. वैकल्पिक दण्डः— जब किसी कृत्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि के अधीन दण्डनीय अपराध का गठन होता है तो ऐसी किसी भी विधि में अन्तर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए, उस अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस विधि के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा, जिसमे ऐसे दण्ड का प्रावधान किया गया है। जो कोटि में अधिक है।

89. इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा कारित अपराधः— कोइ बालक जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को कारित करता है, इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जायेगा।

अध्याय 10 प्रकीर्ण

90. बालक के माता या पिता अथवा संरक्षक की उपस्थितिः— समिति या जैसा विषय हो, परिषद, जिसके समक्ष बालक को इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के भी अधीन लाया जाता है जब कभी

PTS JODHPUR

वह ऐसा समझे, ऐसे किसी भी माता या पिता या संरक्षक, जिसके पास बालक का वास्तविक प्रभार है, से उस बालक के सम्बंध में किसी भी कार्यवाही के समय उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है।

91. बालक की उपस्थिति से अभिमुक्ति प्रदान करना:– (1) जॉच के अनुक्रम के दौरान किसी भी प्रक्रम पर , समिति या परिषद का इस विषयक समाधान हो जाता है कि बालक की उपस्थिति जॉच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नही है तो वह समिति या जैसा विषय हो परिषद बालक की उपस्थिति से अभिमुक्ति प्रदान कर देगा और उस कथन को अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ सीमित करेगा एवं बाद में, सम्बंधित जॉच बालक की अनुपस्थिति में भी चलती रहेगी जब तक कि समिति या परिषद द्वारा अन्यथा आदेशित ना किया गया हो।

(2) जहॉ परिषद या समिति के समक्ष किसी बालक की उपस्थिति अपेक्षित होती है तो वह बालक स्वंय के और उस बालक के साथ एक मार्गरक्षी के लिए परिषद या समिति , या जैसा विषय हो, जिला बालक संरक्षण अधिकारी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय के अनुसार यात्रा प्रतिशोधन का हकदार होगा।

92.ऐसे रोग से ग्रसित बालक का स्थानन जिसमें किसी अनुमोदित स्थान में लम्बे चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता हो:– जब कोई बालक जिसे समिति या परिषद के समक्षा लाया गया है, किसी ऐसे रोग से ग्रसित होना पाया जाता है जिसमें लम्बे चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा की जाती है या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो ठीक हो जायेगी तो समिति अथवा जैसा विषय हो परिषद उस बालक को ऐसी अवधि के लिए जिसे वह अपेक्षित उपचार हेतु आवश्यक समझे यथा निर्धारित उपपुक्त स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर भेज सकता है।

93.किसी ऐसे बालक का स्थानान्तरण जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य अथवा एल्कोहल या अन्य नशीली दवाओं का व्यसनी है :– (1) जहॉ किसी समिति या परिषद को यह लगे कि किसी विशिष्ट गृह या सम्प्रेषण गृह या बालक गृह या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किसी संस्था मे रखा गया कोई भी बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ्य अथवा मदिरा या अन्य नशीली दवाओं का व्यसनी है, जिससे किसी व्यक्ति ने व्यवहार सम्बंधी परिवर्तन आता है तो वह समिति या परिषद ऐसे बालक के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987(1987 का 14) अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार मनःचिकित्सकीय अस्पताल या मनःचिकित्सकीय नर्सिंग होम में ले जाने का आदेश कर सकता है ।

(2) यदि वह बालक उपधारा (1) के अधीन मनःचिकित्सकीय अस्पताल या मनःचिकित्सकीय नर्सिंग होम में ले जाया गया हो तो समिति या परिषद मनःचिकित्सकीय अस्पताल या मनःचिकित्सकीय नर्सिंग होम में उन्मोचन प्रमाण पत्र में दी गई सलाह के आधार पर उस बालक को व्यसनियों के लिये एकीकृत पुनर्वास केन्द्र या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों (किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के व्यसनी व्यक्तियों समेत) के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित इसी प्रकार के केन्द्रों में ले जाये जाने का आदेश कर सकता है और ऐसा ले जाया जाना केवल उस बालक के अन्तःरोगी उपचार के लिये ही अपेक्षित अवधि के लिये होगा। स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये – (क) 'व्यसनियों के लिये एकीकृत पुनर्वास केन्द्र' का वही अर्थ होगा जो उसे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय में केन्द्र सरकार द्वारा विरचित मद्यव्यवसनिता और पदार्थ (औषधि) दुरूपयोग निवारण के लिये या सामाजिक प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये सहायता की केन्द्रीय सेक्टर योजना के नाम से जानी गयी योजना या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी तत्समानी योजना के अधीन प्रदान किया गया है ।

(ख) ''मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति'' का वही अर्थ होगा जो उसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 02 के खण्ड(ठ) में उसे प्रदान किया गया है ।

(ग) 'मनचिकित्सकीय अस्पताल' या 'मन चिकित्सकीय नर्सिंग होम' का वही अर्थ होगा जो उसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 02 के खण्ड(थ) में उसे दिया गया है ।

94. आयु की उपधारणा और अवधारणा –

1– जहां समिति या परिषद की, इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिये) उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति की उपसंजाति के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो वहां समिति या परिषद उस बालक की आयु को, जितना निकटतम हो सके, बताते हुए ऐसे सम्प्रेक्षण को करेगा और वह आयु के अग्रेतर पुष्टि की प्रतीक्षा किये बिना धारा 14 या जैसा विषय हो धारा 36 के अधीन या जैसा विषय हो की कार्यवाही करेगा ।

2– यदि समिति या परिषद के पास इस सम्बन्ध में संदेह करने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, समिति या जैसा विषय हो परिषद निम्न आधारों पर आयु अवधारण को प्रारम्भ करेगा ।

(1) विधालय से जन्म प्रमाण पत्र अथवा संबंधित परीक्षा परिषद से मेट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र में तारीख, यदि वह उपलब्ध हो और उसके अभाव में,
(2)निगम या नगरपालिक प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र,
(3) और केवल उपरोक्त (1) तथा (2) के अभाव में आयु का अवधारण अस्थि विकास जांच अथवा
समिति या परिषद के आदेशों पर आयु अवधारण का अन्य कोई नवीनतम चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा किया जायेगा, जिसे समिति या परिषद के आदेशों पर किया गया हो ।
'' परन्तु यह कि समिति अथवा परिषद के आदेश पर किया गया ऐसा आयु अवधारण परीक्षण उस आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरा किया जायेगा ।
(3) समिति या परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके समक्ष इस प्रकार लाये गये व्यक्ति की आयु के रूप में अभिलिखित की गई आयु उस व्यक्ति की शुद्ध आयु के रूप में समझी जायेगी ।

95. किसी बालक का निवास के स्थान पर स्थानांतरण – यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है बालक क्षैत्राधिकार के बाहर के स्थान का है तो परिषद या जैसा विषय हो समिति सम्यक जांच के पश्चात, यह समाधान हो जाने पर कि वह बालक के सर्वोत्तम हित में है और समिति अथवा बालक के पैतृक जिले के परिषद के साथ सम्यक रूप से परामर्श करने के पश्चात उस बालक का, यथा संभव शीघ्र उक्त समिति या परिषद को सुसंगत दस्तावेजों के साथ एवं ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिसे विहित किया जाये, अन्तरण किये जाने का आदेश कर सकेगा ।
''परन्तु यह कि ऐसा अन्तरण जांच के पूरा किये जाने तथा परिषद द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने के पश्चात ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के मामले में किया जा सकता है ।
''परन्तु अग्रेतर यह कि अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण की दशा में बालक को, यदि सुविधाजनक हो, बालक के पैतृक जिले की समिति या जैसा विषय हो, परिषद का या गृह राज्य के राजधानी नगर में समिति या परिषद को सौंप दिया जायेगा ।
(2) एक बार स्थानांतरण किये जाने का निर्णय अंतिम हो चुकने पर समिति या जैसा विषय हो परिषद विशेष किशोर पुलिस इकाई को मार्ग रक्षी आदेश देगा कि वह उस आदेश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उस बालक का मार्गरक्षण करे,
''परन्तु यह कि बालिका के साथ महिला पुलिस अधिकारी जायेगी,
''परन्तु अग्रेतर यह कि जहां विशेष किशोर पुलिस इकाई उपलब्ध नहीं है तो समिति अथवा जैसा विषय हो परिषद संस्था को, जहां बालक अस्थायी रूप से

99. रिपोर्टो को गोपनीय माना जायेगा –(1) बालक से संबधित और समिति या परिषद द्वारा विचार की गयी सभी रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी :
परन्तु यह कि समिति या जैसा विषय हो परिषद यदि वह इसे उपयुक्त समझे,एक अन्य समिति या परिषद को अथवा बालक को या बालक के माता या पिता अथवा संरक्षक को उसके सारांश के बारे में संसूचित कर सकता है और उस समिति या परिषद या बालक या माता या पिता अथवा संरक्षक को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो रिर्पोट में बताये गये मामलेय के लिए सुसंगत हो।
(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, पीड़ीत को उनके वाद अभिलेख, आदेशो और सुसंगत प्रपत्रो तक पहुँच से इन्कार नहीं किया जायेगा।

100. सद्भाव में की गयी कार्यवाही को संरक्षण –केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या उस केन्द्र सरकार अथवा जैसा विषय हो राज्य सरकार के निदेशो के अधीन किसी सद्भाव कार्य के सम्बन्ध में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद,अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही को दाखिन नहीं किया जायेगा, जिसे इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमो या विनियमो के अनुसरण में सद्भाविक रूप से किया गया है या किया जाना आशायित है।

107.बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई–(1) प्रत्येक थाने में, कम से कम से एक अधिकारी,जो सहायक पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न होगा,जो अभियोग्यता,समुचित प्रशिक्षण और दिशा–निर्देश के साथ हो,पुलिस स्वयंसेवी तथा गैर–सरकारी संगठनो के साथ समन्वय करके या तो पीड़ीतो या दोषियो के रूप में बालको से अपवर्जी रूप से संव्यवहार करने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदनामित किया जा सकेगा।
(2) बालको से संबंधित पुलिस के सभी कार्यो में समन्वय करने के लिए राज्य सरकार उपपुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले तथा नगर में किशोर न्याय पुलिस इकाइयो का गठन करेगी और उसमें उपधारा (1)के अधीन पदनामित् सभी

PTS JODHPUR

पुलिस अधिकारी और बाल कल्याण के क्षेत्रा में कार्य का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होगें जिनमें से एक महिला होगी

(3) विशेष किशोर पुलिस इकाइयो के सभी अधिकारियो को विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में प्रवेश के समय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे के कि वे और अधिक अपने कार्यो का प्रभावशाली तरीके से सम्पादन करने में समर्थ हो सके।

(4) विशेष किशोर पुलिस इकाई में बालको से संव्यवहार करते हुए रेलवे पुलिस भी सम्मिलित हैं।

03 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

एनडीपीएस एक्ट

स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें प्रयुक्त संपत्ति के समपहरण का उपबंध करने के लिए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है [और यह–

(क) भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों को ;

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर सभी व्यक्तियों को,

वे जहां भी हों, भी लागू होता है ।,

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी । और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

2. परिभाषाएं–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

[(i) व्यसनी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ पर आश्रित है ;,

(ii) बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(iii) कैनेबिस (हैम्प)" से अभिप्रेत है,–

(क) चरस, अर्थात् कच्चा या शोधित किसी भी रूप में पृथक् किया गया रेजिन जो कैनेबिस के पौधे से प्राप्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत हशीश तेल या द्रव हशीश के नाम से ज्ञात सांद्रित निर्मिति और रेजिन है ;

(ख) गांजा, अर्थात् कैनेबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे (इनके अन्तर्गत बीज और पत्तियां जब वे सिरे के साथ न हों, नहीं हैं) चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात या अभिहित हों ; और

(ग) उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनेबिस का कोई मिश्रण चाहे वह किसी निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो, उससे निर्मित कोई पेय ;

(iv) कैनेबिस का पौधा से कैनेबिस वंश का कोई पौधा अभिप्रेत है ;

PTS JODHPUR

[(ivक) केन्द्रीय सरकार के कारखानों से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कारखाने या किसी ऐसी कंपनी के, जिसमें केन्द्रीय सरकार समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करती है, स्वामित्वाधीन कारखाने अभिप्रेत हैं ;,

(अ) कोका के व्युत्पाद" से अभिप्रेत है—

(क) कच्चा कोकेन, अर्थात् कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) ऐकगोनिन और ऐकगोनिन के सभी व्युत्पाद, जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है ;

(ग) कोकेन, अर्थात् बेंजायल—ऐकगोनिन का मेथिल एस्टर और उसके लवण ; और

(घ) सभी निर्मितियां जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकेन हो ;

(vi) कोका की पत्ती से अभिप्रेत है—

(क) कोका के पौधे की पत्ती, सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी ऐकगोनिन, कोकेन और कई अन्य ऐकगोनिन ऐल्केलाइड निकाल लिए गए हैं ;

(ख) उनका कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी निर्मिति नहीं है जिसमें 0.1 प्रतिशत से अनधिक कोकेन है ;

(vii) कोका का पौधा से ऐरिथ्रोजाइलान वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है ;

[((viiक) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर कोई मात्रा अभिप्रेत है ;

(vii ख) नियंत्रित परिदान से स्वापक ओषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या उनके लिए प्रतिस्थापित पदार्थों के अवैध या संदिग्ध परेषणों को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने में अंतर्वलित व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से इस निमित्त सशक्त या धारा 50 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की जानकारी में या उसके पर्यवेक्षण के अधीन भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर ले जाने, उससे होकर निकालने या उसमें लाने के लिए अनुज्ञात करने की तकनीक अभिप्रेत है ;

(vii ग) तत्स्थानी विधिष से इस अधिनियम के उपबंधों की तत्स्थानी कोई विधि अभिप्रेत है ;,

[[(vii घ), नियंत्रित पदार्थष से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन या विनिर्माण में उसके संभावित प्रयोग के बारे में या किसी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के किसी उपबंध के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियंत्रित पदार्थ घोषित करे ;,

(vii प) प्रवहण से किसी भी प्रकार का कोई प्रवहण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान, यान या जलयान है ;

ख(viii क) आवश्यक स्वापक ओषधिष से केंद्रीय सरकार द्वारा चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित कोई स्वापक ओषधि अभिप्रेत है ;,

3[[(viii ख), स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में अवैध व्यापार से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् —

(i) कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करना ;

(ii) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करना ;

(iii) स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भांडागारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का कार्य करना ;

(i v) स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के उपखंड (i) से उपखंड (iii) तक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न किन्हीं क्रियाकलापों में व्यवहार करना ; या

(v) उपखंड (i) से उपखंड (iv) तक में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप के लिए परिसर का प्रबंध करना या उसे किराए पर देना,

PTS JODHPUR

सिवाय उनके जिन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश, या जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, निबंधन या प्राधिकरण के अधीन अनुज्ञात किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(1) पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषण करना ;

(2) पूर्व वर्णित क्रियालापों में से किसी के करने को अग्रसर करने में या समर्थन में दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करना ; और

(3) पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी में लगे व्यक्तियों को संश्रय देना ;,

(ix) अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन से अभिप्रेत है,–

(क) स्वापक ओषधि एकल कन्वेंशन, 1961, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1961 में न्यूयार्क में अंगीकार किया गया था ;

(ख) उपखंड (क) में वर्णित कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकाल, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1972 में जेनेवा में अंगीकार किया गया था ;

(ग) मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी, 1971 में वियना में अंगीकार किया गया था ; और

(घ) स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित किसी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन का संशोधन करने वाला कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या प्रोटोकाल या अन्य लिखत जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् भारत द्वारा अनुसमर्थन या अंगीकार किया जाए ;

(x) स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में विनिर्माण" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,–

(1) उत्पादन से भिन्न ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा ऐसी ओषधियां या पदार्थ प्राप्त किए जाएं ;

(2) ऐसी ओषधियों या पदार्थों का परिष्करण ;

(3) ऐसी ओषधियों या पदार्थों का रूपांतरण ; और

(4) ऐसी ओषधियों या पदार्थों के साथ या उनको अंतर्विष्ट करने वाली निर्मितियों का (नुस्खे के आधार पर किसी फार्मेसी में से अन्यत्र) बनाया जाना ;

(xi) विनिर्मित ओषधि से अभिप्रेत है–

(क) कोका के सभी व्युत्पाद, ओषधीय कैनेबिस, अफीम के व्युत्पाद और पोस्त तृण सांद्र ;

(ख) ऐसा कोई अन्य स्वापक पदार्थ या निर्मिति, जिसको केन्द्रीय सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अधीन किसी विनिश्चय को यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्मित ओषधि घोषित करे,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई स्वापक पदार्थ या निर्मिति नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अधीन उसकी प्रकृति के या किसी विनिश्चय के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसचूना द्वारा, विनिर्मित ओषधि न घोषित करे ;

(xii) ओषधीय कैनेबिसष अर्थात् ओषधीय हैम्प से कैनेबिस (हैम्प) का कोई सार या टींक्चर अभिप्रेत है ;

(xiii) स्वापक आयुक्त से धारा 5 के अधीन नियुक्त स्वापक आयुक्त अभिप्रेत है ;

(xiv) स्वापक ओषधि से कोका की पत्ती, कैनेबिस (हैम्प), अफीम, पोस्त तृण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सभी विनिर्मित ओषधियां हैं ;

(xv) अफीम से अभिप्रेत है,–

(क) अफीम पोस्त या स्कंदित रस ; और

(ख) अफीम पोस्त के स्कंदित रस का कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई निर्मिति नहीं है जिसमें 0.2 प्रतिशत से अनधिक मार्फीन हो ;

(xvi) अफीम के व्युत्पाद से अभिप्रेत है,–

(क) ओषधीय अफीम अर्थात् ऐसी अफीम जिसका भारतीय भेषजकोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य भेजकोष की अपेक्षाओं के अनुसार ओषधीय प्रयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रसंस्कार कर दिया जाता है, चाहे वह चूर्ण के रूप में या कणिका के रूप में या अन्यथा हो अथवा निष्प्रभावी पदार्थों से मिश्रित हो ;

PTS JODHPUR

(ख) निर्मित अफीम अर्थात् अफीम को ध्रूमपान के उपयुक्त सार में रूपांतरित करने के लिए परिकल्पित किन्हीं क्रमबद्ध संक्रियाओं द्वारा अभिप्राप्त अफीम का कोई उत्पाद और अफीम का धूम्रपान करने के पश्चात् बचा हुआ कोई मंडूर या अन्य अवशेष ;

(ग) फिनेंथ्रीन ऐल्केलाइड, अर्थात् मार्फीन, कोडीन, थिबेन और उनके लवण ;

(घ) डाइऐसीटल मार्फीन अर्थात् ऐल्केलाइड जिसे डाइ–मार्फीन या हिरोइन कहा जाता है और उसका लवण ; और

(ङ) सभी निर्मितियां, जिनमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मार्फीन या डाइऐसीटल मार्फीन हो ;

(xvii) अफीम पोस्त" से अभिप्रेत है,–

(क) पैपेवर सोन्नीफेरम एल० जातियों का पौधा ; और

(ख) पैपेवर की किसी अन्य जाति का पौधा जिससे अफीम या फिनेंथ्रीन ऐल्केलाइड निकाला जा सकता है और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्त घोषित करे ;

(xviii) पोस्त तृण से फसल कटाई के पश्चात् अफीम पोस्त के (बीजों के सिवाय) सभी भाग अभिप्रेत हैं चाहे वे मूल रूप में या कटे हुए, संदलित या चूर्णित हों और चाहे उनमें से रस निकाला गया हो या न निकाला गया हो ;

(xix) पोस्त तृण सांद्र से अभिप्रेत है उस समय उत्पन्न पदार्थ जब पोस्त तृण का उसके ऐल्केलाइड के सांद्रण के लिए प्रसंस्कार प्रारम्भ कर दिया गया हो ;

(xx) स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के सम्बन्ध में निर्मितिष से अभिप्रेत है खुराक के रूप में कोई एक या अधिक ऐसी ओषधियां या पदार्थ या ऐसी एक या अधिक ओषधियां या पदार्थ को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई घोल या मिश्रण चाहे वह किसी भी भौतिक स्थिति में हो ;

(xxi) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(xxii) उत्पादन से अफीम, पोस्त तृण कोका की पत्तियों या कैनेबिस का ऐसे पौधों से, जिनसे वे प्राप्त होते हैं, पृथक् किया जाना अभिप्रेत है ;

(xxiii) मनःप्रभावी पदार्थष से अभिप्रेत है कोई प्राकृतिक या संश्लिष्ट पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित निर्मिति ;

[(xxiiiक) स्वापक ओषधी और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में अल्प मात्रा से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से न्यूनतर कोई मात्रा अभिप्रेत है ;,

(XXiv) अन्तरराज्यिक आयातष से भारत के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से लाना अभिप्रेत है ;

(XXv) भारत में आयातष से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारत में किसी पत्तन या विमानपत्तन या स्थान में ऐसी कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ लाना है, जिसे ऐसे किसी जलयान, वायुयान, यान या किसी अन्य प्रवहण से, जिसमें उसका वहन किया जा रहा है, हटाए बिना भारत के बाहर ले जाने का आशय है ।

स्पष्टीकरण–इस खंड और खंड (XXvi) के प्रयोजनों के लिए भारत के अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड हैं ;

(XXvi) भारत से निर्यात से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, भारत के बाहर किसी स्थान तक भारत से बाहर ले जाना अभिप्रेत है ;

(XXvii) अन्तरराज्यिक निर्यात से भारत के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ले जाना अभिप्रेत है ;

(XXviii) परिवहन से उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है ;

[(XXviiiक) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में, उपयोग से व्यक्तिगत उपयोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपयोग अभिप्रेत है ;,

PTS JODHPUR

(XXiX) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में हैं ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (v), खण्ड (vi), खण्ड (Xv) और खण्ड (Xvi)के प्रयोजनों के लिए द्रव निर्मितियों की दशा में प्रतिशतता का परिकलन इस आधार पर किया जाएगा कि उस निर्मिति से जिसमें पदार्थ का एक प्रतिशत है ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जिसमें उस पदार्थ का, यदि वह ठोस है तो, एक ग्राम या उस पदार्थ का यदि वह द्रव है तो एक मिलिटर, उस निर्मिति के प्रत्येक एक सौ मिलीलिटर में अन्तर्विष्ट है और यही अनुपात किसी अधिक या कम प्रतिशतता के लिए होगा

परन्तु केन्द्रीय सरकार, द्रव निर्मितियों में प्रतिशतताओं की संगणना की पद्धतियों के क्षेत्र में हुए विकासों को ध्यान में रखते हुए, नियमों द्वारा, ऐसे कोई अन्य आधार विहित कर सकेगी जो वह ऐसी संगणना के लिए समुचित समझे ।

8. कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति—

(क) किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह; या

(ख) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती; या

(ग) किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भाण्डागारण, उपयोग, उपभोग, अन्तरराज्य आयात, अन्तरराज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानान्तरण,

चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, या प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है वहां ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार भी करेगा अन्यथा नहीं

परन्तु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भाण्डागारण, अन्तरराज्यिक आयात और अन्तरराज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे

[परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्ततृण के निर्यात को लागू नहीं होगी ।,

[8क. अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति, —

(क) किसी संपत्ति का यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति, उस संपत्ति का अवैध उद्गम छिपाने या उसके रूपान्तरण के प्रयोजन के लिए या अपराध के किए जाने में किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए या विधिक परिणामों से बचने के लिए, इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से या ऐसे अपराध में भाग लेने के किसी कार्य से व्युत्पन्न की गई है, संपरिवर्तन या अंतरण नहीं करेगा; या

(ख) किसी संपत्ति की सही प्रकृति, स्रोत, अवस्थिति, व्ययन को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई है, नहीं छिपाएगा या उसका रूप नहीं बदलेगा; या

(ग) जानते हुए कि ऐसी संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई थी, अर्जन नहीं करेगा, उसे कब्जे में नहीं रखेगा या उसका उपयोग नहीं करेगा ।,

20. कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड—जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में, —

(क) किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करेगा; या

(ख) कैनेबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा;

[(i) जहां उल्लंघन खंड (क) के संबंध में है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; और

PTS JODHPUR

(ii) जहां उल्लंघन खंड (ख) के संबंध में है, –
(अ) और अल्पमात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ख्एक वर्ष, तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से,
(आ) और जहां वाणिज्यिक मात्रा से कम किंतु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा,
(इ) और जहां वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा,
दंडनीय होगा
परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।,

एनडीपीएस एक्ट 1985 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को दो भागों में बांटा जा सकता है :–
1.प्रक्रियागत प्रावधान
2.अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान
प्रक्रियागत प्रावधान –एनडीपीएस एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान प्रक्रियागत प्रावधान है। इन्ही महत्वपूर्ण प्रावधानों की पालना करने से मुलजिम को सजा दिलाई जा सकती है तथा इन प्रावधानों की पालना नहीं होने से मुलजिम को फायदा मिलने के पूर्ण संभावना रहती है। अतः इन प्रक्रियागत प्रावधानों की जानकारी होना तथा इनकी नियमानुसार पालना किया जाना नितान्त आवश्यक है। महत्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रावधान इस प्रकार हैः–
1.धारा 41 एनडीपीएस एक्ट
2.धारा 42 एनडीपीएस एक्ट
3.धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट
4.धारा 43 एनडीपीएस एक्ट
5.धारा 49 एनडीपीएस एक्ट
6.धारा 50 एनडीपीएस एक्ट
7.धारा 52 एनडीपीएस एक्ट
8.धारा 52(ए) एनडीपीएस एक्ट
9.धारा 55 एनडीपीएस एक्ट
10.धारा 57 एनडीपीएस एक्ट
11.धारा 57(ए) एनडीपीएस एक्ट
12.धारा 58 एनडीपीएस एक्ट
13.धारा 67 एनडीपीएस एक्ट
धारा 41 एनडीपीएस एक्ट –जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी मकान, भवन या किसी बन्द स्थान पर कोई मादक पदार्थ होने की सूचना है तो ऐसा पुलिस अधिकारी किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक से उस स्थान की तलाशी लेने हेतु वारण्ट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रार्थना पत्र में तलाशी लिये जाने के कारणों को अंकित करेगा।
❖धारा 41(1) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट तथा धारा 41(2) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वारण्ट जारी किया जा सकता है।
❖राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या F.1(3)FD/EX/85-1 Date 16.10.1986 द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को धारा 41(2) के अन्तर्गत वारण्ट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है :–
1.जिला कलेक्टर
2.जिला पुलिस अधीक्षक
3.जिला आबकारी अधिकारी
4.उपखण्ड मजिस्ट्रेट

PTS JODHPUR

5.तहसीलदार

❖पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर उक्त प्राधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारण्ट जारी कर तलाशी लेने हेतु प्राधिकृत कर सकते है।

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट–यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि वारण्ट लिये जाने में विलम्ब हो सकता है तथा मादक पदार्थ खुर्द बुर्द किये जाने की संभावना है तो कारण प्रदर्शित करते हुए तलाशी ले सकता है।

❖ऐसे स्थान की तलाशी में कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो वह पुलिस अधिकारी उन्हे नियमानुसार अभिग्रहित कर सकेगा।

❖ऐसे स्थान की तलाशी के दौरान कोई व्यक्ति पाया जावे जिसके कब्जे में उक्त मादक पदार्थ होना पाया गया है उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

❖राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या F.1(3)FD/EX/85-II Date 16.10.1986 द्वारा पुलिस उप निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक जो थानाधिकारी के रुप में कार्य कर रहे है, उन्हे धारा 42 के अन्र्तगत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।

❖इस धारा के अन्र्तगत कार्यवाही करने वाला अधिकारी बिना वारण्ट तलाशी, जब्ती तथा गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच ही कर सकता है।

❖वर्ष 2014 में किए गए संशोधनों के अनुसार विनिर्मित औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थ या नियन्त्रित पदार्थ के संबंध में जारी की गई अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्ति धारक के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को दिया गया है।

धारा 43 एनडीपीएस एक्ट–धारा 43 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी लोक स्थान में ऐसे किसी व्यक्ति को डिटेन कर तलाशी ले सकता है जिसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना हो। यदि उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ मिलता है तो वह उस मादक पदार्थ को नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट –जब किसी अधिकारी को अवैध मादक पदार्थो के बारे में सूचना मिलती है तो वह प्राप्त सूचना को रोजानामचा में या अन्य किसी विधि से अंकित करेगा तथा प्राप्त सूचना की प्रति अपने अव्यवहित उच्च अधिकारी को भेजेगा।

❖यह सूचना 72 घण्टे में भिजवाई जानी चाहिए।

❖यदि सूचना थाने से बाहर मिलती है तो थानाधिकारी उस सूचना को एक कागज पर लिखेगा तथा उसकी प्रति नियमानुसार भेजेगा।

❖सूचना 72 घण्टे में भेजी जा सकती है किन्तु प्रकरण की सफलता के लिए यह सूचना तुरन्त विशेष वाहक द्वारा भिजवाई जानी चाहिए।

❖सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए।

❖भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए।

❖जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर संपूर्ण हालात अंकित करने चाहिए।

❖सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए।

❖प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

धारा 49 एनडीपीएस एक्ट –एनडीपीएस एक्ट की धारा 49 के अन्र्तगत इस अधिनियम के अन्र्तगत प्राधिकृत अधिकारी को संदेह करने का कारण है कि किसी जीवजन्तु या प्रवहण/वाहन का उपयोग मादक पदार्थों के परिवहन के लिए किया जा रहा है जो ऐसा अधिकारी उस जीवजन्तु या प्रवहण/वाहन को रोक सकता है।

❖वह अधिकारी ऐसे वाहन की तलाशी ले सकता है।

❖यदि ऐसा वाहन नहीं रुकता है तो उसे रोकने के लिए समस्त विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग कर सकता है।

धारा 50 एनडीपीएस एक्ट –जब किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ की सूचना पर डिटेन किया जाता है तो इस धारा के तहत उस व्यक्ति को तलाशी लेने वाला अधिकारी तुरन्त किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित

अधिकारी के पास ले जावेगा या मजिस्टेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति की तलाशी लेगा।

❖जब तक कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं होता है या उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जाता उस व्यक्ति को तब तक डिटेन रखा जा सकता है।

❖इस धारा के तहत किसी स्त्री की तलाशी केवल महिला के द्वारा ही ली जावेगी।

❖यदि किसी कारण से डिटेनशुदा व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जा सकता या कोई मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो तलाशी लेने वाला अधिकारी उस व्यक्ति को 50 का नोटिस देकर स्वयं तलाशी ले सकता है तथा उक्त कारणों की सूचना 72 घण्टे के अन्दर अपने उच्चाधिकारियों को देगा।

❖यह धारा केवल किसी व्यक्ति की जामा तलाशी में ही लागू होती है। किसी मकान, वाहन आदि की तलाशी में धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होतें है।

❖यदि आकस्मिक चैकिंग के दौरान कोई मादक पदार्थ बरामद होते हैं तो धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते है अर्थात् यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना है तो ही उस व्यक्ति की तलाशी के संबंध में ये प्रावधान लागू होंगे।

❖यदि मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी रेड पार्टी का सदस्य है तो उसके समक्ष ली गई तलाशी इस धारा की अनुपालना नहीं मानी जावेगी।

❖यदि व्यक्ति की तलाशी इस धारा के तहत ली गई है और धारा 50 का नोटिस लिखित में दिया गया है तो वक्त गिरफ्तारी धारा 50 नोटिस की प्रति उस व्यक्ति की जामा तलाशी में मिलना एक अच्छी साक्ष्य होगी।

❖धारा 50 का नोटिस दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिया जाना चाहिए।

<u>धारा 52 एनडीपीएस एक्ट</u> –एनडीपीएस एक्ट की धारा 52 की उपधारा 1 के अधीन ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अर्न्तगत गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार करने वाला अधिकारी गिरफ्तारी के आधारों से अवगत करवायेगा।

❖इस आशय का उसे एक नोटिस दिया जाएगा।

<u>धारा 52(ए) एनडीपीएस एक्ट</u> –एनडीपीएस एक्ट की धारा 52(ए) के अर्न्तगत कार्यवाही के दौरान अधिगृहीत किए गए मनः प्रभावी पदार्थों तथा स्वापक औषधियों के व्ययन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

❖इस धारा के अधीन जब्त शुदा मादक पदार्थो की एक तालिका तैयार की जाएगी जिसमें उसका वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने का ढंग, चिन्हांकन आदि का विवरण दिया जाएगा।

❖इस तालिका के साथ किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को निवेदन किया जाएगा। मजिस्ट्रेट इस आवेदन पर –

1.ऐसे जब्तशुदा मादक पदार्थों का प्रमाणन करेगा।
2.प्रमाणन की कार्यवाही की फोटोग्राफी करवाई जाएगी।
3.ऐसे जब्त शुदा मादक पदार्थों में से नमूने लेगा।

❖मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार लिए गए नमूने तथा फोटोग्राफ अपराध के विचारण में प्राथमिक साक्ष्य माने जाऐंगें।

<u>धारा 53 एनडीपीएस एक्ट</u> – पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां कुछ विभागों के अधिकारियों में विनिहित करने की शक्तियां–(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व अधिसूचना ख्या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग जिसके अंतर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी है, अथवा ऐसे अधिकारियों के किसी वर्ग में विनिहित कर सकेगी ।

❖(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, ओषधि नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद–शुल्क

विभागों ख्या किसी अन्य विभाग, के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी ।

❖ **[53क. कतिपय परिस्थितियों में कथनों की सुसंगति**–(1) अपराधों का अन्वेषण करने के लिए धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष, ऐसे अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कोई कथन उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों की सत्यता साबित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, सुसंगत होगा, –

❖ (क) जब ऐसा कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या प्रतिपक्ष द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है या जिसकी उपस्थिति इतने विलंब के व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में, न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है; या

❖ (ख) जब कथन करने वाले व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में परीक्षा की जाती है और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में, कथन का साक्ष्य में ग्रहण कर लिया जाना चाहिए ।

❖ (2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में, जो किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न है, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में लागू होते हैं ।,

<u>धारा 55 एनडीपीएस एक्ट</u>

❖ जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई मादक पदार्थ जब्त किये जाते हैं तो वह पुलिस अधिकारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को इस धारा के तहत पुलिस थाने में सुरक्षित रखवाएगा।

❖ इस प्रक्रिया के तहत जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा थाने के मालखाना प्रभारी को लिखित में एक नोटिस देगा जिस पर जब्त की गई समस्त वस्तुओं का विवरण अंकित होगा।

❖ मालखाना प्रभारी जब्तशुदा मादक पदार्थों को थाने की सील से पुनः सील मोहर कर मालखाना रजिस्टर में उसकी प्रविष्टी कर माल को सुरक्षित रखेगा।

❖ जब माल को पुनः सील किया जावेगा तो उसकी एक फर्द पृथक से बनाई जावेगी तथा उस समय जिस अधिकारी के पास थाने का चार्ज है वह उस फर्द पर अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही पुनः सील की कार्यवाही पर भी अपने हस्ताक्षर करेगा।

❖ जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा मालखाना प्रभारी को जो नोटिस दिया जावेगा उस पर मालखाना प्रभारी द्वारा मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टि का क्रमांक अंकित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट उस नोटिस पर लिखेगा।

❖ मालखाना से नमूना सेम्पल 48 घण्टे के अन्दर रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने चाहिए।

❖ मालखाना रजिस्टर में माल रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे जाने व माल जमा करवाकर वाहक के वापस आने की प्रविष्टी करने सहित संपूर्ण प्रविष्टियां करने के पश्चात् मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि को शामिल फाईल किया जाना चाहिए।

❖ मालखाना प्रभारी तथा माल जमा कराने वाले वाहक को गवाह सूची में अवश्य रखना चाहिए।

<u>धारा 57 एनडीपीएस एक्ट</u>

❖ जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तथा उसके कब्जे से मादक पदार्थ जब्त करता है तो वह संपूर्ण कार्यवाही की सूचना 48 घण्टे में अपने अव्यवहित अधिकारी को भेजेगा।

❖ सूचना लेकर जाने वाले विशेष वाहक की रोजनामचा में रवानगी करनी चाहिए।

❖ भेजी जाने वाली सूचना पर डिस्पेच नम्बर अंकित कर डिस्पेच रजिस्टर में प्रविष्टि कर पत्र वाहक के हस्ताक्षर करवाने चाहिए।

❖ जब पत्रवाहक पत्र देकर वापस आये तो रोजनामचा में वापसी कर संपूर्ण हालात अंकित करने चाहिए।

❖ सूचना ले जाने वाले विशेष वाहक को गवाह सूची में रखना चाहिए।

❖ प्राप्ति रसीद को भी पत्रावली पर रखना चाहिए।

PTS JODHPUR

धारा 57(ए) एनडीपीएस एक्ट

❖जब किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अर्न्तगत किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक मात्रा के अपराधों या धारा 19, 24 या 27ए के अपराध के अर्न्तगत गिरफ्तार किया जाता है तो वह अधिकारी उसके द्वारा अवैध मादक पदार्थो से अर्जित सम्पत्तियों की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा।

धारा 58 एनडीपीएस एक्ट

❖एनडीपीएस एक्ट की धारा 58 की उपधारा 1 के अधीन यदि कोई प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अर्न्तगत प्राधिकृत किया गया है, सदेह के युक्तियुक्त आधार के बिना किसी स्थान की तलाशी लेगा या व्यक्ति को अनाधिकृत रुप से निरुद्ध करेगा या उसकी तलाशी लेगा या उसे अनावश्यक रुप से गिरफ्तार करेगा वह छह माह तक के कारावास तथा एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

❖धारा 58 की उपधारा 2 के अधीन कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जानबूझकर दुर्भाव से मिथ्या इत्तला देगा और उसके अधीन इस प्रकार कोई गिरफ्तारी या तलाशी करवायेगा वह दो वर्ष तक के कारावास या जुर्मान या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा 67 एनडीपीएस एक्ट

❖यह धारा इस अधिनियम के अर्न्तगत अभियुक्त के कथनों की सुसंगति के संबंध में है।

❖जब किसी व्यक्ति की तलाशी में अवैध मादक पदार्थ मिलते है तो उसकी गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस अधिकारी उससे मादक पदार्थों के संबंध में जानकारी मांग सकता है।

❖इस संबंध में उसे नोटिस दिया जाकर जानकारी मांगी जा सकती है।

❖नोटिस के पश्चात् उसके द्वारा दी गई जानकारी को रिकार्ड पर लिया जा सकता है।

❖अभियुक्त द्वारा उसके द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व दी गई जानकारी सुसंगत होगी।

अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान

1.धारा 15 एनडीपीएस एक्ट
2.धारा 18 एनडीपीएस एक्ट
3.धारा 19 एनडीपीएस एक्ट
4.धारा 20 एनडीपीएस एक्ट
5.धारा 21 एनडीपीएस एक्ट
6.धारा 24 एनडीपीएस एक्ट
7.धारा 25 एनडीपीएस एक्ट
8.धारा 26 एनडीपीएस एक्ट
9.धारा 27 एनडीपीएस एक्ट
10.धारा 27(a) एनडीपीएस एक्ट
11.धारा 29 एनडीपीएस एक्ट
12.धारा 30 एनडीपीएस एक्ट
13.धारा 31(a) एनडीपीएस एक्ट
14.धारा 32 (a) एनडीपीएस एक्ट
15.धारा 36 (a) (4) एनडीपीएस एक्ट
16.धारा 37 एनडीपीएस एक्ट

अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान

❖एनडीपीएस एक्ट में अपराध व दण्ड संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सन् 2001 में एनडीपीएस एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिसमें मादक पदार्थों को तीन श्रेणियों में बांटा गया :–

1.अल्प मात्रा
2.अल्प मात्रा व वाणिज्यिक मात्रा के मध्य की मात्रा (मध्यम मात्रा)
3.वाणिज्यिक मात्रा

❖नये संशोधनों के तहत धारा **36 (a) एनडीपीएस एक्ट** के तहत अल्प मात्रा से संबंधित मामलों का विचारण किसी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है।

PTS JODHPUR

❖**धारा 36 एनडीपीएस एक्ट** के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा मध्यम मात्रा तथा वाणिज्यिक मात्रा के मामलों का विचारण किया जावेगा।

❖**धारा 36 (a) (4)** के तहत अल्प मात्रा व मध्यम मात्रा के अपराधों के लिए अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 60 दिन तथा वाणिज्यिक मात्रा के अपराध तथा धारा 19, 24 तथा 27 (a) के अपराधों के लिए यह अवधि 180 दिन की होगी तथा यह अवधि कारण प्रदर्शित करते हुए एक साल तक के लिए बढाई जा सकती है।

धारा 15 एनडीपीएस एक्ट

❖धारा 15 के अन्तर्गत पोस्त तृण या डोडा चूरा के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। **पोस्त तृण या डोडा चूरा के लिए अल्प मात्रा 1 किलोग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 50 किलोग्राम है।**

❖**अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** एक वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖**मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–**एक वर्ष से10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖**वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–**10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 18 एनडीपीएस एक्ट

❖धारा 18 के अन्तर्गत अफीम के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। **अफीम के लिए अल्प मात्रा 25 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 2.5 किलोग्राम है।**

❖**अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** एक वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖**मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–**एक वर्ष से10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖**वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–**10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 19 एनडीपीएस एक्ट

❖इस धारा के तहत यदि किसी खेतिहर या किसान द्वारा, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अफीम की खेती का लाइसेन्स दिया गया है, उत्पादित अफीम का गबन करता है या उसका अवैध व्ययन करता है तो उसे 10 से 20 वर्ष तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 20 एनडीपीएस एक्ट

❖धारा 20 के अन्तर्गत गांजा, चरस, हशीश आदि के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है।

❖**चरस, हशीश आदि के लिए अल्प मात्रा 100 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 1 किलोग्राम है।**

❖**गांजा के लिए अल्प मात्रा 1 किलोग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम है।**

❖**अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** एक वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖**मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–**एक वर्ष से10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖**वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–**10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 21 एनडीपीएस एक्ट

❖धारा 21 के अन्तर्गत स्मैक, हेरोइन आदि विनिर्मित मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, क्रय, विक्रय, कब्जा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। **स्मैक, हेरोइन आदि विनिर्मित पदार्थो के लिए अल्प मात्रा 5 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है।**

❖**अल्प मात्रा के लिए दण्ड :–** एक वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनो

❖**मध्यम मात्रा के लिए दण्ड :–**एक वर्ष से10 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना

❖**वाणिज्यिक मात्रा के लिए दण्ड :–**10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 24 एनडीपीएस एक्ट

PTS JODHPUR

❖धारा 24 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के स्वापक औषधियों का भारत से बाहर आयात निर्यात करेगा वह 10 से 20 साल तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 25 एनडीपीएस एक्ट

❖धारा 25 के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के तहत दण्डित किसी अपराध को करने के लिए करता है या सहयोग करता है तो वह उसी अपराध के दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 26 एनडीपीएस एक्ट

❖धारा 26 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत यदि किसी लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है वह तीन वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

धारा 27 एनडीपीएस एक्ट

धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत मादक पदार्थों के उपयोग के लिए दण्ड का प्रावधान है। इस धारा के तहत :–

❖यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोकिन, मार्फिन आदि अधिसूचित पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास तथा बीस हजार रुपये तक के कारावास या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

❖अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के लिए 6 माह तक के कारावास तथा दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

धारा 27(a) एनडीपीएस एक्ट–धारा 27 (a) एनडीपीएस के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है या ऐसे व्यापार का वित्त पोषण किया जाता है तथा अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों को संश्रय दिया जाता है तो वह 10 से 20 वर्ष तक के कारावास तथा 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जावेगा। यह जुर्माना इससे अधिक भी हो सकता है।

धारा 29 एनडीपीएस एक्ट–धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी भी मादक पदार्थ के अवैध व्यापार का दुष्प्रेरण करता है या आपराधिक षडयन्त्र का पक्षकार बनता है तो वह उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 30 एनडीपीएस एक्ट–धारा 30 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में किये जाने वाले अपराधों या धारा 19, 24 तथा 27 ;द्ध में दण्डित अपराधों के किये जाने की तैयारी करता है या अपराध को किए जाने का प्रयास करता है तो वह उस अपराध के दण्ड के आधे दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 31 (a) एनडीपीएस एक्ट–इस धारा के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में किये जाने वाले अपराधों या धारा 19, 24 तथा 27 ;द्ध में दण्डित अपराधों में पूर्व में दोषसिद्ध किया गया हो तथा पुनः इस प्रकार के लिए दोषी पाया जावे तो उसे मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है।

धारा 32 (a) एनडीपीएस एक्ट –इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए किसी भी दण्डादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण नहीं होगा। अर्थात् यदि इस अधिनियम के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए दण्डित किया गया है तो किसी भी परिस्थिति में उस दण्ड को कम नहीं किया जा सकता है।

धारा 37 एनडीपीएस एक्ट

❖धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

❖राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बेल एप्लीकेशन क्रमांक 13423/2019 राजकुमार बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय देते हुए तीन वर्ष तक मामलों को जमानतीय मानते हुए आदेश पारित किए है।

मादक पदार्थ की जब्ती की कार्यवाही के संबंध में चैक लिस्ट

1.मुखबिर से प्राप्त सूचना की रोजनामचा में प्रविष्टि करना।

2.धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना का पत्र तैयार करना।

3.थाने के डिस्पेच रजिस्टर में पत्र डिस्पेच कर डिस्पेच नं. अंकित करना।

PTS JODHPUR

4.धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट में सूचना देने हेतु कानिस्टेबल की रवानगी।
5.कार्यवाही हेतु एस.एच.ओ. की रवानगी मय पर्याप्त जाब्ता मय अनुसंधान बॉक्स मय लैपटॉप व अन्य सामग्री। (आवश्यकतानुसार)
6.तलाशी हेतु स्वतन्त्र गवाह तलब करना (हुक्मनामा)।
7.यथा संभव गवाह स्थानीय होने चाहिए।
8.गवाह उपलब्ध होने पर लिखित में सहमति लेना।
9.सहमति लेने के पश्चात गवाहान की नियुक्ति करना।
10.मौके पर पहुंच कर संदिग्ध को डिटेन करना।
11.संदिग्ध को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देना।
12.संदिग्ध से लिखित में अभिमत प्राप्त करना (सेकंड कॉपी पर)।
13.मौके पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाना/नोट सहमति।
14.राजपत्रित अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर हालात बताना व गवाहान तथा संदिग्ध के बारे में जानकारी देना।
15.स्वंय की व गवाहान की तलाशी लिवाना (संदिग्ध से)।
16.संदिग्ध को चैक करना/ 50 एन.डी.पी.एस. के नोटिस को जामा तलाशी से जप्त करना।
17.बरामद मादक पदार्थ को चैक कर मादक पदार्थ की पहचान करना।
18.बरामद मादक पदार्थ का तौल करना।
19.बरामद मादक पदार्थो में से सैम्पल निकालना।
20.मादक पदार्थ को सील करना।
21.मुलजिम की गिरफ्तारी से पूर्व उसके धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के कथन दर्ज करना।
22.मुलजिम को गिरफ्तारी के आधारों से अवगत करवा कर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत नोटिस देना।
23.अभियुक्त को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार करना।
24.फर्द गिरफतारी में 50 एनडीपीएस के नोंटिस की मूल प्रति को जब्त करना।
25.मौके पर नमूना सील की फर्द तैयार करना।
26.मौके से मय कागजात मय मुलजिम मय आर्टिकल रवानगी।
27.थाने पर वापसी की रोजनामचा में विस्तृत विवरण सहित प्रविष्टि।
28.धारा 42 (2) एनडीपीएस की सूचना देने गए कानि. की वापसी करना।
29.माल को धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मालखाने में जमा करना।
30.माल को पुनः सील मोहर करना।
31.मुलजिम को बन्द हवालात कर गिरफ्तारी रजिस्टर में प्रविष्टि।
32.एफआईआर व एसआर जारी करना।
33.धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना लेखबद्ध करना।
34.थाने के डिस्पेच रजिस्टर में पत्र डिस्पेच कर पत्र पर डिस्पेच नं. अंकित करना।
35.धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना देने हेतु कानि. की रवानगी करना।
36.अनुसंधान हेतु थानाधिकारी को रेडियोग्राम भेजना।
37.माल एफएसएल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र तैयार करना।
38.48 घण्टे के अन्दर माल परिक्षण हेतु एफएसएल भेजना।
39.धारा 57 एनडीपीएस की सूचना देने गए कानि की वापसी करना।
40.थाने के वाहन की लोग बुक तैयार कर प्रति शामिल करना।
41.मालखाना रजिस्टर की प्रति शामिल करना।

PTS JODHPUR

42.रोजनामचा आम में कार्यवाही के संबंध में डाली गई रपटों की प्रति शामिल करना।
43.श्रीमान सीओ साहब के वाहन की लोग बुक की प्रति शामिल करना।

नकल रपट रोजनामचा आम

पुलिस थाना शास्त्री नगर जिला जयपुर (उत्तर)

रपट नं. दिनांक समय	मजमून रिपोर्ट	खुलासा रिपोर्ट	आदेश
1	2	3	4
141 06—11—2019 10:15 एएम	इस समय मुखबिर खास ने सूचना दी है कि एक व्यक्ति जिसने काले रंग की जर्सी पहनी हुई है तथा बादामी रंग की पेंट पहने हुए है। हाथ में काले रंग का बैग है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूँछें हैं तथा रंग गेहूंआ है। यह व्यक्ति पानी पेच चौराहे के पास खड़ा है। तथा उसके पास जो काला बैग है उसमें स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। जिसे यदि तुरन्त चैक किया जावे तो स्मैक बरामद हो सकती है। चूंकि इत्तला अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुरुप विधिक कार्यवाही की जाएगी। रपट दर्ज है।	सूचना मुखबिर	
142 10.20 एएम	इस समय कानि. रमेश चन्द्र को धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की सूचना पत्रांक 4524—25 दिनांक 06.11.2019 दिया जाकर श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्रीनगर को देने हेतु रवाना किया गया। कानि. को मुनासिब हिदायत दी गई	रवानगी कानि. रमेश चन्द्र	
143 10.25 एएम	इस समय मन थानाधिकारी मय जाब्ता श्री कैलाश चन्द्र स0उ0नि0, श्री धूकलराम कानि0 545, श्री किशनलाल कानि0 1045, श्री रूपाराम कानि0 1145, श्री हरिसिंह कानि0 160 मय जीप सरकारी मय चालक श्री सीताराम कानि0 848 मय अनुसंधान बॉक्स मय लैपटॉप मय प्रिन्टर मय पोर्टेबल इनवर्टर के रपट संख्या 141 पर प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु रवाना हुआ। चार्ज थाना श्री महेन्द्र सिंह उप निरीक्षक के सुपुर्द किया गया।	रवानगी एसएचओ मय जाप्ता	

PTS JODHPUR

कार्यालय थानाधिकारी थाना शास्त्री नगर, जयपुर शहर (दक्षिण)

क्रमांक :– 4524–25 दिनांक :– 06.11.2019

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

सेवा में,
श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त
शास्त्री नगर
जयपुर शहर (दक्षिण)

विषयः– सूचना अन्तर्गत धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से निवेदन है कि आज दिनांक 06.11.2019 को समय 10.15 ए.एम. पर जर्ये टेलिफोन मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति जिसने काले रंग की जर्सी पहनी हुई है तथा बादामी रंग की पेंट पहने हुए है। हाथ में काले रंग का बैग है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूँछें हैं तथा रंग गेहूंआ है। यह व्यक्ति पानी पेच चौराहे के पास खड़ा है। तथा उसके पास जो काला बैग है उसमें स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। जिसे यदि तुरन्त चैक किया जावे तो स्मैक बरामद हो सकती है। चूंकि इतला महत्वपूर्ण है अतः मन एस.एच.ओ. कार्यवाही हेतु रवाना हो रहा हूँ।

एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 42(2) के तहत प्राप्त सूचना की सूचना श्रीमान की सेवा में सादर अवलोकन व मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः–नकल रपट रोजनामचा आम

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

प्रतिलिपिः– श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय, जयपुर शहर (दक्षिण)

PTS JODHPUR

<u>फर्द तल्बी गवाहवान</u>

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,

वास्तेः—
श्री धूकल राम कानि0 545,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,

दिनांकः— 06.11.2019 समय 10.30 ए.एम.

कैम्पः— आरपीए तिराहा, सीकर रोड़, जयपुर।

विषयः— स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको आदेश दिया जाता है कि आज दिनांक 06.11.2019 को मन थानाधिकारी को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति जिसने काले रंग की जर्सी पहनी हुई है तथा बादामी रंग की पेंट पहने हुए है। हाथ में काले रंग का बैग है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूँछें हैं तथा रंग गेहूंआ है। यह व्यक्ति पानी पेच चौराहे के पास खड़ा है। तथा उसके पास जो काला बैग है उसमें स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। जिसे यदि तुरन्त चैक किया जावे तो स्मैक बरामद हो सकती है। इस सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता है। अतः आप आस—पास से दो स्वतंत्र गवाह तलाश कर प्रस्तुत करें।

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

कानि0 रिपोर्टः—

महोदय आदेश की पालना में आस—पास स्वतन्त्र गवाह तलाश किये गए। (1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी मकान नं. 213 नेहरू नगर व (2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा गवाह बनने के लिए तैयार है। जिन्हें हमराह लेकर आया हूँ। गवाहान मय रिपोर्ट के प्रस्तुत है।

धूकल राम

कानि0 545,

समयः— 10.35 ए.एम.

नोट :— उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

PTS JODHPUR

फर्द मामूरी गवाहान/फर्द सहमति गवाहान

ओर से,

थानाधिकारी,

पुलिस थाना शास्त्रीनगर,

वास्तेः–
(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर
(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा

दिनांकः– 06.11.2019

समयः– 10.40 ए.एम.

विषयः– गवाह बनने की सहमति देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि मन एस.एच.ओ. को सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति जिसने काले रंग की जर्सी पहनी हुई है तथा बादामी रंग की पेंट पहने हुए है। हाथ में काले रंग का बैग है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूँछें हैं तथा रंग गेहूंआ है। यह व्यक्ति पानी पेच चौराहे के पास खड़ा है। तथा उसके पास जो काला बैग है उसमें स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। जिसे यदि तुरन्त चैक किया जावे तो स्मैक बरामद हो सकती है। इस सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही की जानी है। यदि आप उक्त कार्यवाही में गवाह बनने के लिए सहमत हों तो कृपया अपनी सहमती लिखित में प्रदान करने की कृपा करें।

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

(1) मैं गवाह बनने को सहमत हूँ– हस्ता0 रतनाराम
(2) मैं गवाह बनने को सहमत हूँ– हस्ता0 महेश कुमार
श्री रतना राम व श्री महेश कुमार ने उक्त कार्यवाही में गवाह बनने हेतु अपनी सहमति लिखित में प्रदान की है। अतः श्री रतना राम व श्री महेश कुमार को गवाह नियुक्त किया जाता है।
एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

नोट :– उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

PTS JODHPUR

नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट

ओर से,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर,
जिला जयपुर शहर (दक्षिण)

वास्तेः—
श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा,
जिला झालावाड

दिनांकः— 06.11.2019

समयः— 10.55 ए.एम.

विषयः— नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

स्वतंत्र गवाहानः—

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।

(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष आप श्री इकराम खाँ को सूचित किया जाता है कि मन एस.एच.ओ. के मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि आपके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। इस हेतु आपकी तलाशी ली जानी है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी भी सक्षम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं इस हेतु उन्हे मौके पर बुलाया जा सकता है या आपको उनके पास ले जाया जा सकता है। यदि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट तलाशी के उचित आधार नहीं पाते है तो आपको तुरन्त छोड दिया जाएगा। इस संबंध में आप अपना अभिमत लिखित में प्रदान करें।

sd रतना राम sd महेश कुमार

sd इकराम खाँ एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

श्रीमान मैं अपनी तलाशी किसी भी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने के लिए सहमत हूँ।

sd इकराम खा

Verified by

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

sd रतना राम

sd महेश कुमार

PTS JODHPUR

नोट :— उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

रेडियोग्राम

प्रेषितिः—श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण)

सूचनार्थः— श्रीमान पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण)

प्रेषकः— थानाधिकारी थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण)

———————————————————————————————

महोदय,

आज दिनांक 06.11.2019 को प्रातः 10.15 एएम पर प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर पानीपेच तिराहे पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को डीटेन किया गया है। श्री इकराम खाँ ने धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने की सहमति प्रदान की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बतौर राजपत्रित अधिकारी यथाशीघ्र मौके पर पधारने की कृपा करें।

———————————————————————————————

THI 11.00 A.M.

QSL 11.10 A.M.

नोट :— उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

PTS JODHPUR

फर्द जामा तलाशी गवाहान व थानाधिकारी

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना दी जाकर मौके पर श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर को बुलाया गया है। मौके पर श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर व गवाहान श्री रतना राम व महेश कुमार भी उपस्थित हैं।

मन एस.एच.ओ. ने व दोनों गवाहान श्री रतना राम व महेश कुमार ने अपनी–अपनी तलाशी श्री इकराम खाँ को श्री मान सी.ओ. साहब कोतवाली की मौजूदगी में दी। सभी के बदन पर पहने हुए कपड़े व दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई है। श्री इकराम खाँ तलाशी से पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

sd श्रीमान सी.ओ. साहब कोतवाली

sd इकराम खाँ, आरोपी

sd रतना राम, गवाह 1

sd महेश कुमार, गवाह 2

एस.एच.ओ.
थाना शास्त्रीनगर
दिनांक 06.11.2019

समयः– 11.25 ए.एम.

नोट :– उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

PTS JODHPUR

फर्द चैकिंग एवं जब्ती

फर्द चैकिंग एवं जब्ती अवैध मादक पदार्थ स्मैक बकब्जे मुलजिम इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 06.11.2019 समय 12.30 पी.एम. केम्प पानीपेच तिराहा सीकर रोड़ जयपुर

रूबरू गवाहानः–

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।

(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन एस.एच.ओ. मय जाब्ता श्री कैलाश चन्द्र स0उ0नि0, श्री धूकलराम कानि0 545, श्री किशनलाल कानि0 1045, श्री रूपाराम कानि0 1145, श्री हरिसिंह कानि0 160 मय जीप सरकारी मय चालक श्री सीताराम कानि0 848 के थाने से 10.25 ए.एम. पर रवाना होकर आरपीए तिराहे पर पहुंचा। सूचना की तस्दीक व तलाशी की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु समय 10.30 ए.एम. पर श्री धूंकलराम कानि 545 को हुकुम नाम देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया जो समय 10.35 ए.एम पर मय गवाहान श्री रतना राम व श्री महेश कुमार के वापस आया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हुकुमनामा शामिल कागजात किया गया। समय 10.40 ए.एम. पर दोनों गवाहान से लिखित में सहमति प्राप्त कर गवाह नियुक्त किया गया। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। मय जाब्ता मय गवाहान मुताबिक सूचना मुखबिर पानीपेच तिराहा समय 10.50 ए.एम. पहुँचा जहां मुखबिर द्वारा बताऐ गये हुलिए का व्यक्ति नजर आया जो पुलिस गाड़ी को देखकर अपनी उपस्थिति छुपाने का प्रयास करने लगा जिसे डिटेन कर यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ का होना बताया। उक्त व्यक्ति से इस प्रकार जयपुर में घूमने तथा बैग में रखी वस्तुओं के संबंध में जानकारी चाही गई तो कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया तथा घबराहट से पसीने आने लगे। डिटेनशुदा इकराम खाँ के इस प्रकार के व्यवहार तथा मुखबिर की सूचना में काफी समानता नजर आ रही है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु इकराम खां की तलाशी ली जानी है। इकराम खां को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा समय 10.55 ए.एम. पर इकराम खाँ को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नोटिस देकर उसके के अधिकारों से अवगत कराया गया कि ''आप अपनी तलाशी किसी भी सक्षम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं इस हेतु उन्हे मौके पर बुलाया जा सकता है या आपको उनके पास ले जाया जा सकता है। यदि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट तलाशी के उचित आधार नहीं पाते है तो आपको तुरन्त छोड दिया जाएगा।'' इस पर इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति प्रदान की। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। चूँकि इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति दी है अतः बतौर राजपत्रित अधिकारी

PTS JODHPUR

मौके पर पधारने हेतु सरकारी जीप नं. आर.जे. 14 सी.सी. 9726 में लगे वायरलेस सेट से श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्रीनगर को रेडियाग्राम दिया गया। रेडियोग्राम की प्रति शामिल कागजात की गई। समय 11.20 ए.एम. पर श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर मौके पर पधारे जिन्हें समस्त हालात से अवगत कराया गया। गवाहान से परिचय करवाया गया। डिटेनशुदा इकराम खां से परिचय करवाया गया। इकराम खां को अवगत करवाया गया कि श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने के लिए सहमति प्रदान की है, सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर बतौर राजपत्रित अधिकारी उपस्थित है। तत् पश्चात मन एस. एच.ओ. व गवाहान ने अपनी तलाशी इकराम खां को एसीपी साहब की मौजूदगी में दी तो अलावा पहने हुए कपड़ों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु इस्तयाब नहीं हुई। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। स्वयं की व गवाहान की तलाशी देने के पश्चात मन एस.एच.ओ ने गवाहान व श्रीमान एसीपी साहब की मौजूदगी में इकराम खाँ को चैक किया तो पहनी हुई पैंट की जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल कागजात किया गया। इसके पश्चात बदन की तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ के कंधे में लटके हुए काले रंग के बैग को चैक करने पर एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली। जिसे खोलकर देखा तो भूरे रंग का पाउडर मिला जिसे सूंघा, परखा, चैक किया तो प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ स्मैक होना पाया गया। इकराम खाँ ने भी स्मैक होना बताया। इकराम खाँ से उक्त पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो कोई वैध लाइसेंस होना नहीं बताया। इस प्रकार उक्त इकराम खां द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे में रखना धारा 8/21 एन. डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से इकराम खां के पास मिली अवैध मादक पदार्थ स्मैक का हमराह लाए गए अनुसंधान बॉक्स में रखे तराजू से तौल किया गया तो मय बारदाना 540 ग्राम तथा शुद्ध वजन 500 ग्राम हुआ। उक्त स्मैक में से 20–20 ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकाले जाकर छोटी पारदर्शी थैलियों में पृथक–पृथक सील मोहर कर क्रमशः मार्क A व B दिया गया। शेष 460 ग्राम स्मैक को पृथक से पारदर्शी थैली में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क C दिया गया। इकराम खां को उसके जुर्म से अवगत करवाया जाकर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के तहत सूचना दी गई। धारा 52 एनडीपीएस एक्ट की सूचना पृथक से लेखबद्ध की गई। इकराम खां को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। मन एस.एच.ओ. मय जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम इकराम खां मय जब्तशुदा आर्टिकल मार्क A, B व C के वापस थाना रवाना हुआ। वापसी थाना पर नम्बर पर मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा।

नमूना सीलः–Θ ΘΘ

फर्द चैकिंग व जब्ती नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मानकर हस्ताक्षर किए।

sd श्रीमान एसीपी साहब   sd इकराम खाँ,   sd रतना राम,   sd महेश कुमार,

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

PTS JODHPUR

नोट :— उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

फर्द सूचना धारा 52 एनडीपीएस एक्ट

फर्द सूचना धारा 52 एनडीपीएस एक्ट बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 06.11.2019 समय 12.15 पी.एम. कैम्प पानीपेच तिराहा, सीकर रोड़, जयपुर।

विषयः— सूचना अन्तर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

रूबरू गवाहानः—

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।

(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री इकराम [illegible] निवासी अकलेरा जिला झालावाड को उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद होने पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने पर उसे गिरफ्तार किया जाना है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 52 के प्रावधानों के मुताबिक इकराम खां को उसकी गिरफ्तारी के आधारों से अवगत करवाया गया।

फर्द नियमानुसार तैयार की जाकर पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही मानकर सभी संबंधित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए।

sd श्रीमान एसीपी साहब sd इकराम खाँ, sd रतना राम, sd महेश कुमार,

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

नोट :— उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

फर्द गिरफ्तारी

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 06.11.2019 समय 12.20 पी.एम. कैम्प पानीपेच तिराहा सीकर रोड़ जयपुर।

रूबरू गवाहानः–

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।

(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री मन एस. ... दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अ... ा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नियामनुसार गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी ली गई तो पूर्व में बरामद शुदा मादक पदार्थ के अतिरिक्त पहने हुए कपड़ों व दैनिक उपयाग की वस्तुओं के अलावा पहनी हुई पैंट की जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल कागजात किया गया।

1. नोटः– मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना मुलजिम द्वारा बताये गये मोबाईल नं 9887297786 पर उसके भाई मोहसिन खाँ को दी गई।

2. नोटः– वक्त गिरफ्तारी मुलजिम के शरीर पर जाहीराना तौर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही है। मुलजिम ने भी कोई चोट नहीं आना बताया। मुलजिम का पृथक से मेडीकल मुआयना करवाया जाएगा।

3. हुलियाः– कद करीब 5 फुट 8 इंच, रंग गेहूंआ, काले रंग की जर्सी, बादामी पैंट तथा क्रीम कलर का शर्ट पहने हुए है। गहरी भौंहे तथा दाढी मूँछें हैं। ‡ गुदा रखा है।

फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मान हस्ताक्षर किये।

sd श्रीमान एसीपी साहब sd इकराम खाँ, sd रतना राम, sd महेश कुमार,
एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

नोट :– उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

PTS JODHPUR

फर्द नमूना सील

फर्द नमुना सील बसिलसिले कार्यवाही धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना शास्त्रीनगर, जयपुर शहर (दक्षिण) दिनांक 06.11.2019 समय 12.25 पी.एम. कैम्प पानीपैच तिराहा, सीकर रोड़, जयपुर।

रूबरू गवाहानः–

(1) श्री रतनाराम पुत्र भूराराम जाति माली उम्र 38 साल निवासी म. नं. 213 नेहरू नगर, जयपुर।

(2) श्री महेश कुमार पुत्र श्री मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी पानीपेच तिराहा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड के कब्जे से बरामद स्मैक के पैकेट मार्क "A" "B" "C" में सील्ड मोहर किया गया है। उक्त पैकेट जिस सील से शील्ड मोहर किए गए हैं उनका नमूना इस प्रकार है।

नमूना सीलः–θ θθ

फर्द नमूना सील नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मानकर हस्ताक्षर किए।

sd श्रीमान एसीपी साहब   sd इकराम खाँ,   sd रतना राम,   sd महेश कुमार,

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

नोट :– उक्त दस्तावेज मेरे कहे अनुसार कानि. हरिसिंह 160 ने लैपटॉप में टाईप कर तैयार किया। हमराह लाये गए प्रिन्टर से पोर्टेबल इन्वर्टर की सहायता से प्रिन्ट प्राप्त किया गया।

PTS JODHPUR

प्रथम सूचना रिपोर्ट

पर्चा कायमी

मन एस.एच.ओ. आज दिनांक 06.11.2019 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मय जाब्ता श्री कैलाश चन्द्र स0उ0नि0, श्री धूकलराम कानि0 545, श्री किशनलाल कानि0 1045, श्री रूपाराम कानि0 1145, श्री हरिसिंह कानि0 160 मय जीप सरकारी मय चालक श्री सीताराम कानि0 848 के थाने से 10.25 ए.एम. पर रवाना होकर आरपीए तिराहे पर पहुंचा। सूचना की तस्दीक व तलाशी की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु समय 10.30 ए.एम. पर श्री धूंकलराम कानि 545 को हुकुम नाम देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया जो समय 10.35 ए.एम पर मय गवाहान श्री रतना राम व श्री महेश कुमार के वापस आया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हुकुमनामा शामिल कागजात किया गया। समय 10.40 ए.एम. पर दोनों गवाहान से लिखित में सहमति प्राप्त कर गवाह नियुक्त किया गया। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। मय जाब्ता मय गवाहान मुताबिक सूचना मुखबिर पानीपेच तिराहा समय 10.50 ए.एम. पहुँचा जहां मुखबिर द्वारा बताऐ गये हुलिए का व्यक्ति नजर आया जो पुलिस गाड़ी को देखकर अपनी उपस्थिति छुपाने का प्रयास करने लगा जिसे डिटेन कर यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ का होना बताया। उक्त व्यक्ति से इस प्रकार जयपुर में घूमने तथा बैग में रखी वस्तुओं के संबंध में जानकारी चाही गई तो कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया तथा घबराहट से पसीने आने लगे। डिटेनशुदा इकराम खाँ के इस प्रकार के व्यवहार तथा मुखबिर की सूचना में काफी समानता नजर आ रही है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु इकराम खां की तलाशी ली जानी है। इकराम खां को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा समय 10.55 ए.एम. पर इकराम खाँ को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नोटिस देकर उसके के अधिकारों से अवगत कराया गया कि ''आप अपनी तलाशी किसी भी सक्षम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं इस हेतु उन्हे मौके पर बुलाया जा सकता है या आपको उनके पास ले जाया जा सकता है। यदि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट तलाशी के उचित आधार नहीं पाते है तो आपको तुरन्त छोड दिया जाएगा।'' इस पर इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति प्रदान की। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। चूँकि इकराम खाँ ने लिखित में किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष देने के लिए सहमति दी है अतः बतौर राजपत्रित अधिकारी मौके पर पधारने हेतु सरकारी जीप नं. आर.जे. 14 सी.सी. 9726 में लगे वायरलेस सेट से श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्रीनगर को रेडियाग्राम दिया गया। रेडियोग्राम की प्रति शामिल कागजात की गई। समय 11.20 ए.एम. पर श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर मौके पर पधारे जिन्हें समस्त हालात से अवगत कराया गया। गवाहान से परिचय करवाया गया। डिटेनशुदा इकराम खां से परिचय करवाया गया। इकराम खां को अवगत करवाया गया कि

PTS JODHPUR

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी देने के लिए सहमति प्रदान की है, सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर बतौर राजपत्रित अधिकारी उपस्थित है। तत् पश्चात मन एस.एच.ओ. व गवाहान ने अपनी तलाशी इकराम खां को एसीपी साहब की मौजूदगी में दी तो अलावा पहने हुए कपड़ों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु इस्तयाब नहीं हुई। फर्द तैयार कर शामिल कागजात की गई। स्वयं की व गवाहान की तलाशी देने के पश्चात मन एस.एच.ओ ने गवाहान व श्रीमान एसीपी साहब की मौजूदगी में इकराम खाँ को चैक किया तो पहनी हुई पैंट की जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल कागजात किया गया। इसके पश्चात बदन की तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ के कंधे में लटके हुए काले रंग के बैग को चैक करने पर एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली। जिसे खोलकर देखा तो भूरे रंग का पाउडर मिला जिसे सूंघा, परखा, चैक किया तो प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ स्मैक होना पाया गया। इकराम खाँ ने भी स्मैक होना बताया। इकराम खाँ से उक्त पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो कोई वैध लाइसेंस होना नहीं बताया। इस प्रकार उक्त इकराम खां द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे में रखना धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से इकराम खां के पास मिली अवैध मादक पदार्थ स्मैक का हमराह लाए गए अनुसंधान बॉक्स में रखे तराजू से तौल किया गया तो मय बारदाना 540 ग्राम तथा शुद्ध वजन 500 ग्राम हुआ। उक्त स्मैक में से 20–20 ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकाले जाकर छोटी पारदर्शी थैलियों में पृथक–पृथक सील मोहर कर क्रमशः मार्क A व B दिया गया। शेष 460 ग्राम स्मैक को पृथक से पारदर्शी थैली में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क C दिया गया। इकराम खां को उसके जुर्म से अवगत करवाया जाकर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के तहत सूचना दी गई। धारा 52 एनडीपीएस एक्ट की सूचना पृथक से लेखबद्ध की गई। इकराम खां को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। मन एस.एच.ओ. मय जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम इकराम खां मय जब्तशुदा आर्टिकल मार्क A, B व C के वापस थाना आया। वापसी पर मुलजिम इकराम खां को बन्द हवालात कर सुपुर्द पहरा सन्तरी किया गया। जब्तशुदा आर्टिकल पैकेट मार्क A B व C को धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाने की सील से पुनः सील मोहर कर जमा मालखाना किया गया। मुकदमा नम्बर 427/19 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में कायम कर अनुसंधान निर्देशानुसार श्री राम सिंह थानाधिकारी थाना संजय सर्किल को सुपुर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर व एस.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

PTS JODHPUR

नोटिस धारा 55 एनडीपीएस एक्ट

ओर से,	वास्तेः—
थानाधिकारी,	श्री सुल्तान सिंह हैड कानि0 15,
पुलिस थाना शास्त्रीनगर, 5 पी.एम.	एच.एम. मालखाना

कैम्पः— थाना शास्त्रीनगर, जयपुर।

विषयः— धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत माल मालखाने में जमा करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आज दिनांक 06.11.2019 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए श्री इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी अकलेरा जिला झालावाड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई। सीलिंग की कार्यवाही इस प्रकार की गई हैः—

मार्क A ⟶ 20 ग्राम स्मैक बतौर कन्ट्रोल सैम्पल

मार्क B ⟶ 20 ग्राम स्मैक बतौर नमूना सैम्पल

माक ́C ⟶ 460 ग्राम स्मैक बतौर वजह सबूत

उक्त तीनों शील्डशुदा पैकिटों को जमा मालखाना कर रिपोर्ट करें।

एस.एच.ओ.

शास्त्रीनगर, जयपुर।

महोदय,

PTS JODHPUR

पैकिट मार्क "A" "B" "C" को थाने की सील में पुनः सील मोहर कर मालखाना में जमा कर दिया गया है। मालखाना रजिस्टर में आर्टिकल नं. 724/118 पर इसका इन्द्राज कर लिया गया है। मालखाना रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्नः– सत्य प्रतिलिपि मालखाना रजिस्टर

सुल्तान सिंह एच.एम.
मालखाना थाना
शास्त्रीनगर, जयपुर।

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना, शास्त्री नगर, जयपुर शहर(दक्षिण)

क्रमांक :– 4526–27 दिनांक :– 06.11.2019

सेवा में,

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त

शास्त्री नगर,

जयपुर शहर (दक्षिण),

विषय :– सूचना अन्तर्गत धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से सादर निवेदन है कि आज दिनांक 06.11.2019 को मन् एस.एच.ओ. को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति पानी पेच चौराहा पर खड़ा है तथा उसके पास स्मैक हो सकती है। यह व्यक्ति स्मैक की डीलिंग करने आया है। इस सम्बन्ध में श्रीमान को पूर्व में धारा 42(2) एन. डी.पी.एस. एक्ट के तहत सूचना दी जा चुकी है। उक्त इतला पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए इकराम खाँ पुत्र श्री दूल्हे खाँ, जाति– मुसलमान, उम्र–27 साल, निवासी– अकलेरा, जिला–झालावाड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई।

उक्त कार्यवाही के आधार पर इकराम खाँ के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.नं. 427/19 धारा 8/21 एन.डी.पी. एस. एक्ट में कायम कर अनुसंधान श्री राम सिंह थानाधिकारी थाना संजय सर्किल द्वारा किया जा रहा है।

सूचना अन्तर्गत धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की श्रीमान की सेवा में अवलोकन व मार्ग दर्शन हेतु प्रस्तुत है।

PTS JODHPUR

थाना प्रभारी,
शास्त्री नगर,
जयपुर शहर, (दक्षिण)
प्रतिलिपि :– श्रीमान पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर, (दक्षिण)
थाना प्रभारी,
शास्त्री नगर,
जयपुर शहर, (दक्षिण)

PTS JODHPUR

एनडीपीएस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

–धारा 50–औजार–बक्से से बरामदगी–प्रावधान लागू नहीं। अधिनियम की धारा 50 में निर्दिष्ट शर्तो की अनुपालना का कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि व्यक्ति की कोई भी तलाशी इस मामले में नहीं की गयी। की गयी तलाशी प्रवहण की थी और केवल तथ्य कि अभियुक्ति अपीलार्थी मजीत खान तब वाहन चला रहा था और अन्य अभियुक्त वाहन की पिछली सीट पर बैठा था, उन व्यक्तियों की तलाशी को नहीं करेगा। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 50 में निर्दिष्ट शर्ते वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू नहीं होती है।–भीखम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2002 (2) EFR 417 (Raj).

–धारा 50–स्वयं राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी की गई–धारा 42 के प्रावधानों की अनुपालना आवश्यक नहीं है।–

उच्च न्यायालय इस प्रकार इस निष्कर्ष पर आने में सही है कि जिस प्रकार से स्वयं राजपत्रित अधिकारी ने तलाशी ली, अभियुक्त को गिरफ्तार किया और निषिद्ध माल को जब्त किया, वह धारा 41 के अन्तर्गत कार्य कर रहा था और इसलिए, यह धारा 42 की अनुपालना करने के लिए आवश्यक नहीं था।–एम. प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व इन्टेलीजेंस डायरेक्टर, 2003 (4)CCR 221 (SC).

–धारा 50–तलाशी और जब्ती–अभियुक्त ने धारा 50 के अधीन प्राप्त सूचना पर ''मै सहमत हूँ'' लिखा–इससे तात्पर्य यह होगा, कि वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लिवाना चाहता था–तलाशी स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा ली गयी–जो अवैध है–प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के लिए उपबंध करने वाला अन्य संशोधन लागू नहीं होता है, क्योकि तलाशी संशोधन से पहले की गयी थी–अभियुक्त दोषसिद्धि अपास्त करने योग्य है।–बालू बनाम राजस्थान राज्य, 2005 CrLJ 33 (Raj).

–धारा 55–मालखाने में जमा करने से पहले नमूने को पुनः सील नहीं किया गया– धारा 55 उपबंधित करती है कि बरामदगी के स्थान पर SHO की सील से पैकेट सील किया जायेगा और जब पुलिस 'मालखाने' में उसे जमा कराया जा रहा है, उन्हें पुलिस स्टेशन की सील से पुनः सील किया जायेगा। यह विवादित नहीं है कि कोई भी पुनः सील की कार्यवाही नहीं की गई जब पैकेट पुलिस स्टेशन के मालखाने में जमा कराये गये।–राजस्थान राज्य बनाम सिराज अहमद, 2003 CrLR 747 (Raj).

–धारा 55–और 21–तीन महीनों के लम्बे अन्तराल के पश्चात् न्यायालय में जब्त वस्तु को प्रस्तुत किया गया–जब्त वस्तुएं उचित अभिरक्षा में और उचित प्रारूप में भी नहीं रखी गयी–औपचारिक अनुसंधान–दोषसिद्धि का वारन्ट करने के लिये साक्ष्य पर्याप्त नहीं–निर्णीत किया, दोषसिद्धि अपास्त।–वालशाला बनाम केरल राज्य, 1993(1) UJ733 (SC)=1993 (2) Crimes 267 (SC) =1993 (2) CCR 167=1993 (2) Scale 575 (2) SC.

❖**धारा 21, 8 और 18**–एफएसएल ने नमूने लौटा दिये– नमूनों की छेड़छाड़ को अस्वीकार नहीं किया जा सकता–साक्ष्य से, यह अत्यधिक स्पष्ट है कि नमूनों को, जिन्हे अशोक कुमार, द्वारा पहली बार लिया गया, कुछ आपत्तियों के साथ एफएसएल, जयपुर द्वारा वापिस लौटा दिया गया और एफएसएल द्वारा किस प्रकार की आपत्तियां उत्पन्न की गई, इसे अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया और अशोक कुमार, द्वारा नमूनों को लेने का तथ्य मालखाना रजिस्टर परि.पी–12ए में भी उल्लेखित नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में

PTS JODHPUR

संभावना कि नमूनों के साथ छेड़छाड़ की जानी चाहिए, नहीं लगाई जा सकेगी और जब आपत्तियाँ वहां थी, उसके द्वारा कुछ अर्थ नमूनों की सील के साथ गलत थी। क्या नमूनों को लेने का तथ्य था और तथ्य कि उन्हें वापिस लौटा दिया गया और पुनः मालखाने में जमा कराया गया, मालखाना रजिस्टर परि.पी–12ए में पाया जाना चाहिए, स्थिति अलग हुई होगी। जैसे कि नमूनों को लेने का तथ्य और मालखाने में कुछ आपत्तियों के साथ उनको पुनः जमा कराने का तथ्य मालखाने रजिस्टर में उल्लेखित नहीं है और मालखाना रजिस्टर दर्शाता है कि पहली बार नमूने 24.9.1993 को लिये गये, इसलिए, यह अनुमानित किया जा सकेगा कि नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गयी और यह संभावना का मामला नहीं है, लेकिन एफएसएल जयपुर पहुंचने से पहले नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने का स्पष्ट मामला है। –वदूद खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2003 (1) RCrd 423 (Raj.)

(5) जब धारा 42 के अन्तर्गत पूर्ण रूप से अधिकृत अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति जिसकी तलाशी ली जानी है, के कब्जे में किसी स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियन्त्रित पदार्थ अथवा वस्तु अथवा दस्तावेज को उससे अलग किए बिना, जिसकी तलाशी ली जानी है, नजदीकी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास तलाशी करने के लिए ले जाना संभव नहीं है, तो नजदीकी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को ले जाने की बजाय, वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा, जिस प्रकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।

❖**धारा 50**–उसकी अपालना–जब दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसंधान की साधारण कार्यवाही में खोज पहले ही समाप्त हो जाये, तब धारा 50 की अनुपालना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा–पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह, 1994 SCC(Cr) 632 पर विश्वास किया गया।–धोधा बनाम राजस्थान राज्य, 1995(2) RCD 636 (Raj.)

❖**धारा 50**–पूर्व सूचना पर व्यक्ति की खोज–खोज करने वाला अधिकारी नजदीकी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधकारी के पास ले जाने के अपने अधिकारी की खोज के अन्तर्गत व्यक्ति को सूचित करने के लिए बाध्य है–प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है।–पंजाब राज्य बनाम जसबीर सिंह, 1996 (1) SCC 288.

❖ **धारा 50**–संभाव्य बरामदगी–जब कोई पूर्व सूचना नहीं हो कि अभियुक्त के कब्जे में निषिद्ध है–अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान आकर्षित नहीं।–स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1996 (1) Crimes 118 (P&H)

❖ **धारा 50**–प्रावधानों की अनुपालना–प्रकृति में अनिवार्य–रेडिग पार्टी के एक सदस्य राजपत्रित अधिकारी के समक्ष खोज की गयी–हितबद्ध पार्टी–निर्णीत किया, यह अनिवार्य प्रावधानों की अनुपालना नहीं है और प्रार्थी की जमानत स्वीकार की गयी।–बाबूलाल और अन्य बनाम भारत संघ, 1996 CrLJ 1864=1996 (2) Crimes 264.

❖ **धारा 50**–अभियुक्त की खोज–मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष खोज किये जाने के अपने अधिकार के बारे में अभियुक्त को लिखित सूचना दी गई–अभियुक्त द्वारा मना किया गया और पुलिस अधिकारी द्वारा खोज की गई–धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं और अभियुक्त को कोई प्रतिकुलता कारित नहीं की गई।–दीप चन्द बनाम राजस्थान राज्य, 1996(1) RCD 291 (Raj.) =1995 CrLR 725=1996(1)CCR 47=1996 (1)WLC 572 (Raj.) =1995 (2)RLW 360=1996 (1) CrLJ 54.

❖**धारा 50**–उससे संबंधित बैग से हीरोइन बरामद और न कि उसके शरीर–अनिवार्य प्रावधान की अनुपालना आवश्यक नही।–कलेमा थुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2000(1) UJ 22 (SC)

PTS JODHPUR

❖**धारा 50**–खोज–लागू होना–स्कूटर पर लटके बैग से चरस बरामद–खोज व्यक्ति से संबंधित नहीं–निर्णीत किया, प्रावधान लागू नहीं होते है।–सरजूदास और अन्य बनाम गुजरात राज्य, 2000(1) UJ 18 (SC).

❖ **धारा 50**–बरामदगी के बाद में सूचना दी गई–यह घातक है–प्रमोद कुमार सिन्हा के परिसाक्ष्य से, यह पता चलता है कि बरामदगी दोपहर 12.45 बजे की गई और धारा 50 के अन्तर्गत सूचना दोपहर के 12.50 बजे के बाद में प्रदान की गयी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं थी।–गोपाल बनाम राजस्थान राज्य, 2002 CrLJ 1647 (Raj.)

❖ **धारा 50**–कोई पूर्व सूचना नहीं–प्रावधान लागू नहीं होते है– यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी को पूर्व सूचना नहीं थी कि अभियुक्त स्वापक पदार्थ के साथ आने की संभावना नही है, न ही इन्स्पेक्टर के पास अपनी व्यक्तिगत जानकारी या सूचना से विश्वास करने का कारण था कि अभियुक्त के उस क्षेत्र में होने की संभावना है, जहां सेवह निषिद्ध माल के साथ पाया गया। तथ्य के मामले के रूप में, खोज करने के समय भी, कोई जानकारी नहीं थी कि एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय 5 के अन्तर्गत अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया। इन्स्पेक्टर ने केवल तथ्य के आधार द्वारा अपराध कारित करने का सन्देह किया कि अभियुक्त ने पैट्रोलिंग दल को देखकर भागना प्रारम्भ किया। इस आधार पर साक्ष्य इस प्रभाव से स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। यद्यपि पंचों ने तलाशी और जब्ती का मामूली भिन्न रूपान्तर प्रदान किया, लेकिन यह अभियुक्त के आधिपत्य में चरस की तलाशी और बाद में जब्ती के सम्बन्ध में प्राथमिक साक्ष्य और उसकी परिणामिक जब्ती को दूर नही ले जाता। संदर्भित तथ्य है कि धारा 50 के कार्यक्षेत्र के भीतर स्थिति आवृत्त नहीं है–भारतभाई भगवान जी भाई बनाम गुजरात राज्य, 2003 CrLJ 65 (SC).

धारा 68 ए से जेड :– एनडीपीएस के मामलों में वित्तीय अनुसंधान

धारा 68 में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध वित्तीय अनुसंधान कर सम्पत्ति समपहरण की कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है :–

- ऐसे व्यक्ति जिन्होने इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 10 साल से अधिक की है उनके विरुद्ध यह कार्यवाही की जा सकती है।
- यह कार्यवाही अपराधी के गिरफ्तार होने, चालान प्रस्तुत होने, वारण्ट जारी होने या दोषसिद्धि होने पर किसी भी स्तर पर प्रारम्भ किया जा सकता है।
- यह अनुसंधान धारा 42 मे सशक्त किए गए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
- इस अनुसंधान में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की उस सम्पत्ति की पहचान करेगा जो उसने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की है।
- इस धारा में अपराधी के साथ ही उस व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदारों तथा सहयोगियों की सम्पत्ति को भी शामिल किया जाएगा।
- अपराधी की पैतृक सम्पत्ति तथा अपराध की तिथि से छह वर्ष पूर्व अर्जित की गई सम्पत्ति को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- जब पुलिस अधिकारी सम्पत्ति की पहचान कर लेगा तो वह चल सम्पत्ति का सीजिंग तथा अचल संपत्ति का फ्रीजिंग आर्डर बनाएगा।
- सीजिंग व फ्रीजिंग आर्डर 48 घण्टे में सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक CAA को भेजा जाएगा।
- सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को इस संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

PTS JODHPUR

➢सक्षम प्राधिकारी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन मे की गई कार्यवाही को कन्फर्म करेगा। यदि कार्यवाही को कन्फर्म नहीं किया जाता है तो सीज या फ्रीज की गई सम्पत्ति को तुरन्त छोड दिया जाएगा।

➢सीजिंग एवं फ्रीजिंग ऑर्डर एक से अधिक बार भी बनाए जा सकते है।

➢सम्पत्ति मादक पदार्थों की तस्करी की आय से अर्जित नहीं की गई है यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा।

➢जब अभियुक्त को प्रकरण में दोषसिद्धि हो जाती है तो सक्षम प्राधिकारी उसे पुनः सुनवाई का अवसर देगा।

➢यदि सक्षम प्राधिकारी की गई कार्यवाही से सहमत है तथ अभियुक्त साबित करने में विफल हो जाता है तो सम्पत्ति का समपहरण कर लिया जाएगा। अन्यथा सम्पत्ति को छोड दिया जाएगा।

04.शस्त्र अधिनियम 1959

शस्त्र अधिनियम 1959 धारा 3,4,7,8,19,25,27से 30,39

धारा 3 :–

❖**अग्न्यायुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति–** कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध या गोला बारूद तब तक न तो अर्जित करेगा और न ही अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा जब तक कि इस नियम के तहत कोई अनुज्ञप्ति धारित न करता हो।

❖किसी व्यक्ति को दो से अधिक अग्नायुधों के लाइसेंस नहीं जारी किए जाऐंगें। **नवीनतम संशोधन**

❖**जक किसी व्यक्ति के कब्जे में आयुध अधिनियम 2019 के संशोधन से पूर्व दो से अधिक अग्नायुध है वह दो प्रतिधारित कर सकेगा तथा शेष अग्नायुधों को एक वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जमा करवायेगा।**

❖**उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय दो अग्नायुधों की सीमा को नहीं बढाया जाएगा।**

❖किन्तु .22 तथा एयर गन के लिए किसी क्लब को निशाना साधने के प्रशिक्षण के लिए तीन से अधिक हथियारों के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।

धारा 4 :–

❖कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति– यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकहित में यह आवश्यक या समीचीन है कि अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन कब्जे में रखना या वहन करना विनियमित किया जाना चाहिए तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में यह अधिसूचना लागू होगी।

❖इस धारा के अन्तर्गत ऐसे उपकरण जो कृषि या घरेलू उपयोग में आते हैं वे सम्मिलित नहीं होंगें।

❖इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारदार फल की लम्बाई 10.16 सेमी से अधिक होगी।

धारा 5 :–

❖आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति।

❖किसी भी प्रकार के गोलाबारुद बनाने या विक्रय के लिए इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

❖यदि हथियार बनाने के उपकरण भी प्राप्त होते है तो भी इसी धारा का प्रयोग किया जाएगा।

धारा 6 :–

PTS JODHPUR

❖ गनों के नाल को छोटा किये जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति।

❖ 2019 के संशोधनों में आयुध नियमों में उल्लेखित अग्नायुधों के किसी प्रवर्ग को किसी अन्य प्रवर्ग में सम्मिलित करना भी जोडा गया है।

❖ देशी कट्टा इसी धारा के अन्तर्गत आता है।

धारा 7 :–

❖ प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध ।

❖ सभी प्रकार के ऑटोमेटिक हथियार इस धारा के अन्तर्गत आते हैं।

धारा 8 :–

❖ जिन अग्न्यायुधों पर पहचान चिन्ह न हो उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध

❖ 2019 के संशोधनों में अग्नायुधो के साथ साथ गोला बारुद को भी जोडा गया है।

❖ जिन हथियारों पर पहचान चिन्ह नहीं होंगें वे अनुज्ञप्ति होते हुए भी अवैध होंगें।

❖ वर्तमान में केन्द्र सरकार ने भी हथियारों के लिए यूनिक आईडी की योजना निकाली है।

धारा 9 :–

❖ तरूण व्यक्तियों (21वर्ष से कम आयु) द्वारा और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों का अर्जन या कब्जे में रखने विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध

❖ इस धारा में 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे

❖ ऐसा व्यक्ति जो हिंसा या नैतिक अवचार के कारण कारावास के दण्डादेश से दण्डित हो तथा दिए गए कारावास के अवसान के पांच वर्ष तक की अवधि के लिए।

❖ दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत सदाचार के लिए पाबन्द किया गया हो।

धारा 19 :–

❖ अनुज्ञप्ति आदि को पेश करने की मांग करने की शक्ति –

❖ कोई पुलिस आफीसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त अन्य कोई अधिकारी

❖ जिससे मांग की जाए के इन्कार करने पर या पेश करने में असफल रहने पर ऐसा आफीसर आवश्यक समझे तो गोला बारूद को अभिग्रहीत कर सकेगा।

❖ नाम पता बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा 20 :–

❖ संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का प्रवहण करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी

❖ इस धारा के अन्तर्गत यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी भी यदि सदिग्ध परिस्थितियों में आयुध का प्रवहण करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा 21 :–

❖ जब अनुज्ञप्ति धारक के पास किसी हथियार का कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह जाता है तो वह उस हथियार को तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवायेगा।

❖ अनुज्ञप्ति की समय सीमा समाप्त होने या अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु की स्थिति में यह माना जाएगा कि कब्जा अविधिपूर्ण हो गया है।

धारा 24क :–

❖ विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे के बारे में प्रतिषेध

धारा 24 ख :–

❖ विक्षुब्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर या उनमें से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के बारे में प्रतिषेध

PTS JODHPUR

धारा 25 :–

❖ अपराधों के लिए दण्ड

❖ धारा 5 व 6 का उल्लंघन करने पर पांच से सात वर्ष

❖ धारा 7 के अधीन निषिद्ध आयुधों का कब्जा रखने पर **7 से 14 वर्ष**

❖ धारा 7 के अधीन निषिद्ध आयुधों को बेचने या विनिर्माण करने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास

❖ धारा 24 क तथा 24 ख के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 से 7 वर्ष

❖ धारा 3, 4, 8, 9 के उल्लंधन पर 1 से 3 वर्ष

धारा 25 1कख :–जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्नायुध छीन लेता है, वह ऐसे कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का दायी होगा।

धारा 25(6) :–यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोला बारुद अपने कब्जे में लेकर चलता है या रखता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 25(7) :–जो कोई किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से धारा 5 या धारा 6 या धारा 11 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

❖ संगठित अपराध से किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या सामूहिक रुप से किसी संगठित अपराध संघ के सदस्य के रुप में या ऐसे संघ की ओर से हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रपीडन या अन्य किसी विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करके धनीय फायदे प्राप्त करने के लिए या स्वयं या किसी व्यक्ति के असम्यक आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई भी निरन्तर विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अभिप्रेत है।

❖ संगठित अपराध संघ से दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी संघ या गैंग के रुप में अकेले या सामूहिक रुप से किसी संगठित अपराध के क्रिया कलापों में लिप्त होते है।

धारा 25(8) :–जो कोई धारा 3 या 5 या 7 या 11 के उल्लंघन में अग्नायुध और गोला बारुद के अवैध व्यापार में सम्मिलित है या उसमें सहायता करता है जो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 25(9) :–

❖ जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करेगा जिससे मानव जीवन या किसी अन्य की वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाये, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

❖ आनुष्ठानिक गोलाबारी से तात्पर्य जनसभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोहों या अन्य उत्सवों में गोलाबारी करने के लिए अग्नायुधों का प्रयोग करना है।

धारा 27 :–

❖ आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दण्ड

❖ धारा 5 के अन्तर्गत किसी आयुध का उपयोग करने पर 3 से 7 वर्ष

❖ धारा 7 के अन्तर्गत किसी आयुध का उपयोग करने पर सात वर्ष से आजीवन कारावास

❖ धारा 7 के अन्तर्गत किसी आयुध का उपयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर **मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास**

धारा 28 :–

❖ कतिपय दशाओं में अग्न्यायुध या **नकली अग्न्यायुधों** के उपयोग और कब्जे के लिए दण्ड

PTS JODHPUR

❖ जो कोई किसी विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिरुद्ध करने के आशय से अग्नायुध या नकली अग्नायुध को प्रयोग करेगा उसे सात वर्ष तक कारावास।

धारा 29 :–

❖ जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो तीन वर्ष तक का कारावास

धारा 30 :–

❖ अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड छह मास तक का कारावास

धारा 31 :–

❖ पश्चातवर्ति अपराधों के लिए दण्ड पूर्व अपराध के दण्ड से दोगुनी शास्ति

धारा 39 :–

❖ कतिपय अपराधों में जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी अभियोजन हेतु आवश्यक है।

❖ धारा 3 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए मंजूरी आवश्यक है।

आर्म्स एक्ट के तहत अनुसंधान (धारा 4/25)

अनुसंधान के विभिन्न चरणः–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त करना व दर्ज रजिस्टर करना (पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना पर या एरिया गश्त के दौरान कार्यवाही करने पर)

- कार्यवाही पुलिस का अकंन अभियुक्त को दाखिल हवालात जब्त हथियार, मालखाना प्रभारी को सुपुर्द।
- FIR दर्ज कर प्रतियां जारी करना।
- अनुसंधान जिम्मे करना।

2. अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान जिम्मे केस डायरी में लिखना प्रारम्भ करना FIR की नकल/या संक्षिप्त उल्लेख फर्दात पर FIR नम्बर को अंकित करना
3. बयान प्रार्थी व गवाहान लिखना
4. पूछताछ अभियुक्त को बरामद हथियारों के बारे में पूछताछ करना
5. अधिसूचना की प्रति प्राप्त करना व बाद पृष्ठाकंन शामील पत्रावली
6. पूछताछ अभियुक्त हवालात से निकाल पूछताछ करना
7. 24 घण्टे होने पर रिमांड भर कर वास्ते J/C न्यायालय में पेश करना
8. न्यायालय द्वारा J/C व जेल में जमा कराने हेतु जेल भिजवाना
9. साक्ष्य विश्लेषण व किन–2 धाराओ का व किन–किन साक्ष्यो के आधार पर जुर्म प्रमाणित होता है इसका विवरण
10. जुर्म प्रमाणित होने बाबत नोट अंकित पुलिस ब्रीफ तैयार करना

11 APP से कानूनी समीक्षा हेतु पत्रावली पेश करना

12. APP से कानूनी समीक्षा प्राप्त कर पत्रावली पेश करना
13. तकमीलात के बाद चैक लिस्ट तैयार करना
14. चालानी आदेश हेतु पत्रावली वृताधिकारी के समक्ष पेश करना
15. चालानी आदेश प्राप्त करना
16. चार्जशीट तैयार करना

आर्म्स एक्ट के अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही/प्रक्रिया

1. टेलिफोनिक सूचना पर/या गश्त मे रवानगी
2. मौके पर पहुचना
3. व्यक्ति को रोक पूछताछ करना

PTS JODHPUR

4. अवैध चाकू/तलवार/शस्त्रआयुध के बारे मे पूछताछ
5. लाइसेंस के बारे मे पूछताछ
6. न होने पर अवैध हथियार जब्त करना
7. फर्द जब्ती मूर्तिब करना
8. आरोपी को गिरफ्तार करना
9. फर्द गिरफ्तारी मुतिर्ब करना (गिरफ्तारी की सूचना परिवारजन को देना)
10. मुल्जिम/जब्तसुदा हथियार /थाने पर वापसी
11. थानाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत
12. कार्यवाही पुलिस FIR दर्ज अभियुक्त दाखिल हवालात जब्तसुदा आर्टीकल मालखाना मे सिपुर्द
13. अनुसंधान जिम्मे–फर्दात न0 FIR न0 से
14. अनुसंधान आरम्भ
15. बयान प्रार्थी
16. बयान गवाहान
17. निरीक्षण घटनास्थल
18. पूछताछ अभियुक्त
19, धारा 4/25 के लिए नोटिफिकेशन की प्रति प्राप्त कर बाद पृष्ठाकन संलग्न पत्रावली करना
20. बरामद हथियार (देशी कट्टा/रिवाल्वर बंदूक) को परीक्षण हेतु जिला आरर्मोर के पास भेजने हेतु तेहरिर लिखना।
21. तेहरिर की रिपोर्ट प्राप्त कर शा0 पत्रावली करना

रिमाण्ड कार्य करना–

1. मुल्जिम को रिमाण्ड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करना न्यायलय से J/C के आदेश होने पर J/C हेतु जेल भिजवाना
2. केस डायरी लिखना
3. अभियोजन स्वीकृती हेतु पत्र जिला कलेक्टर महो0 को पत्र लिखना
4. अभियोजन स्वीकृती प्राप्त होने पर शा0 पत्रावली
5. अनुसंधान से प्राप्त साक्ष्य का विश्लेषण
6. साक्ष्य को लिंक करना
7. अनुसंधान से कौनसी धारा के तहत कौनसा अपराध– साबित हो रहा व उसके पक्ष में क्या साक्ष्य है नोट अंकित करना
8. अपराध प्रमाणित होने का नोट
9. पुलिस ब्रीफ तैयार करना
10. अभियोजन समीक्षा हेतु पत्रावली भेजना
11. अभियोजन समीक्षा प्राप्त करना
12. अभियोजन समीक्षा में व वार करियो की पूर्ति बाबत नोट
13. कमियों की पूर्ति
14. पत्रावली चैक लिस्ट तैयार कर चालानी आदेश हेतु भिजवाना
15. चालानी आदेश प्राप्त करना
17. चार्जशीट कता करना

PTS JODHPUR

05 राजपाशा एक्ट (राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2006)

धारा 3:– कतिपय व्यक्तियों को निरूद्ध करने के आदेशों की शक्ति 1. राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य को रोकने की दृष्टि से यदि आवश्यक है तो ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध कर लिया जाये।

2. राज्य सरकार इस हेतु डी.एम./पुलिस कमिश्नर को भी इन शक्तियों के उपयोग हेतु निर्देशित कर सकती है।

3. यदि कोई प्राधिकृत अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह तथ्यों की रिपोर्ट उन आधारों सहित एवं विशिष्टियों सहित राज्य सरकार को करेगा और ऐसा कोई आदेश 12 दिन से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। यदि उसका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा नहीं कर दिया जाये।

4. लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने सम्बन्धी कार्य का अर्थ– जब कोई व्यक्ति चाहे किसी शराब के चोरबाजारिये के रूप में या खतरनाक व्यक्ति या औषधी अपराधी या अनैतिक–व्यापार अपराधी या सम्पति हथियाने वाले रूप में किन्हीं भी ऐसे क्रियाकलापों में लगा हो या लगने की तैयार कर रहा हो जिनसे लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

धारा 4. निरोध आदेशों का निष्पादन:– सीआरपीसी के धारा 72 से 80 में वारण्ट के निष्पादन के तरीके के समान ही निष्पादन किया जायेगा।

धारा 5. निरोध का स्थान और शर्तें विनियमित करने की शक्ति:– निरोध के समय अनुशासन बनाये रखने, अनुशासन भंग करने पर दण्ड एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की शक्ति ।

धारा 8. फरार व्यक्तियों के बारे में शक्तियां:–

1. धारा 82 से 85 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही।
2. उद्घोषणा की पालना में विफल रहने पर व उल्लेखित अधिकारी को सूचना नहीं दी हो तो ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष का व जुर्माना भी से दंडनीय व यह अपराध संज्ञेय होगा।

धारा 9. निरोध आदेश के आधारों का निरूद्ध व्यक्ति को प्रकट किया जाना:– निरूद्ध करने वाला अधिकारी 3 दिन में उन आधारों की सूचना निरूद्ध किये व्यक्ति को देगा, जिन पर आदेश किया गया है एवं उस आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर भी देगा।

धारा 10. सलाहकार बोर्डों का गठन:– राज्य सरकार एक या अधिक बोर्ड गठित करेगी। प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष व दो सदस्य होगें जो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हों।

धारा 11. सलाहकार बोर्ड को निर्देश:– राज्य सरकार तीन सप्ताह के भीतर वे आधार जिन पर आदेश किया गया है एवं अभ्यावेदन बोर्ड के समक्ष रखेगी।

धारा 12. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया:–

1. तथ्यों पर विचार कर, इस हेतु किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के माध्यम से बुलाकर, निरूद्ध व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर, निरूद्ध व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई कर अपनी रिपोर्ट 50 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगें।
2. सदस्यों के बीच मतभेद होने पर बहुमत की राय बोर्ड की राय होगी।
3. समस्त कार्यवाही गोपनीय होगी।
4. विधि व्यवसायी की उपस्थिति नहीं होगी।

धारा 13.सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाई:–

धारा 14. निरोध की अधिकतम कालावधि:– अधिकतम एक वर्ष

धारा 15. निरोध आदेशों का वापस लिया जाना:–

PTS JODHPUR

कार्यालय थानाधिकारी, थाना....................................जिला ....

क्रमांकः– **दिनांकः–**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला...

विषयः– शख्स ....उर्फ..................................पुत्र...................................जाति.......................
.उम्र............निवासी.......................के विरूद्व राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्यांक–1) के तहत कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शख्स ....उर्फ............................पुत्र.............................
............जाति........................उम्र............निवासी....................... प्रारम्भ से ही गम्भीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जिसके विरूद्व वर्ष............. से ....तक हत्या, हत्या का प्रयास, गम्भीर चोट, लूट, डकैती की तैयारी, उद्दापन, अपहरण, धोखाधड़ी, सम्पति की क्षति, मारपीट, बल्वा, जमीनों पर अवैध कब्जा, अवैध हथियार रखने व इनका आपराधिक वारदातों में प्रयोग करने जैसे .... आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त **<u>आभ्यासिक अपराधी</u>** की दिनांक ....को हिस्ट्रीशीट खोली जाकर सतत् निगरानी रखी गयी व समय–समय पर इंसदादी/कानूनी कार्यवाहियाँ भी की गई है लेकिन इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही कारगर साबित नहीं हुई है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढती गयी। ....
........आदि थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक आपराधिक वारदातें कारित करने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवास करने वाले आमजन व समाज आतंकित व भयभीत है। उक्त शख्स आभ्यासिक रूप से विभिन्न थाना क्षेत्रों में गम्भीर अपराध स्वंय व गिरोह के रूप में कारित कर रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम हेतु अब तक किये गये सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो चुके है। इस आभ्यासिक अपराधी के विरूद्व प्रचलित कानूनों एवं सामान्य अधिनियमों के तहत समय–समय पर की गई कानूनी कार्यवाही पूर्णरूपेण प्रभावहीन रही है। यह शख्य प्रकरणों में पक्षकारों एवं गवाहों को डरा धमकाकर आतंकित व भयभीत कर, येन–केन प्रकारेन दबाव बनाकर व प्रभावित कर पक्षद्रोही/राजीनामा करवाकर सजा से बचने व जमानत कराने में सफल हो जाता है। उक्त शख्य का क्षेत्र, आमजन व समाज में भंयकर भय व खौफ व्याप्त होने के कारण थाने पर इसकी कोई सूचना नहीं देता और न ही कोई शिकायत करता। इसके विरूद्व कोई बयान देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। शिकायतकर्ता व गवाहान को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। उक्त शख्स का कृत्य राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ग) ''खतरनाक व्यक्ति'' व धारा 2 (झ) ''सम्पति हथियाने वाला'' की परिभाषित श्रेणी में आता है। उक्त शख्स का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार हैः–

1.दिनांक ....को श्री..............................ने एक एफआईआर इस आशय की दर्ज कराई कि ....
................................आदि पर एफआईआर नं..................दिनांक................को थाना ....पर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम ....के विरूद्ध चार्जशीट नम्बर ....दिनांक..........
................न्यायालय श्रीमान् ....में पेश की गई, जो विचाराधीन है। एफआईआर, चार्जशीट व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेज संख्या.............से ....तक संलग्न है।

2.

3.

4.

5.

6. दिनांक ....को श्री......................ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि ....
परिवाद संख्या..........................दिनांक.......................को थाना ....पर दर्ज कर जाँच की गई।
बाद जाँच मुलजिम ....के विरूद्ध इस्तगासा ....दिनांक.....................न्यायालय श्रीमान् ......
.................में पेश किया गया, जो विचाराधीन है। परिवाद, इस्तगासा व न्यायालय की ऑर्डरशीट की छायाप्रति पेज संख्या............से ....तक संलग्न है।

PTS JODHPUR

7.रोजनामचाआम में दर्ज आम सोहरत की रिपोर्ट का विवरण।
8.मुलजिम की खोली गई हिस्ट्रीशीट पत्रावली का विवरण एवं उसमें समय–समय पर दर्ज नोट का बिन्दुवार विवरण।

अतः शख्स ....उर्फ.....................................पुत्र...जाति..........................उम्र............निवासी........................भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 को केन्द्रीय अधिनियम संख्याक–45) के अध्याय 16 व 17 तथा आयुध अधिनियम 1959 की अध्याय 5 में दण्डनीय अपराध कारित करने व करवाने में गिरोह के सरगना के रूप में संलिप्त रहा है। इसके गिरोह में ....आदि सदस्य है। उक्त शख्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध वसूली, लूटपाट व जमीनों पर कब्जा करने जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध कारित करता है। उक्त शख्स के क्रियाकलापों से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से क्षेत्र, समाज व आम जनता में नुकसान, खतरा, संत्रास, असुरक्षा व भय की भावना उत्पन्न हो रही है। मानव जीवन, लोक स्वास्थ्य व संपत्ति को गम्भीर व व्यापक खतरा बना हुआ है। जिनसे लोक व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त शख्य के स्वच्छंद रहने से आमजन व समाज को किसी भी हद तक हानि कारित हो सकती है तथा इसका स्वच्छंद विचरण करना समाज, लोक व्यवस्था, लोक शांति के विपरित है। इसकी बढती हुई आपराधिक गतिविधियों पर रोक के सभी विधि सम्मत प्रयास विफल हो चुके है। अतः उक्त शख्स ....के विरूद्ध राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (2008 का अधिनियम संख्याक–1) के तहत निवारण कार्यवाही की जाकर निरूद्ध किया जाना आवश्यक व वांछनीय है।

संलग्नः– उपरोक्त वर्णित आपराधिक रिकार्ड की छायाप्रतियां।

भवदीय

परिशिष्ट “ ।”

क्र.सं.	मु0नं0 मय दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	थाना	चालान पेश दिनांक न्यायालय	निर्णय कोर्ट	पेज संख्या

इंसदादी कार्यवाही

क्र. सं.	नाम थाना	दिनांक	धारा	नतीजा न्यायालय	पेज सं.

शख्स..............................उर्फ.........................पुत्र................जाति.....................उम्र............निवासी.................के परिजनों की सूचीः–

क्र. सं.	नाम	सम्बन्ध	व्यवसाय	पता	फोन/मो0 नं0

<u>6.अन्य अधिनियमों की जानकारी</u>

1. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984

धारा 2 (ख) में लोक सम्पत्ति की परिभाषा दी गई है–''लोक सम्पत्ति'' से अभिप्राय है कोई स्थावर या चल सम्पत्ति (मशीन आदि) जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधीन स्थापित किसी नियम या कानूनी अधिनियम 1956 या कोई संस्थान, समुदाय या उपक्रम जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक सम्पत्ति घोषित की गयी है उसे ''लोक सम्पत्ति'' कहते हैं।

धारा 3(1) :– लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाली रिष्टी के लिये पाँच वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 3(2) :– जल, प्रकाश, उर्जा, बिजली, खान, कारखाना, वितरण या आपूर्ति, तेल प्रतिष्ठान पर रिष्टी कारित करने पर छह माह से पाँच वर्ष तक का कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 4 :– अग्नि या विस्फोटक द्वारालोक सम्पत्ति को हानि पहुँचाने का एक वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक या जुर्माना से दण्ड़ित किया जा सकता है।

धारा 5 :– धारा 3 या 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में तो तब तक जमानत पर नहीं छोडा जाएगा जब तक कि अभियोजन को इस प्रकार के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान न कर दिया हो।

02 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम मय नवीनतम संशोधन

बाल–विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 (2007 का अधिनियम संख्याक 6)

बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः–

1–संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ–

(1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है,और यह भारत से बाहर सभी नागरिको को भी लागू होता हैः

परन्तु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के सेनाओ को लागू नहीं होगी।

(3) यह उस तारिख को प्रवृत होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,नियत करे और भिन्न–भिन्न राज्यो के लिए भिन्न–भिन्न तारिखे नियत की सकेगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश है।

2– परिभाषाएं–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''बालक ''से ऐसा व्यक्ति अभिप्रत है जिसने,यदि पुरूष है तो,इक्कीस वर्ष की आयू पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो,अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(ख) ''बाल विवाह''से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनो पक्षकारो में से कोई बालक है

(ग) विवाह के संबंध में ''बंधन में आने वाले पक्षकार ''से पक्षकारो में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला हैः

(घ) ''बाल विवाह प्रतिशेध अधिकारी '' के अन्तर्गत धारा 16 की उपधारा (1)के अधीन नियुक्त बाल –विवाह प्रतिशेध अधिकारी भी हैः

PTS JODHPUR

(ड.) ''जिला न्यायालय ''से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में ,जहां कुटुव न्यायालय अधिनियम,1984(1984 का 66)की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं ,किन्तु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में,आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालयय भी है जिसे राज्य सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलो के संबंध में अधिकारिता है,जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कारवाई की जाती हैः

(च) ''अवयस्क'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम,1875के उपबंधो के अधीन यह माना जाता है कि उसने ,वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

3.बाल विवाहो का,बंधन में आने वाले पक्षकार के,जो बालक है,विकल्प पर शून्यकरणीय होना–

(1) प्रत्येक बाल–विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो ,विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के,जो पक्षकार के ,जो विवाह के समय बालक था,विकल्प पर शून्यकरणीय होगाः

परन्तु किसी बाल विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बालिग करने के लिए ,विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही,जो विवाह के समय बालक था,जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी।

(2)यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय,अर्जीदार अवस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद–मित्र के साथ–साथ बाल –विवाह प्रतिशेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किन्तु अर्जी फाइल करने वाले बालक के व्यस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी।

(4)इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिलो न्यायालय ,विवाह के दोनो पक्षकारो और उनके माता–पिता या उनके संरक्षको को यह निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि वे, यथास्थिति,दूसरे पक्षकार,उसके माता–पिता या संरक्षक को

विवाह के अवसर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन,मुल्यवान वस्तुएं,आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं,आभूषणों ,अन्य उपहारो के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा देः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध पक्षकारो को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए ऐसा आदेश क्यों पारित किया जाए,सूचनाए न दे दी गई हो।

4.बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण –पोषण और निवास के लिए उपबंध–

(1)धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय ,जिला न्यायालय बाल–विवाह के बंधन में आने वाले पुरूष पक्षकार को और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरूष पक्षकार अवयस्क है,तो उसके माता–पिता या संरक्षक को ,विवाह कि बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को,उसके पुर्नविवाह तक,भरण–पोषण का संदाय करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा।

2)संदेय भरण पोषण की मात्रा का अवधारणा जिला न्यायालय द्वारा,बालक की आवश्यकताओं,अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान मे रखते हुए किया जायेगा।

3)भरण पोषण की रकम का मालिक या एकमुश्त राशि कि रूप में संदाय करने का निर्देश दिया जा सकेगा।

4)यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुर्नविवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा।

5.बाल विवाह से जन्में बालको का भरण पोषण और अभिरक्षा –

1–जहां बाल विवाह से जन्मे बालक है,वहां जिला न्यायालय ऐसे बालको की अभिरक्षा की समुचित आदेश करेगा।

2–इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोतम हितो पर जिला न्यायालय ऐसे बालको की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश देगा।
3–बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश मे, दुसरे पक्षकार की, ऐसे रीति से जो बालक के हितो को सर्वोतम रूप से पूरा करती हो, पहुंच के लिए समुचित निर्देश और ऐसे अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित मे उचित समझे, सम्मिलित हो सकेगें।
4–जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या माता पिता या सरंक्षक, द्वारा बालक के भरण पोषण का उपबन्ध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा।
6–बाल विवाह से जन्मे बालको की धर्मजता–इस बात के होते हुये भी बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल कर दिया गया है। डिक्री किये जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनो के लिए धर्मज बालक समझा जायेगा।
7–जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किये गये आदेशो को उपांतरित करने की शक्ति – जिला न्यायालय को धारा 4 और धारा 5 के अधीन और यदि परिस्थितियो मे कोई परिवर्तन है जो अर्जी के लम्बित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अन्तिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश के जोडने एसे उपतांरित या प्रति सहत करने की शक्ति होगी।
8–बाल विवाह करने वाले पुरूष वयस्क के लिए दण्ड–धारा 3, 4 ओर 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय मे उस स्थान के उपर जहा प्रतिवादी या बालक निवास करता हैं या जहा विवाह अनुष्ठापित किया गया है था या जहा पक्षकारो ने अन्तिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहा अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है। अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा।
9–बाल विवाह करने वाले पुरूष के लिए दण्ड–जो कोई अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुये बाल विवाह करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी। या जुमार्न के से जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा, दोनो से दण्डनीय होगा।
10–बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दण्ड –जो कोई किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा। वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नही था, कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा। दण्डनीय होगा।
11–बाल विवाह के अनुष्ठान का सर्वधन करने या उसे अनुज्ञात करने के दण्ड– जहा कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहा ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन मे चाहे माता पिता अथवा सरंक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप मे अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरूद्व हैसियत में बालक है, जिसके अन्तर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है। जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किये जाने निवारण करने मे उपेक्षा पूर्वक असफल रहता है। जिसमे बाल विवाह मे उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी। दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। परन्तु कोई स्त्री कारवास से दण्डनीय नही होगी।
(2)इस धारा के प्रयोजनों के लिए,जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि जहां अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है।
12. कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना –जहां कोई बालक, जो अवयस्क है,विवाह के प्रयोजन के लिए–

(क) विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है; या

(ख) किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है;या

(ग) विक्रय किया जाता है,और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात् उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है,

वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।

13. बाल–विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति–

(1)इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, या किसी व्यक्ति से परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लघन में बाल–विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है,तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के,जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है, विरूद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला क्यादेश निकालेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई परिवाद,बाल विवाह या बाल–विवाहों का अनुष्ठापन होने की संभाक्यता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा, किया जा सकेगा।

(3)प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा।

(4) अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर सामूहिक बाल विवाह के अनुष्ठापन का सनिवारण करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियो के साथ जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समक्षा जायेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह के अनुष्ठापन को रोकने या उनका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तिया भी होगी ओर इस प्रयोजन के लिए वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा। ओर अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा।

(6) उप धारा (1) के अधिन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरूद्व तब तक नही निकाला जायेगा जब तक कि न्यायालय ने यथास्थिती ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्यो या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना न दे दी हो ओर उसे/ या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरूद्व हेतुकदर्शित करने का अवसर ने दे दिया हो

परन्तु किसी अतिआवश्यकता की दशा मे न्यायालय को इस धारा के अधिन कोई सूचना दिये बिना अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति होगी।

(7) उप धारा (1) के अधिन जारी किये गये किसी व्यादेश की ऐसे पक्षकारो को जिसके विरूद्व व्यादेश जारी किया गया था, सूचना देने ओर सुनने के पश्चात पुष्टी की जासकेगी या उसे निश्प्रभाव किया जा सकेगा।

(8) न्यायालय उप धारा (1) के अधिन जारी किये गये किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तीत कर सकेगा।

(9) जहां कोई आवेदन उप धारा (1) के अधिन प्राप्त होता है वहा न्यायालय आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होंने को शिघ्र अवसर देगा यदि न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणो को लेखबद्व करेगा।

(10) जो कोई यह जानते हुऐ कि उसके विरूद्व उप धारा (1) के अधिन व्यादेश जारी किया गया है। उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा तो वह दोनो मे से किसी भांती के कारावास से जिसकी अवधी दो वर्ष तक की हो सकेगी। अर्थात जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा। अथवा दोनो से दण्डनीय होगा

परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय नही होगी।

PTS JODHPUR

(14) **व्यादेशो के उल्लंघन मे बाल विवाह का शून्य होना–:** धारा 13 के अधिन जारी किये गये के व्यादेशो के उल्लंघन मे चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, अनुष्ठापित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से भी शून्य होगा।

(15) अपराधों का संज्ञये और अजमानतीय होना– दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुऐ भी इस अधिनियम के अधिन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजातानतीय होगा।

(16) बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी– (1) राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए नियुक्त करेगी जो उस अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट किया जाए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात, किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिसकी अधिकारिता, अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी।

(2) राज्य सरकार, समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मानीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगरपालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और यथास्थिति, ऐसा सदस्य अधिकारी या पदाधिकारी तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

(3) बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) बाल विवाहों के अनुष्ठान का ऐसी कार्रवाई करके, जो वह उचित समझे निवारण करें।

(ख) इस अधिनियम के उपबंधो का उल्लघन करने वाले व्यक्तियो के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करें।

(ग) बाल विवाह के अनुष्ठापन का संर्वधन करने सहायता देने या होने देने मे अन्तर्वलित न होने के लिए व्यष्टिक मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परार्मश दे

(घ) बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जाग्रति पैदा करे।

(ड़) बाल विवाह के मुद्दो पर समाज को सुग्राही बनायें।

(च) ऐसी नियत कालिक विवरणियां और आंकड़े दे जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित करे।

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यो का निर्वहन करे, जो राज सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें।

(4) राज सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुऐ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित, कर सकेगी जा अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट की जाये ओर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियो का, ऐसी शर्तो एंव परिसीमाओं के अधीन रहते हुऐ जो अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट की जाये प्रयोग करेगा।

(5) बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, 5, 13 के अधीन ओर धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी।

17. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारीयों का लोक सेवक होना–

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भा0द0स0 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्न्तगत लोक सेवक समझे जावेगें।

18. सद्वभाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण –

इस अधिनियम या तद्विन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में संद्वभाव पूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरूद्व नही होगी।

19. नियम बनाने की राज सरकार की शक्ति

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राज पत्र मे अधिसूचना द्वारा बना सकेगी

2. इस अधिनियम के अधिन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात यथा शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

PTS JODHPUR

20. 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन–हिन्दू विवाह अधिनिय 1955 की धारा 18 के खण्ड (क) स्थान पर निम्न लिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थातः– '' (क) धारा 5 के खण्ड (iii) मे विनिर्दिष्ट शर्त की उल्लधन की दशा मे कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से''

21. **निरसन ओर व्यावृति** –(1) बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (1929 का 19) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुऐ भी इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां, जारी रहेगी और निरसित अधिनियम के उपबंधो के अनुसार इस प्रकार निपटाई जायेगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो।

03.राजस्थान सार्वजनिक द्यूत (जुआ) अध्यादेश 1949

● **धारा 3 किसी द्यूत गृह का मालिक होने अथवा उसको चलाने या उसके जिम्मेदार होने के लिए दण्ड** – जहां पर यह अध्यादेश लागू होता है उन सीमाओं के अन्दर स्थित किसी गृह तम्बू, अहाता, जगह, यान, जलयान अथवा किसी स्थान का कोई भी मालिक या अधिभोगी अथवा उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति उक्त गृह तम्बू, अहाता, जगह, यान, जलयान अथवा स्थान का सामान्य द्यूत गृह के रूप में उपयोग करता है खोलता है रखता है या उपयोग में लेता है या उपयोग में लेने की अनुमति देता है प्रबन्ध या कारबार का संचालन करता है द्यूत के प्रयोजनार्थ रूपए देता है उस व्यक्ति को निम्न प्रकार दण्डित किया जावेगा –

क प्रथम अपराध पर ऐसे कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों तरह से

ख दोबारा अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो एक साल तक का हो सकेगा तथा न्यायालय के निर्णय में वर्णित किये जानेवाले प्रतिकूल विशेष कारणों के अभाव में ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा किन्तु कारावास एक माह से कम नहीं ।

ग तीसरी बार अथवा बाद के अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो एक साल तक का हो सकेगा तथा जो न्यायालय के निर्णय में वर्णित किए जानेवाले प्रतिकूल विशेष कारणों के अभाव में ऐसे जुर्माने सहित जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा और कारावास छह माह से कम का नहीं होगा ।

● **धारा 4** :– द्यूत गृह में पाए जाने पर दण्ड जो कोई किसी ऐसे गृह तम्बू, अहाता, जगह, यान, जलयान अथवा स्थान में ताश पासे प्रतिधन अथवा द्यूत के अन्य उपकरणों के साथ खेलता हुआ अथवा द्यूत करता हुआ पाया जावे तो वह पांच सौ रूपए से कम न होने वाले जुर्माने से अथवा छह माह से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डित होगा । ऐसे स्थान पर मौजूद व्यक्ति के बारे में द्यूत खेलने की उपधारणा तब तक की जावेगी तब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे।

● **धारा 5** प्रवेश करने तथा पुलिस को प्रवेश करने तथा तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति :– जिला मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा जिला पुलिस अधीक्षक को विश्वास योग्य सूचना मिलने पर जांच करने के पश्चात जैसा वह जरूरी समझे यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई गृह तम्बू, अहाता, जगह, यान, जलयान अथवा जगह द्यूत गृह की तरह उपयोग में लाया जाता है तो या तो वह स्वयं प्रवेश करेगा या अपने वारण्ट द्वारा पुलिस के ऐसे किसी भी अधिकारी को जो ऐसे पद से कम नहीं होगा जो राज्य सरकार इस बारे में नियत करे । ऐसी सहायता से जो आवश्यक पाई जावे दिन अथवा रात में तथा यदि आवश्यक हो तो–

- बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।
- ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो वहां पाए जावें जुआ खेल रहे हों अथवा नहीं स्वयं के कब्जे में ले सकेगा तथा

PTS JODHPUR

➢ उस स्थान पर पाए जाने वाले सभी द्यूत के उपकरणों को तथा समस्त धन तथा धन के लिए प्रतिभूतियों तथा मूल्यवान वस्तुओं को जिनके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह सन्देह हो कि द्यूत के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई गई है अथवा जिनको उपयोग में लाई जाना आशयित हो अभिग्रहण कर सकेगा।
➢ ऐसे स्थान पर जहां कि किसी द्यूत उपकरण को छुपाए जाने का संदेह हो तलाशी ले सकेगा तथा उन सभी व्यक्तियों की भी तलाशी ले सकेगा जो वहां पर पाए गए हों।

● **धारा 13** :– सार्वजनिक मार्गों में द्यूत तथा पक्षियों और जीव जन्तुओं को लड़ाने की व्यवस्था करना –
➢ पुलिस अधिकारी किसी सार्वजनिक मार्ग जगह या आम रास्ते में द्यूत करते हुए किसी भी व्यक्ति को या
➢ किसी सार्वजनिक मार्ग या जगह अथवा आम रास्ते में किन्हीं पक्षियों अथवा जीव जन्तुओं की लड़ाई की व्यवस्था कराने वाले किसी व्यक्ति को या
➢ पक्षियों या जीव जन्तओं को सार्वजनिक रूप से की जाने वाली ऐसी लड़ाई में सहायता करने तथा उत्प्रेरित करने के लिए वहां पर उपस्थित व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा
➢ जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जावे तो उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जावेगा और वह ऐसे आर्थिक जुर्माने से जो एक सौ रूपए से अधिक नहीं होगा अथवा ऐसी अवधि के साधारण अथवा कठिन कारावास से जो एक माह से अधिक का नहीं होगा । दण्डनीय हो सकेगा। मजिस्ट्रेट द्यूत के उपकरणों को नष्ट करने के आदेश दे सकेगा।

04.राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम,1963

राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम,1963 (12 आफ 1963)

(राज्यपाल की सहमति दिनांक 29 अप्रेल,1963 को प्राप्त हुई।)

राज्यपाल राज्य में ध्वनि के नियंत्रण हेतु उपबंध करने का अधिनियम।
राजस्थान विधान सभा द्वारा भारत के चौदहवें गणतंत्र वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया गया–
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ एवं प्रायोज्यता–(1) यह अधिनियम राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 कहलाएगा।
2. यह सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागु होगा।
3. यह धारा एवं धारा 2 एवं 9 तुरन्त प्रभाव में आएगी।
4. इस अधिनियम के शेष उपबंध ऐसे दिनांक को तथा ऐसे क्षेत्रो में जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसुचित करेगी, लागु होगे तथा राज्य में भिन्न –भिन्न दिनांक एवं भिन्न– भिन्न क्षेत्रों को विभिन्न धाराओ के संबंध में घोषित किया जा सकेगा।

2. परिभाषाएं–
इस अधिनियम में, जब तक विषय या प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो–
(1) लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक से अभिप्राय ऐसे यंत्र से है जिसके द्वारा मृदु ध्वनियां, चाहे वह गायन, वाद्य यंत्र या रिकार्ड की हुई हो, विस्तारित की जाती है;
(2) सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय ऐसे स्थान (जिसमें सड़क, गली या मार्ग चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, तथा उतरने का स्थान शामिल हैं) से है जिसमें जनता पहुँचती है या उसे ठहरने का अधिकार है या जिसमें से होकर जनता को गुजरने का अधिकार है।
3. घोषणा एवं तीव्र ध्वनि का प्रतिषेध– किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिस पर यह धारा लागु होगी, धारा 1 की उपधारा(4) के अधीन, जिला दण्डनायक या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत अन्य अधिकारी ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जायेगा तथा अन्य ऐसे तरीके से जो वह उचित समझे, दिए गए नोटिस के द्वारा किसी ध्वनि को, जो रात के ऐसे समय में जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, चाहे गायन द्वारा या लाउड स्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक द्वारा या अन्य प्रकार से उत्पन्न की गई हो, तथा जो उसकी राय में जनता को क्षोभ या गंभीर असुविधा पहुँचाती हो, तीव्र ध्वनि घोषित करेगा।

PTS JODHPUR

(2) तेज ध्वनि का जिला दण्डनायक अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे तरीके से जो विहित किया जाएगा तथा अन्य ऐसे तरीके से जो वह उचित समझें , दियें गए नोटिस द्वारा प्रतिषेध किया जाएगा।

4. लाउड स्पीकरों को बजाने एवं उनके उपयोग पर प्रतिबंध– कोई भी व्यक्ति किसी लाउड स्पीकर या ध्वनि का किसी भाषण, उपदेश, संगीत या रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण के लिए नहीं बजाएगा या उपयोग में नहीं लेगा या उसे बेतार के रिसीविंग सैट या ग्रामोफोन को–

(क) ऐसे क्षेत्र के भीतर जो निर्धारित किया जाएगा–

(i) किसी अस्पताल से या किसी भवन से जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज है ,या

(ii) ऐसी शिक्षण संस्था से जिसका राज्य सरकार द्वारा या वर्तमान किसी कानून के अन्र्तगत स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रबंध, रख–रखाव, किया जाता है तथा जो उसके द्वारा मान्यता प्राप्त या नियंत्रित है , उस संस्था के कार्य के समय के दौरान, या

(iii) किसी ऐसे छात्रावास से जिसका रख–रखाव राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है जब वह छात्रावास छात्रों के उपयोग में आ रहा हो; या

(iv)ऐसे भवन से जिसमें न्यायालय या सरकारी कार्यालय लगता है , उस न्यायालय या कार्यालय के कार्य समय के भीतर; या

(ख) रात्रि के 11 बजे से प्रातः 5 बजे के समय के मध्य, विहित प्राधिकारी की लिखित में अनुमति प्राप्त किए बिना संलग्न नहीं करेगाः

परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात किसी सार्वजनिक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर ध्वनि विस्तारक के उपयोग पर लागु नहीं होगी जो वर्तमान में प्रभावशील किसी कानून के अधीन विधिवत् लाईसेन्स शुदा किसी बेतार यंत्र का एक से घटक भाग है।

5. किसी समय किसी भी स्थान पर ध्वनि को रोकने की शक्ति – जिला दण्डनायक या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इससे सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए आदेश के द्वारा किसी भी प्रकार की ध्वनि का, उसके विस्तार सहित, किसी स्थान पर एवं किसी भी समय, प्रतिषेध करेगा।

6. शास्तियां– जो कोई भी इस अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उनके उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा या इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक रूप से दिये गए किसी आदेश के विरूद्ध कार्य करेगा, ऐसे जुर्माने से जो 250 रू तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा तथा दुसरी बार या उसके बाद दोषसिद्धि के लिये किसी भी प्रकार के या तो कारावास से जो एक माह तक होगा या जुर्माने से जो 250रू तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा।

7. प्रकिया– इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रणी के दण्डनायक द्वारा विचारण योग्य होगा।

8. गिरफ्तार करने की पुलिस को शक्ति– किसी पुलिस अधिकारी के लिए जो सब–इन्स्पेक्टर से नीचे के पद का नहीं होगा, इस अधिनियम या तद्धीन वैध रूप से बनाए गये किसी नियम के उपबंधों के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से प्रविरत रहने के लिए कहना तथा मना करने या अवज्ञा के मामले में, उस व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार करना जैसे कोई संज्ञेय अपराध किया हो, विधि संगत होगा।

9.नियम बनाने की शक्ति–(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशित करने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन को निष्पादित करने के लिए सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किये जाएंगे या निर्धारित किये जाने आवश्यक हैं, या जिनके लिए, ऐसे उपबंधों के अधीन, नियम बनाये जायेगें या नियम बनाना अपेक्षित है, उपबंध करने हेतु नियम बनायेगी।

(2)इस अधिनियम के अधीन अन्तिम रूप से निर्मित सभी नियमों को, उनके बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र,राज्य विधान सभा के सदन के समक्ष जब वह ऐसी अवधी के लिए सत्र में हो जिसकी अवधी चौदह दिन से कम नहीं होगी तथा जो एक सत्र या दो क्रमिक सत्रों को मिलाकर भी हो सकती है, रखा जाएगा तथा यदि उस सत्र की जिसमें उन्हें उक्त प्रकार रखा गया है या उसके ठीक बाद के समाप्त होने से पूर्व, राज्य विधान सभा का सदन इन नियमों से किन्हीं नियमों में उपान्तर करता है या यह संकल्प पारित करता है कि ऐसे नियम नहीं बनाये जाना चाहिए, उसके बाद ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगें या जैसी भी स्थिति हो, प्रभावी नहीं होगें तथापि यह कि ऐसी काई उपान्तरण या शून्यीकरण तद्धीन पूर्व में की गयी किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

10. निरसन– अजमेर अधिनियम,1952 (1952 का अजमेर अधिनियम 3) तथा राज्य के किसी भी भाग में तद्नुरूप अन्य कानून द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

05.मोटरयान अधिनियम 1988 (MOTOR VEHICLE ACT, 1988)

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारिख को प्रयुक्त होगा जो केन्द्रिय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारिखें नियत की जा सकेगी तथा इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस राज्य में अधिनियम के प्रवृत होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2. परिभाषाएं –: इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में ''क्षेत्र'' ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत हे जिसे राज्य सरकार उस उपबन्ध की अपेक्षओं को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें;

(2) ''संलग्न् यान'' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जिससे कोई अर्द्ध–टेलर संलग्न हैं;

(3) किसी यान की धुरी के संबध में ''धुरी भार'' से उस धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा, उस भू–तल पर, जिस पर वह यान टिका हुआ है, संप्रेषित कुल भार अभिप्रेत है;

(5) मंजिली गाडी के संबंध में, ''कन्डक्टर'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रियों से किराया संगृहीत करने, उनका मंजिली गाडी में प्रवेश करना या उसमें से बाहर जाना विनियमित करने और ऐसे अन्य कृतय करने में लगा हुआ है जो विहित किए जांए;

(29) ''बस'' से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो छह से अधिक यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है;

(39)''अर्द्ध–टेलर'' से यांत्रिकी रूप से नोदित नहीं यान (ट्रेलर के अलावा) यान अभिप्रेत है, जो मोटर यान से जुडा होना आशयित होता है और जिसे इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि उसका एक भाग खींचने वाले के उपर होता है और उसके भार का एक भाग उस यान द्वारा वहन किया जाता है;

मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

धारा– 3.चालन–अनुज्ञप्ति की आवश्यकता–: (1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई प्रभावी चालन–अनुज्ञप्ति है; और कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने प्रयोग के लिए भाडे. पर लिये मोटर टैक्सी या मोटर साइकिल या धारा 75 की उप–धारा (2) के अधीन निर्मित किसी योजना के अधीन किराये पर लिये मोटर टैक्सी या मोटर के अलावा परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालन–अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने का हकदार बनाती है।

PTS JODHPUR

(2) वे शर्त जिनके अधीन उप–धारा (1) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटर यान चलाना सीख रहा है ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहीत की जाऐं ।

धारा– (5) धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व–:मोटर यान का कोई भी स्वामी या भारसाधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या4 के उपबंधो की पूर्ति नहीं करता है, न तो यान चलवाएगा न उसे चलाने की अनुज्ञा देगा।

धारा– 29. कंडक्ट्रर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता :– (1) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्ट्रर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है, और कोई भी व्यक्ति मंजिली गाड़ी के कडंक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नही करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है।

(2) राज्य सरकार ऐसी शर्तें विहीत कर सकेगी जिन पर उपधारा (1) किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को, जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है या ऐसे व्यक्ति को जो अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के नियोजित किया गया है, लागू नहीं होगी।

मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण

धारा– 39. रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता–: किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटर यान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित होः

परन्तु इस धनान की कोई बात ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो केंन्द्रय सरकार द्वारा विहित की जाएं किसी व्यवहारी के कब्जे में के मोटर यान का लागू नहीं होगी।

धारा–66 परमिटो की आवश्यकताः–

किसी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान मे उस यान का परिवहन यान के रू‍ में उपयोग चाहे उस यान से वास्तव में यात्री या माल का वाहन किया जा रहा है या नही उस परमीट की शर्तो के अनुसार ही करेगा या करने की अनुज्ञा देगा। जो उस स्थान मे उस रिति से जिससे उस यान का उपयोग किया जा रहा है उस यान का उपयोग अधिकृत करते हुऐ प्रादेशिक या राज्य परिवहन अधिकारी या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा किया गया है या प्रतिहस्तान्तरित किया गया है।

परन्तु मंजिली गाड़ी परमिट से, ऐसी शर्तों पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उस यान का उपयोग ठेका गाड़ी के रूप में करना प्राधिकृत होगा। परन्तु यह और की मंजिल गाड़ी परमिट से, ऐसी शर्तों पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उस यान का उपयोग माल वाहक के रूप में करना, चाहे वह यात्रियों को वहन कर रहा हो या नहीं, प्राधिकृत किया जा सकेगा। परन्तु यह और भी कि माल वाहन के परमिट से, उन शर्तो पर जो परमिट में विनिर्दिष्ट हो, उसके धारक द्वारा चलाये जाने वाले व्यापार या कारोबार के लिए या उसके सम्बन्ध में माल को वहन करने के लिए उसके द्वारा यान का उपयोग करना प्राधिकृत करना होगा।

(2) माल– वाहन परमिट का धारक, यान का उपयोग किसी ऐसे सार्वजनिक या अर्ध टेलर के, जो उसके स्वामित्व के अधीन नहीं है, खीचंने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो विहित की जाए। परन्तु यह कि किसी संलग्नक यान (आर्टिकुलेटेड व्हीकल) के परमिट का धारक उस संलग्नक यान के मुख्य चालक यंत्र (प्राईम मूवर) को किसी अन्य अर्धटेलर के लिए उपयोग में ले सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होगें, अर्थात्–

(क) कोई ऐसा परिवहन यान जो केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन है जो और ऐसे सरकारी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिस पर किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी स्थानिय प्राधिकारी के या स्थनिय प्राधिकारी से की गई संविदा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति स्वामित्वधीन है और केवल सड़क को साफ करने, सड़क पर जल छिड़कने या सफाई के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।
(ग) कोई ऐसा परिवहन यान जो केवल पुलिस, दमकल या रोगी वाहन परियोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।
(घ) कोई ऐसा परिवहन यान जो शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के प्रवहण के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है।
(ड) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी बिगड़े हुए यान का अनुकर्षण (खींचने हेतु) करने के लिए अथवा किसी बिगड़े हुए (खराब हुए) यान से माल को निरापद स्थान पर हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
(च) कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करें।
(छ) कोई ऐसा परिवहन यान जो मोटर यानों का विनिर्माध करने के लिए या उनमें व्यवहार करने वाले या चैसिस संलग्न किए जाने के लिए उनकी बॉडी बनाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। जो केन्द्रिय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना क्षरा, इस निमित विनिर्दिष्ट करें।
(ज) विलोपित
(झ) कोई ऐसा माल यान जिसका सफल यान वनज किलोग्राम से अधिक नहीं है।
(ञ) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो केन्द्रिय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विहित करें, कोई ऐसा परिवहन यान जो एक राज्य में खरीदा गया है और कोई यात्री या माल वहन किए बिना उस राज्य में या किसी अन्य राजय में स्थित किसी स्थान को जा रहा है।
(ट) धारा 43 के अधीन अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत कोई परिवहन यान उस समय ज बवह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से खाली ही किसी स्थान को जा रहा है।
(ठ) विलोपित
(ड) कोई ऐसा परिवहन यान जिसे बाढ, भुकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक विपदा, सड़क पर बाधा या अनवेक्षित (अनदेखी) परिस्थितियों के कारण अपने मार्ग के बदले किसी अन्य मार्ग पर लगाकर, भले ही वह राज्य के अन्दर हो या बाहर, इस दृष्टि से भेजा जाना आवयक हे कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाये।
(ढ) कोई ऐसा परिवहन यान जो ऐसे प्रयोजनों के लिए अपयोज में लाया जाता है, जिसे केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें,
(ण) कोई ऐसा परिवहन यान जो अवक्रय, पट्टा आडमान करार के अधीन है और ऐसे स्वामी के व्यतिक्रम (गलती) के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी और से, जिसके साथ व्सामी ने ऐसा करार किया है, कब्जे में ले लिया गया है जिससे कि ऐसा मोटर यान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके।
(त) कोई ऐसा परिवहन यान जब वह खाली ही मरम्मत के लिए प्रयोजन के लिए जा रहा हो।
(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) किसी मोटर यान को, जिसे ड्राईवर के अलावा 9 से अधिक व्यक्तियों का वहन करने से अनुकुल बना लिया गया है, तब लागू होगी जब राज्य सरकार ने धारा 96 के अधीन बनाए गये नियमों ऐसा विहित किया हो।

यातायात का नियंत्रण

धारा 119. यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्त्तव्य–(1) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी आज्ञापक यातायात चिन्ह द्वारा दिए गए संकेत के अनुरूप और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरूप चलाएगा और उन सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा जो ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जांए जो उस समय किसी सार्वजनिक स्थान में यातायात का विनियमन करने में लगा हुआ हैं ।

PTS JODHPUR

(2) इस धनान में ''आज्ञापक यातायात चिन्ह'' से अनुसूची के भाग क में दिया गया कोई यातायात चिन्ह या उसी प्रकार का ऐसा कोई यातायात चिन्ह (अर्थात् कोई युक्ति,शब्द, या अंक प्रदर्शित करने वाली और लाल जमीन या किनारे वाली गाल डिस्क का या वैसी डिसक वाला यातायात चिन्ह अभिप्रेत हे जो धनान 116 की उपधनान 1 के अधीन मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए रखा या लगाया गया हैं।

धारा 120. बाई और के नियत्रंण वाले यान :– कोई व्यक्ति बाई और के स्टीरिंग नियत्रंण वाले ऐसे किसी मोटर यान को किसी सार्वजनिक स्थान में तभी चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, जब उसमें विहित प्रकार का यांत्रिक या विद्युत सकेंतन यंत्र लगा हुआ हो व चालु हालत में हो या नहीं।

धारा 121. संकेत और संकेतन युक्तियां– किसी मोटर यान का ड्राइवर ऐसे अवसरों पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करेः–

परन्तु दाई या बाई और मुडने के या रोकने के आशय का संकेत–

(क) दाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले माटरयान की दशा में, यान में लगी विहित प्रकृति की यात्रिंक या विधुत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगा, और

(ख) बाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान की दशा में यान में लगी विहित प्रकृति की यांत्रिक या विधुत युक्ति द्वारा दिया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी क्षेत्र या मार्ग की चौड़ाई और हालत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी मोटरयान या ऐसे किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को उस क्षेत्र या मार्ग पर चलाने के प्रयोजन के लिए इस धारा के प्रवर्तन से ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट कि जाएं।

धारा–122 यान को खतरनाक हालात में छोडना– किसी मोटर यान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या टेलर को किसी सार्वजनिक पर न तो ऐसी जगह पर, न ऐसी हालत में और न ऐसी परिस्थितियों में छोड़ेगा या रहने देगा या छोड़ने या रहने देने की अनुज्ञा देगा, जिससे सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों का यात्रियों को खतरा, बाधा या असभ्यक असुविधा हो या होने की संभावना हो।

धार–123 चलते यान के फुट बोर्ड आदि पर सवारी–1 मोटर यान का डाइवर या भारसाधक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति कों न तो चलते यान के फुटबोर्ड पर ले जाएगा और न यान के अन्दर ले जाने से अन्यथा ले जाएगा और न ऐसे ले जाए जाने की अनुज्ञा देगा।

धारा–124 पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिष्ध– कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए तभी प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा, जब उसके पास समुचित पास या टिकिट हो अन्यथा नहीं– परन्तु जहा मंजिली गाड़ी में ऐसे टिकिट को दिए जाने का प्रबन्ध है, जिसे लेकर किसी व्यक्ति को यात्रा करनी होती है, वहॉ कोई व्यक्ति ऐसी मंजिली गाड़ी में प्रवेश कर सकेगा, किन्तु उसमें प्रवेश करने के पश्चात यथाशक्य शीघ्रवह अपना किराया कण्डक्टर या डाइवर को, जो कण्डक्टर के कृत्यों का पालन करता हो, देगा और, यथास्थिति, ऐसे कण्डक्टर या डाइवर से अपनी यात्रा के लिए टिकिट लगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में,– क– ''पास'' से अभिप्रेत है कर्तव्य, विशेषाधिकार या सौजन्य पास जिससे वह व्यक्ति, जिसे यह पास दिया जाता है, मंजिली गाड़ी में निः शुल्क यात्रा करने का हकदार होता है, और इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मंजिली गाड़ी में यात्रा के लिए संदाय किए जाने पर जारी किया गया पास भी है,

ख–''टिकट के अन्तर्गत एकल टिकिट, वापसी टिकट या सीजन टिकिट भी हैं;

धारा–125 ड्राईवर की बाधा– मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से या ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को खड़ा रहने या बैठने अथवा किसी वस्तु को रखने की अनुज्ञा न देगा जिससे यान पर नियत्रण रखने में डाइवर को रूकावट हो।

धारा–126 बड़े यान– कोई भी व्यक्ति, जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा रखेगा या खड़ा रखने की अनुज्ञा न देगाद्व जब डाइवर की

जगह पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्त है अिवा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई और ब्रेक लगा दिया गया है या लगा दिए गए है। या ऐसे अन्य उपाय कर दिए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता।

धारा–127 सार्वजनिक स्थान परित्यजित (छोड़े गए) या बिना संभाल के रहने दिए गए मोटर यानों का हटाया जाना–1– जहॉ कोई मोअर यान किसी सार्वजनिक स्थान पर दस घण्टे या उससे अधिक तक अननुसेवित बिना संभाल के छोड़ दिया जाता है या पड़ा रहने दिया जाता है या ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाता है, जहॉ खड़ा करना कानून द्वारा वर्जित मना है तो वहॉ अधिकारिता रखने वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा उस यान को अनुकर्षण (ढोकर ले जाने की) सेवा द्वारा हटाने या उसे किसी साधन से, अचल करने जिसमें सम्मिलित है, के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(2) जहॉ कोई छोड़ा गया (परित्यजित) अननुसेवित, टूटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रूप से टूटा हुआ यान, (सार्वजनिक स्थान) के सम्बन्ध में, उसकी हालत के कारण, यातायात संकट उत्पन्न कर रही है तो वहॉ ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारीता है, यान को ढोकर ले जाने की सेवा द्वारा सार्वजनिक स्थान से हटाने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(3) जहॉ कोई यान उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटाये जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वहॉ यान का स्वामी ढोकर ले जाने के सब व्यय के लिए तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य शास्ति के लिए भी उतरदायी होगा।

धारा–136–दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण– जब कोई मोटरयान दुर्घनाग्रस्त हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उस दशा में अपना प्राधिकार पेश करके, जब उससे वैसी अपेक्षा की गई है, यान का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा दिया जाएगा।

अपराध, शस्तियां और प्रक्रिया

धारा 177. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध –: जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनयम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है; प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रूपय तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो तीन सौ रूपय तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा–178 पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इन्कार करने के लिए धारित आदि– (1) जो कोई मंजिली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा या मंजिली गाड़ी में रहेगा या उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा, या देने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से जो रूपये 500 (पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में 'पास' या 'टिकट' के वही अर्थ है जो धारा 124 में है।

(2) यदि मंजिली गाड़ी का कंडक्टर या मंजिली गाड़ी का ड्रइवर, ऐसी मंजिली गाड़ी के ऐसे कण्डक्टर के कृत्य का पालन कर रहा है जिसका यह कर्तव्य है कि–

(क) यदि मंजिली गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा भाड़ा दिये जाने पर उसे टिकिट दे, जानबुझकर या उपेक्षापूर्वक–

(1) भाड़ा दिये जाने पर उसे स्वीकार करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा, या
(2) टिकट लेने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा, या
(3) अवैध टिकिट देगा, या
(4) कम मूल्य का टिकिट देगा, या

PTS JODHPUR

(ख) वह किसी पास या टिकिट की जांच करे, जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक ऐसा करने में असफल रहेगा या इन्कार करेगा, तो वह जुर्माने से, जो रूपये 500(पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक/आपरेटर या ड्राइवर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों को ले जाने से इन्कार करेगा तो वह–

(क)दो पहिए या तीन पहिए वाले यानों की दशा में जुर्माने से, जो रूपये 50 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और

(ख) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से, जो रूपये 200 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा– 179 आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इन्कार करना–(1)जो जानबूझकर ऐसे किसी निदेश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने क लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्ही कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की बाधा पहुचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए ऐसे अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नही है, जुर्माने से, जो रूपये 500 (पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए भी ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसक सही होने का उसे विश्वास नहीं है वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक माह बक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 500 (पांच सौ रूपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 180. अप्राधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना–मोटरवाहन का स्वामी, अन्य किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 व 4 के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करता है, वाहन चलवाएगा। वह कारावास (3 माह तक) या अर्थ दण्ड रूपये 1000/– तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 181. धारा 3 व 4 का उल्लंघन करते हुए वाहन को चलाना – जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से जो धार3 या 4 के उपबंधो की पूर्ति नहीं करता, यान चलवाएगा या चलाने देगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 182 अनुज्ञप्ति सम्बन्धी अपराध–(1) जो कोई चालन– अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरजित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटर यान चलाएगा या चालन–अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठाकन रहित चालन–अनुज्ञप्ति दिये जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन–अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन `रेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, बह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपय `500 तक का हो सकेगाा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई चालन– आनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी।

(2) जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान मे कार्य करेगाा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिये जाने का हकदार होते हुए अपने द्वारा पहने धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गये पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन तक की हो सकंगी, वह कारावास से जिसकी अवधि एक माह अथवा दोनों तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000(एक हजार रूपये) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा तथा उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी।

182–क.यानों के निर्माण और संधारण सम्बन्धी अपराधों के लिए दंड– कोई व्यक्ति जो धारा 109 की उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह प्रथम दोषसिद्दि के लिये एक हजार रूपये तक के अर्थदंड से दंडनीय होगा तथा पश्चात्वर्ती दोषसिद्दि के लिये पांच हजार रूपये तक के अर्थदंड से दंडनीय होगा।

धारा–183– अत्यधिक गति से चलाना–(1) जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति–सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान को चलायेगा वह जुर्माने से, जो रूपये 400(चार सौ रूपये) तक का हो सकेगा, या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसि़द्व होने की दशा में जुर्माने से, जो रूपये 1000(एक हजार रूपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई ऐसे व्यक्ति से, जो माटर यान चलाने के लिए उसके द्वारा नियोजित या उसके नियंणाधीन है, धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे चलवाएगा, वह जुर्माने से, जो रूपये 300 (तीन सौ रूपये) तक का हो सकेगाा या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्व हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्व होने की दशा में जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय के साक्ष्य पर ही कि उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो विधि विरूद्व है तब तक दोषरिद्ध न किया जाएगा जब तक उस राय की बाबत यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि वह किसी यांत्रिक व्यक्ति के उपयोग से अभिप्राप्त प्राक्कलन पर आधारित है।

(4) ऐसी समय सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन ऐसे किसी निदेश का दिया जाना जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग विनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाता है उस दशा में, जिसमें न्यायालय की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में यह साक्ष्य नहीं है कि वह यात्रा या यात्रा का भाग धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन किये बिना निनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लिया जाये, इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा कि जिस व्यक्ति ने वह समय सारणी प्रकाशित की है या वह निदेश दिया है उसने उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

धारा–184 खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना– जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है जिसके होने की उचित रूप से प्रतीक्षा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 1000 तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के लिए उस दशा में, जिसमें कि वह वैसे ही पूर्ववति अपराध के लिए जाने के तीन वर्ष के अन्दर किया गया है, कारावास सके जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 2000 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा– 185 किसी व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना– मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय–

(क) जिस किसी के रक्कतक में श्वास विश्लेषक से जांच में 30 मि.ग्रा. प्रति 100 मिली. से अधिक एल्कोहल हो,

(ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस हद तक है कि वह मोटरयान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ हो, वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो ही पूर्ववर्ती समान अपराध किये जाने के तीन वर्ष के भीतर किया गया है, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित निनिर्दिष्ट किया गया मादक द्रव्य ऐसा समझा जाएगा जिससे व्यक्ति माटर यान पर उचित नियंत्रण रखने योग्य नहीं रहता।

धारा–186 मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप में अयोग्य होते हुए चलाना– जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटर यान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी ऐसे रोग या निः शक्ता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण

PTS JODHPUR

जनता के लिए खतरें का कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो रूपये 200 तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो 200 तक का होगा तथा द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगाा, दण्डनीय होगा।

धारा–187 दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड– जो कोई धारा 132 की उपधारा(1) के खण्ड (ग) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हाहे चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये1000 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा–188 कतिपय अपराधों दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड– जो कोई धारा 184, धारा 185 या धारा 186 के अधीन अपराध के लिए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा– 189 दौड़ और गति का मुकाबला– जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यानों की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–190 असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना–: (1) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐस मोटर यान या ट्रेलर को, उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपय तक का हो सकेगा, अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से,दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सडक सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए एक हजार रूपए तक जुर्माने से, तथा किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दो हजार रूपए तक जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐस चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे ऐसे माल के वहन से संबंधित जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, तीन हजार रूपय तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगा, अथवा दोनो से, और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–191 यान का ऐसी हालत में विक्रय में परिवर्तन जिससे इस अधिनियम का उल्लंघन हो– जो कोई मोटर यानों का आयातकर्ता या व्यौहारी होते हुए मोटर यान या ट्रेलर का ऐसी हालत में विक्रय या परिदान करेगा अथवा विक्रय या परिदान की प्रस्तापना करेगा जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होगा अथवा मोटर यान या ट्रेलर को ऐसे परिवर्तित करेगा कि उसकी ऐसी हालत हो जाए जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाए किसी नियम का उल्लंघन होगा, वह जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जाएगा जिसमें यह साबित कर देता है कि उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण था कि वह यान सार्वजनिक स्थान में तब तक

PTS JODHPUR

उपयोग में लाया जाएगा जब तक वह ऐसी हालत में नहीं कर दिया जाता जिसमें उसका ऐसा उपयोग विधिपूर्णतया किया जा सकता है।

धारा–192 रजिस्ट्रीकरण के बिना यानों का उपयोग–(1)जो कोई धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए एक मोटरयान को चलाता है या चलवाता हे या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु दो हजार रूपये से कम नहीं होगा और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय, कारण लेखबद्ध करते हुए, कम दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(2) इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए जो रोग या क्षति से ग्रस्त है या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाध या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय आपूर्तियों (सामग्री) के परिवहन के लिए मोटरयान के उपयोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह तब जब कि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके ऐसे उपयोग की रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग किए जाने के सात दिन के अन्दर दे दें।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराध के बारे में दोषसिद्धि की अपील जिस न्यायालय में होती है, वह निचले न्यायालय द्वारा किये गये किसी आदेश को अपास्त या परिवर्तित कर सकेगा, चाहे उस दोषसिद्धि के विरूद्ध आदेश में की गई है, कोई अपील नहीं होती है।

192.–क, बिना परमिट के यानों का उपयोग–(1) जो कोई धारा 66 की उपधारा(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए एक मोटरयान को चलाता है या चलवाता है या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है या परमिट को किसी मार्ग पर या क्षेत्र में या जिस उद्देश्य से उस यान का उपयोग किया जा सकता है, उससे सम्बन्धित शर्तोका उल्लंघन करता है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु दो हजार से कम नहीं होगा और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, परन्तु तीन मास से कम का नहीं होगा या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, परन्तु पांच हजार रूपये से कम नहीं या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्यिों को ले जाने के लिए जो रोग से या क्षति से ग्रस्त है या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाघ या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय आपूर्तियों (सामग्री) के परिवहन के लिए मोटरयान के उपयोग के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी;

परन्तु यह तब जबकि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके ऐसे उपयोग की रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग किए जाने से सात दिन के अन्दर दे दे।

(3) उपधारा (1) विर्निदिष्ट प्रकार के अपराध के बारे में दोष सिद्ध की अपिल जिस न्यायालय में होती **है, वह निचले न्यायालय द्वारा किये गये किसी आदेश को अपास्त या परिवर्तित कर सकेगा चाहे उस** दोषसिद्धि के विरूद्ध जो ऐसे आदेश में की गई है, कोई अपील नही होती है।

धारा – 193 समुचित प्राधिकारी के बिना अभिकर्ताओं और प्रचारकों के रूप में कार्य करने वालों को दण्ड – जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा। वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो रूपये 1000/– तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो रूपये 2000/– तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डित हो सकेगा।

धारा – 194 अनुज्ञेय वजन से अधिक वजन वाले यान का चलाना –(1) जो कोई धारा 133 या धारा 114 या धारा 115 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए मोटरयान चलाता या चलवाता हैं या चलनाने की अनुमति देता है, वह प्रथम अपराध के लिए दो हजार रूपये के कम से कम जुर्माने से और अतिरिक्त भारा के लिए

प्रति टन एक हजार रूपये मय अतिरिक्त भार को उतारने को उतारने के खर्चे के दायित्व सहित, दण्डनीय होगा।

(2) यान का कोई चालक जो रूकने से और धारा 114 के अधीन इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के निदेश दिये जाने के पश्चात् यान का वजन कराने से इन्कार करता है अथवा वजन कराने से पूर्व माल को हटाता है या हटवाता है, जुर्माने से, जो तीन हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा–195 कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम जुर्माने का अधिरोपण –(1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर वैसा ही अपराध पूर्ववती अपराध के लिए जाने के तीन वर्ष के भीतर दूसरी बार या उसके पश्चात्वर्ती बार करेगा तो कोई न्यायालय ऐसे अपराध के लिए अधिरोपणीय जुर्माने की अधिकतम रकम के एक चौथई से कम जुर्माना केवल उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबकद्ध किये जायेंगे, अधिरोपित करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह न्यायालय की ऐसी कारावास अधिनिर्णीत करने की शक्ति को निर्बन्धित करती है जो वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझकता है और जो उस अपराध की बाबत इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

धारा–196 बीमा न किये गये यान को चलाना– जो कोई धारा 146 के उपबंधो का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, वह कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो रूपये 1000/– तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–197 प्राधिकार के बिना यान ले जाना–(1)जो कोई किसी मोटर यान का या तो उसके स्वामी की सहमति के बिना या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ले जायेगा और चलाएगा वह कारावास से, जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो रूपये 500/– तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोषसिद्ध न किया जाएगा जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि उसे विधिपूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा ऐसे समुचित विश्वास से कार्य किया है कि यदि उसने स्वामी की सहमति मांगी होती तो मामले की परिस्थितियों में स्वामी ने अपनी सहमति दे दी होती।

(2) जो कोई विधिविरूद्ध रूप से, बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा या अन्य प्रकार से अभित्रांस के द्वारा, किसी मोटर यान को छीन लेता है या उस पर नियंत्रण करता है, वह कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो रूपये 500 तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई किसी मोटर यान के सम्बन्ध में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने का प्रयास करेगा या किसी ऐसे कार्य कारने का दुष्प्रेरण करकेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उपराध किया है।

धारा–198 यान से अनधिकृत हस्तक्षेप– जो कोई विधिपूर्व प्राधिकार या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना किसी खड़े हुए मोटर यान में प्रवेश करेगा या चढेगा या मोटर यान के ब्रेक या यन्त्र जाल के किसी भाग को बिगाड़ेगा वह जुर्माने से, जो 100/– रू तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा–199 कम्पनीयों द्वारा अपराध–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी भी उस उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होगे।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उस अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से यिा गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा

के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए– (क) ''कम्पनी'' से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

धारा–200 कतिपय अपराधों का शमन–(1) धारा 177, धारा 178, धारा 179 धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183, की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 185, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196, या धारा 198 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का चाहे वह उस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारिंयों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करे, शमन या अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, या पश्चात् किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी अपराध का शमन उपधारा का शमन उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां अपराधी को यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरूद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा 201. यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति'–: (1) जो कोई किसी निर्योग्य यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह अवरूद्ध होता है, तो वह जब तक यान उस स्थिति में रहता है, प्रति घंटा पचास रूपये तक की शास्ति के लिए दायी होगाः

परन्तु दुर्घटनाग्रस्त यान केवल उस समय से शास्ति का दायी होगा जिस समय विधि के अधीन निरीक्षण की औपचारिकताएं पूरी हो जाती है ।

परन्तु और जहां यान को सरकारी एजेंसी द्वारा हटाया जाता है, वहां यान मालिक या ऐसे यान के प्रभारी व्यक्ति से खिंचाई प्रभारों को वसूल किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन शास्तियों या खिचांई प्रभारों को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा,जिन्हे राज्य सरकार राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करें।

धारा 206. पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति–:(1) यदि किसी पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान पर ले जाया जाने वाला कोई भी पहचान चिन्ह अथवा कोई अनुज्ञप्ति, परमिट, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज, जिसे मोटर यान के ड्राइवर या अन्य भारसाधक दण्ड संहिता(1860 का 45) की धनान 464 के अर्थ में मिथ्या दस्तावेज है, तो वह उस चिन्ह या दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा तथा यान के ड्राइवर या स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे चिन्ह या दस्तावेज के अपने कब्जे में होने अथवा यान में विद्यमान होने का कारण बताए।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का ड्राइवर जिस पर अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, फरार हो सकता है या समन की तामील से अन्यथा बच सकता है तो वह ऐसे ड्राइवर द्वारा धास्ति किसी अनुज्ञप्ति को अभिगृहीत कर सकेगा और उस अपराध का संज्ञान करने वाले न्यायालय के पास उसे भेज सकेगा तथा उक्त न्यायालय अपने समक्ष ऐसे ड्राइवर के प्रथम बार उपस्थित होने पर उस अनुज्ञप्ति को ऐसी अस्थायी अभिस्वीकृती के बदले मे ं, जो उप–धारा 3 के अधीन दी गई है, उसे लौटा देगा।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसने उप–धारा 2 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अभिगृहीत किया है, उस व्यक्ति को, जिसने अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित की है, उसके लिए अस्थायी अभिस्वीकृति देगा तथा ऐसी अभिस्वीकृती धारक को जब तक वह अनुज्ञप्ति उसे लौटा नहीं दी जाती अथवा ऐसी तारीख तक जो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभिस्वीकृति में निर्दिष्ट की गई है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, यान चलाने के लिए प्राधिकृत करेगी;

PTS JODHPUR

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति का, उससे आवेदन किए जाने पर यह समाधान हो जात है िकवह अनुज्ञप्ति उसके धारक को अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व ऐसे किसी कारण से, जिसके लिए वह धारक उत्तरदायी नहीं हैं, नहीं लौटाई जा सकती अथवा नहीं लौटाई गई है तो, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति मोटर चलाने के प्राधिकार की अवधि को उस तारीख तक के लिए बढा सकेगा जो अभिस्वीकृति में विनिर्दिष्ट की जाए।

धारा 207. रजिस्ट्रीकरण प्रामण पत्र, परमिट, आदि के बिना उपयोग किए गए यानों को निरूद्ध करने की शक्ति–: (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धनान 3 या धारा 4 या धारा 39 के उपबन्धों का उल्लंघन करके या धारा 66 की उप–धनान 1 द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना अथवा उस मार्ग सम्बन्धी, जिस पर या उस क्षेत्र सम्बंधी जिसमें अथवा उस प्रयोजन सम्बन्धी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करके किया गया है या किया जा रहा है तो वह उस यान को अभिगृहीत और विहित रीति से निरूद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कोई कदम उठवा सकेगा जो उस यान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए वह उचित समझे;

परन्तु जहॉ ऐसे अधिकारी या व्यक्ति को वह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान का उपयोग धनान 3 या धनान 4 का उल्लंघन करके, या धनान 66 की उप–धनान 1 द्वारा अपेक्षित परमिट के बिना किया गया है या किया जा रहा है वहां वह यान को अभिगृहीत करने के बजाय यान के रजिस्ट्ररकरण का प्रमाणपत्र अभिगृहीत कर सकेगा तथा उसके लिए अभिस्वीकृति देगा।

(2) जहां कोई मोटर यान उप–धनान 1 के अधीन अभिगृहीत और निरूद्ध किया गया है वहां उस मोटर यान का स्वामी या उसका भारसाधक व्यक्ति, परिवहन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऐसे यान के निर्मुक्त कर देने के लिए सुसंगत दस्तावेजो के साथ आवेदन कर सकेगा, और ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे दस्तावेजो का सत्यापन करने के पश्चात् आदेश द्वारा यान को ऐसी शर्तो के अधीन निर्मुक्त कर सकेगा जो वह प्राधिकारी या अधिकारी अधिरोपित करना ठीक समझे।

06. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (Rajasthan Excise Act 1950)

आबकारी अधिनियम–

धारा –16 इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत के अलावा आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण का प्रतिषेध–(1) आबकारी आयुक्त या इस निमित सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा इस निमित अनुदत किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और उसके शर्तो और निर्बन्धनों के अन्तर्गत से अन्यथा–

(क) कोई भी आबकारी योग्य वस्तु विनिर्मित नहीं की जा सकती है;
(ख) हैम्प के पौधों (केनोविस सतिवा) की खेती नहीं की जा सकती है;
(ग) हैम्प के पौधों (केनोविस सतिवा) का को कोई भी भाग, जिससे मादक औषधि–द्रव्य विनिर्मित किया जा सकता है, संगृहीत नहीं किया जा सकता है;
(घ) कोई भी शराब विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जा सकेगी;
(ड़) किसी भी ताड़ी उत्पादक वृक्ष से रस नहीं चुआया (निकाला) जा सकेगा;
(च) किसी भी वृक्ष से ताड़ी नहीं निकाली जाएगी; और
(छ) कोई भी व्यक्ति किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए कोई भी पदार्थ,

भभका, बर्तन, औजार, उपकरण या कोई भी यंत्र न तो उपयोग में लाएगा और न ही अपने पास (कब्जे) में रखेगा।

(2) आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित दी गई किसी अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के बिना तथा अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों और शर्तो से अन्यथा कोई भी आसवनी, मघ निर्माणशाला या घट–भभका न तो बनाया जाएगा और न ही चलाया जा सकेगा।

धारा –19 राज्य सरकार द्वारा विहित मात्रा से अधिक आबकारी योग्य वस्तु को, अनुज्ञा के बिना कब्जे में रखने का प्रतिषेध–(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी आबकारी योग्य वस्तु का विनिर्माण करने, उसकी खेती करने, संग्रह या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त नहीं है, आबकारी आयुक्त द्वारा या इस निमित सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा के बिना अपने कब्जे में उस वस्तु को उस मात्रा से, जिसे राज्य सरकार ने ,धारा 5 के अन्तर्गत खुदरा विक्रय की सीमा घोषित की है, अधिक मात्रा में नहीं रख सकता है।

(2) उपधारा (1) का प्रसार निम्नलिखित पर नहीं होगा–

(क) किसी सामान्य वाहक या भाण्डागारिक के कब्जे में स्थित किसी भी विदेशी मदिरा पर, जो कि विकृतिकृत स्पिरिट से भिन्न होती है, या

(ख) विलोपित

(3) कोई अनुज्ञप्त विक्रेता अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत स्थान से भिन्न किसी भी स्थान पर, किसी भी आबकारी योग्य वस्तु को, आबकारी आयुक्त द्वारा या इस निमित सम्यक् रूप से सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए अनुज्ञापत्र के बिना, उस मात्रा में, जिसे राज्य सरकार ने धारा 5 के अन्तर्गत खुदरा विक्रय की सीमा घोषित किया है, से अधिक किसी भी मात्रा में अपने कब्जे में नहीं रख सकता है।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्यिों के वर्ग द्वारा या ऐसे अपवादों के अन्तर्गत रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, समस्त व्यक्तियों द्वारा राजस्थान राज्य के उन भागों में जहां इस अधिनियम का प्रसार है या उनके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अन्तर्गत रहते हुए जिन्हें वह विहित करे, कब्जे में रखे जाने का राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकती है।

धारा 47 आबकारी अधिकारी की बिना वारण्ट के तलाशी लेंने की शक्ति–

(1) जब कभी भी आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के पास जो ऐसे पद से नीचे का नहीं है, जिसे राज्य सरकार विहित करे, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भी स्थान में इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध किया गया है, या किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है और यह कि अपराधी के निकल भागने या अपराध के साक्ष्य (एवीडेंस) को छिपाने का अवसर मिले बिना तलाशी का वारण्ट अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है–

लेकिन ऐसे स्थान में प्रवेश करने के पूर्व ऐसा अधिकारी यथा पूर्वोक्त विश्वास करने के अपने आधारों को अभिलिखित करेगा।

(2) यथा पूर्वोक्त प्रत्येक आबकारी अधिकारी ऐसे स्थान में पायी गयी ऐसी किसी भी चीज को, जिसके इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरणीय होने का विश्वास करने का उसके पास कारण हो, अभिग्रहीत कर सकता है और उक्त स्थान में पायें गयें किसी भी व्यक्ति को, जिसके यथा पूर्वोक्त अपराध का अपराधी होने का विश्वास करने का उसके पास कारण हो, निरूद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार भी कर सकता है।

धारा– 54 अविधिपूर्ण,आयात,निर्यात,परिवहन, विनिर्माण, अधिपत्य, इत्यादि के लिए शास्ति– जो कोई भी इस अधिनियम या किसी नियम या निर्मित आदेश या उसके अधीन प्रदान किसी अनुज्ञप्ति परिमिट या पास के उल्लंघन में –

(क) किसी आबकारी योग्य वस्तु का आयात,निर्यात,परिवहन,विनिर्माण,संग्रहण विक्रय या कब्जा करता है;या

(ख) किसी हैम्प पौधे (कैनेबिस सतिवा) की खेती करता है ;या

(ग) किसी आसवन, पॉट–भभका या शराब निर्माणशाला का निर्माण कराता है या चलाता है; या

PTS JODHPUR

(ध) ताडी के अलावा किसी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी भी सामग्री, भभका, बर्तन, उपकरण या औजार का प्रयोग करता है, रखता है या अपने कब्जे में रखता है; या
(ड) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्तिकृत किसी आसवन, पॉट–भभका,शराब निर्माणशाला या भण्डारगाह से किसी आबकारी योग्य वस्तु को हटाता है;या
(च) विक्रय के प्रयोजनों के लिए किसी शराब को बोतल में भरता है; या
(छ) किसी ताडी उत्पायदक वृक्ष से ताडी चुआता या निकालता हैः कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगाः
परंतु यदि एक व्यक्ति किसी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के लिए कार्य योग्य भभके के आधिपत्य में पाया जाता है या इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन में या किसी नियम या निर्मित आदेश या उसके अधीन प्रदान किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के उल्लघंन में किसी आबकारी योग्य वस्तु को विक्रय के लिए विक्रय करने या रखने का दोषी पाया जाता है, तो वह छः माह के कारावास की न्यूनतम सजा से और दो सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
धारा 54–क अमुक प्रकरणों में पशु, गाडी, बेडा, मोटरयान या प्रवहण के किसी भी साधन के मालिक को दोषी माना जाना–जब किसी जानवर, गाडी, जलयान, बेडा मोटरयान या प्रवहण के कोई अन्य साधन का इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध को कारित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है, और जो अधिहरण का दायी है, वहॉ इस दशा के सिवाय कि जिसमें कोई मोटर यान या प्रवहण के अन्य साधन केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उनके किसी भी उपक्रम के स्वामित्वाधीन हो, उसका मालिक ऐसे अपराध करने का दोषी माना जायेगा और ऐसा स्वामी अपने विरूद्व कार्यवाही किये एवं तद्नुसार दण्डित किये जाने का दायित्वाधीन होगा, जब तक कि वह न्यायालय को इस हेतु संतुष्ट नहीं कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा था अथवा किया जा सकता है एवं उसने ऐसे अपराध के कृत्य को रोकने हेतु सम्यक सावधानी का प्रयोग किया था।
धारा–66 पूर्व दोष–सिद्ध के पश्चात् वर्धित दण्ड– धारा 58क में यथा–उपबंधित के सिवाय, यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अन्तर्गत या इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी भी अधिनियमिति के समरूप उपबंधों के अन्तर्गत, दण्डनीय किसी अपराध में पूर्व में सिद्ध–दोष ठहराये जाने के पश्चात् इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध करता है और सिद्ध–दोष ठहराया गया है तो वह उस दण्ड के दोगुने से दण्डनीय होगा, जो उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रथम दोष–सिद्ध पर अधिरोपित किया जा सकता थाः
लेकिन यह और कि वर्धित दण्ड इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध के लिए विहित न्यनतम दण्डादेश पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा।
धारा– 66क अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति–(1) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और उसे सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय का यह मानना हो कि उक्त व्यक्ति से उक्त किसी अपराध के करने से प्रविरत रहने के लिए एक बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करना आवश्यक हो, तो न्यायालय उक्त व्यक्ति के लिये दण्डादेश पारित करते समय उसे, तीन वर्ष तक की ऐसी समयावधि के दौरान जो वह नियत करना ठीक समझे उक्त अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए, उसकी हैसियत की अनुपातिक राशि का एक बंध–पत्र, प्रतिभू सहित या रहित निष्पादित करने का आदेश दे सकता है।
(2) बन्ध–पत्र अनूसूची 2 में बताये गये प्रारूप में होगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध जहां तक कि वे लागू होते हों, उक्त बंधपत्र हो, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु आदेश दिया गया हों।
(3) यदि अपील या पुनरीक्षण में दोष–सिद्ध को अपास्त कर दिया जाये तो इस प्रकार निष्पादित बंधपत्र भी शून्य हो जाएगा।
(4) इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा भी अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया जा सकता है।

कार्यवाही हेतु शराब की न्यूनतम मात्रा

एक उपभोक्ता अपने पास शराब की अधिकतम मात्रा निम्न रूप से रख सकता है।

आबकारी अधिनियम की धारा 5(1) के तहत राज्य सरकार ने उपभोग हेतू अधिकतम मात्रा रखने की सीमा निम्न रूप से तय की है। राज्य सरकार चाहे तो इस नियम में मात्रा समय –समय पर परिपत्र जारी कर सीमा कम ज्यादा कर सकती है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में इस मात्रा के सम्बंध में अपने एक आदेश दिनांक 21.08.2014 में वर्तमान में निम्न मात्रा तय की है–

1. देशी मदिरा– 3 लीटर
2. भारत निर्मित अग्रेजी शराब –9 लीटर
3. विदेश निर्मित अग्रेजी शराब–9 लीटर
4. वाइन–12 लीटर
5. बीयर–15 लीटर
6. भांग–100 ग्राम

उपर्युक्त मात्रा से अधिक पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

07.राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध) अधिनियम 1995

धारा 2 ख :– गोवंशीय पशु से अभिप्रेत व उसके अन्तर्गत है गाय, बछडा, बैल, बछिया या सांड

धारा 3 :– गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध :–

कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा या उसे वध के लिए प्रतिस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

धारा 4 :– गोमांस और गौमांस उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध :–

कोई भी व्यक्ति गौमांस या किसी भी रुप में गौमांस उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा।

धारा 5 :– वध के प्रयोजन के लिए गोवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध व अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन :–

- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के गोवंशीय पशु यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा व निर्यात नहीं करवायेगा।
- दुर्भिक्ष व अभावग्रस्त क्षेत्रों से गोवंशीय पशु का अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन चराई के प्रयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य परमिट के अधीन ही किया जा सकेगा।
- इस हेतु गोवंशीय पशु का भारसाधक व्यक्ति सक्षम अधिकारी को गोवंशीय पशुओं की संख्या व उन राज्यों का नाम जहां प्रव्रजन चराई के लिए करवाया जाना है, आवेदन करेगा।
- सक्षम अधिकारी गोवंशीय पशुओं के लिए ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर निश्चित समयावधि, जो ठीक अगले अगस्त से पूर्व तक की होगी, के लिए परमिट जारी करेगा तथा गोवंशीय पशुओं के पहचान चिन्ह लगाये जाने के लिए उपबन्ध करेगा।
- यदि कोई व्यक्ति निश्चित समयावधि में ऐसे पशुओं को वापस नहीं लाता है तो यह माना जाएगा किस उसने इस धारा का उल्लंघन किया है।
- सक्षम प्राधिकारी मेलों या डेयरी या कृषिक उद्देश्यों के लिए अस्थायी परमिट जारी कर सकता है।

धारा 6 :– परिवाहक का दुष्प्रेरक होना :– जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने के उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया

PTS JODHPUR

जाता है तो परिवाहक उक्त अपराध में दुष्प्रेरण का दोषी होगा तथा उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा 7 :– अभिगृहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा व निपटारा :–

• जब कभी किसी कार्यवाही में किसी गोवंशीय पशु को अभिगृहित किया जाए तो मामले का अन्तिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी संस्था या किसी गौशाला या गौसदन को उसकी अभिरक्षा सौंपी जा सकेगी।

• जहां स्थानीय क्षेत्र में इस प्रकार की संस्था या गौशाला या गौसदन नहीं हो तो राज्य के बाहर की किसी संस्था या गौशाला या गौसदन को ऐसे पशुओं की अभिरक्षा सौंपी जा सकेगी।

• यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति ऐसे गोवंशीय पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे तो उसे भी ऐसे पशुओं को सौंपा जा सकता है।

• मामले का निपटारा होने पर सक्षम प्राधिकारी ऐसे गोवंशीय पशुओं की स्थायी अभिरक्षा सुपुर्द किए जाने के संबंध में उचित आदेश जारी कर सकेगा।

धारा 8 :– शास्तियां :–

• जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है तो दोषसिद्ध होने पर उसे एक वर्ष से दस वर्ष तक के कारावास और दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

• जो कोई धारा 4 या 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है तो दोषसिद्ध होने पर उसे छह माह से पांच वर्ष तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 9 :– उपहति कारित करने के लिए दण्ड :–

• जो कोई किसी गोवंशीय पशु को शारीरिक पीडा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उसको उपहति कारित करता है।

• जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय उपहति कारित करता है तो दोषसिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष तक के कारावास और तीन हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 10 :– साशय गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए दण्ड :–

• जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षति कारित करता है तो दोषसिद्ध होने पर उसे एक वर्ष से सात वर्ष तक के कारावास और सात हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

• गंभीर क्षति के अन्तर्गत निम्नांकित सम्मिलित है :–

➢ पुंस्त्वहरण (सांड के मामले में)
➢ किसी भी आंख को स्थायी रुप से दृष्टिहीन करना।
➢ किसी भी कान को स्थायी रुप से श्रवण शक्तिहीन करना।
➢ किसी भी अंग या जोड को अलग करना।
➢ किसी हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन
➢ कोई भी उपहति जो जीवन को खतरे में डाले या घोर शारीरिक कष्ट कारित करे।

धारा 11 सबूत का भार :– जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाए वहां साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोइ अपराध नहीं किया है।

08.ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1978

• **धारा 2 सी :– धन परिचालन स्कीम**– ऐसी स्कीम जो सदस्यों को उस स्कीम में नामांकित करने से

PTS JODHPUR

संबंधित या उसको लागू किसी घटना या आकस्मिकता पर तुरन्त या सुलभ धन उपार्जित करने के लिए या धन के संदाय के किसी वचन के लिए प्रतिफल के रुप में किसी धन या मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के लिए है।

● **धारा 2 ई :– इनामी चिट**– ऐसा व्यवहार जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रधान या अभिकर्ता के रुप में एक मुश्त राशि में या अभिदायों के रुप में किश्तों या यूनिटों या अन्य किसी रुप में विक्रय द्वारा या अन्य किसी रीति से फीस या प्रभार के रुप में कोई धन राशि एकत्र करना व उसका उपयोग अभिदाताओं को देने में करना जिनका अवधारण किसी लाट या ड्रा या अन्य किसी रीति से किया गया हो।

● **धारा 3 :–** किसी व्यक्ति को किसी ईनामी चिट या धन परिचालन स्कीम में या उसके सदस्यों के रुप में अपना नाम दर्ज कराने या उसमें भाग लेने पर मनाही।

● **धारा 4 :–** जो कोई धारा 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास तथा पांच हजार रुपये तक के जुर्मान या दोनो से दण्डित किया जाएगा तथा विशेष मामलों में यह दण्ड न्यूनतम 1 वर्ष तक के कारावास तथा 1 हजार रुपये के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

● ईनामी चिट या धन परिचालन स्कीम से संबंधित अन्य अपराधों के लिए दण्ड :–

❖ ईनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के प्रयोग के लिए टिकिट या कूपन या अन्य दस्तावेजों का मुद्रण या प्रकाशन

❖ ईनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का वितरण या विज्ञापन

❖ ईनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के वितरण के लिए इनका प्रदर्शन

❖ ईनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के लिए किसी स्थान का प्रयोग करना

❖ ईनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के लिए किन्हीं व्यक्तियों से कार्य करवाना।

● तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास तथा 3 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा तथा विशेष मामलों में यह दण्ड न्यूनतम 1 वर्ष तक के कारावास तथा 1 हजार रुपये के जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

● **धारा 7 :–** इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी स्थान में प्रवेश, उस स्थान व व्यक्तियों की तलाशी व किन्ही वस्तुओं के अभिग्रहण के लिए किसी थाने का भारसाधक अधिकारी सशक्त अधिकारी है।

● **धारा 8 :–** राज्य सरकार किसी ऐसे समाचार पत्र व प्रकाशन का समपहरण कर सकेगी जिसमें ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम का विज्ञापन या प्रकाशन किया गया हो।

● **धारा 10 :–** इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

09.वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life Protection act)

❖ **2. परिभाषाएं**– इस अधिनियम में जब तक प्रसंग अन्य प्रकार से नहीं करें –

❖ (1) 'पशु में स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मछली, अन्य ह्दयधारी और अमेरूधारी सम्मिलित है और उनके बच्चे और अण्डे भी सम्मिलित हैं ।

❖ **(2) पशु–वस्तु** से तात्पर्य एक वस्तु जो बन्दी पशु या वन्य पशु पीडक जन्तु को छोडकर, से बनी वस्तु से है ओर इसमें एक ऐसी वस्तु या पदार्थ भी सम्मिलित है जिसमें ऐसा पशु पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग हुआ हो और भारत में आयातित हाथी दांत से बनी वस्तुएं सम्मिलित हैं ।

❖ **(4) 'मण्डल'** से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा 1 के अन्तर्गत गठित राज्य वन्य जीव मण्डल से हैं

❖ **(5) बन्दी पशु** से तात्पर्य अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे पशु से है जिसे या तो बन्दी बना लिया गया है या उसे बन्दी स्थिति में रखा और भरण पोषण किया जाता हैं ।

❖ **(10) इस नियम का प्रारम्भ** के सम्बन्ध में :–

PTS JODHPUR

❖ (ए) एक राज्य से तात्पर्य उस राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से है,

❖ (बी) इस अधिनियम का कोई भाग से तात्पर्य उस प्रावधान से सम्बन्धित राज्य में प्रारम्भ किये जाने से है

❖ **(11) व्यापारी** से तात्पर्य किसी बन्दी पशु, पशुयुक्त, विजय चिन्ह, अभिसाधित विजय चिन्ह, मॉस या विनिर्दिष्ट पौधा के, सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे पशु या वस्तु को क्रय या विक्रय का व्यापार करता हो और उसमें व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी एक सौदे के व्यापार को करता हों ;

❖ **(15) प्राकृतिक बास** में ऐसी भूमि, जल या वनस्पति सम्मिलित है जो किसी पशु का प्राकृतिक घर हैं ।

❖ (16)शिकार इसकी व्याकरणीय विभिन्नताओं एंव सहार्थी अभिव्यक्ति सहित सम्मिलित हैः–

❖ (ए) किसी वन्य जानवर या बन्दी जानवर मारना या विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयास।

❖ (बी) किसी वन्य जानवर या बन्दी जानवर को पकडना, दौडाना, फसाना, जाल डालकर पकडना, पीछा करना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयास

❖ (सी) ऐसे पशु को चोट पहुंचाने या ऐसे पशु के किसी अगं भाग प्राप्त करने या पक्षियों एवं रैगने वालों के सम्बन्ध में वालों के अण्डों या घोंसलों को अस्त व्यस्त करना ।

❖ **(17) भूमि** में नहरे, सकडी, खाडी एंव अन्य जल धाराएं, जलाशय, नदियां, सरिता एंव झीले चाहे कृतिम या प्राकृतिक हो, सम्मिलित होती हे और इसमें दलदल ओर गीली भूमि तथा शीला खण्ड एंव चट्टान भी सम्मिलित हैं ।

❖ **(18) पशुधन** से तात्पर्य फार्म पशु से है और उसमें भैंसा, सांड, बैल, गाय, खच्चर , बकरी, भेड,सूअर, गधा, गीस , याक , मुर्गा और उनके बच्चे सम्मिलित है किन्तु परिशिष्ट 1 से 5 के पशु सम्मिलित नहीं हैं ;

❖ **(19) निर्माता** से तात्पर्य एक व्यक्ति जो पशुओं एंव पोधों से जो कि अनुसूची 1 से 5 तक एंव 6 में निर्दिष्ट है जैसी भी स्थिति हो वस्तु निर्मित करता है

❖ **(20) मांस** में पिडित जन्तु को छोडकर किसी वन्य पशु का रक्त, हड्डियां, नसे, मांसपेशिया, अण्डे ,कछुये का उपरी खोल चर्बी एंव मांस चमडी रहित या चमडी सहित सम्मिलित है चाहे मांस कच्चा या पका हुआ हो;

❖ **(20ए) '' राष्ट्रीय मण्डल''** से तात्पर्य वन्य जिवों के लिए 5 ए के तहत गठित किया हैं

❖ **(21) 'राष्ट्रीय उप वन'** से तात्पर्य एक राष्ट्रीय उप वन के रूप में चाहे धारा 18 या धारा 38 के अन्तर्गत घोषित किया या धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत घोषित समक्षा हुआ से है,

❖ **(24 ए) ''रक्षित क्षेत्र''** से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 18, 35, 36ए एंव 36सी द्वारा नेशनल पार्क, शरण स्थल, संरक्षण आरक्षित या सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र से हैं।

❖ **(25ए) 'मान्यता प्राप्त जन्तुआलय'** से धारा 38 (ज) के अन्तर्गत मान्य एक जन्तुआलय से हैं;

❖ **(26) 'शरण स्थल** से तात्पर्य इस अधिनियम के अध्याय (4) के अन्तर्गत इस प्रकार घोषित समक्षे जाने वाले एक क्षेत्र से हैं ;

❖ **(30) 'चर्म प्रसाधन'** की व्याकरणीय विभिन्नताओं एंव उसकी सजातीय अभिव्यक्तियों के अनुसार इससे तात्पर्य माउन्ट ट्राफी अभिसाधन, निर्माण या परिरक्षण से है;

❖ **(30ए) 'क्षेत्रीय जल स्त्रोत'** का वही अर्थ होगा जो टेरीटोरियल वाटर्स कोन्टीनेटल शैल्फ एक्सकलूजिव इकोनोमिक जोन और अन्य मेरी–टाइम जोन एक्ट, 1976 (1976 का 80) की धारा में दिया गया है,

❖ (31) **'ट्राफी'** ट्राफी से तात्पर्य हानिकारक पशु के अतिरिक्त किसी भी बंदी या वन्य जीव का पूरा या कोई भाग जो किसी भी तरह प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से रखा गया हो या सुरक्षित किया गया हो इसमें शामिल हैं;

❖ (32) **संशोधित ट्रोफी**' से तात्पर्य हानिकारक पशु के अतिरिक्त कोई भी बन्दी या वन्य पशु का पूर्ण या आंशिक भाग जिसमें पशु की खाल को सुरक्षित रखने की प्रकिया नहीं की गई हो से है और इसमें (ताजा मारा गया वन्य पशु एम्बरगिरीस मश्क एंव अन्य पशुवस्तु शामिल हैं)

PTS JODHPUR

❖ (33) '**वाहन'** से तात्पर्य भूमि, जल या हवा में यातायात के लिए उपयोग होने वाले यातायात साधन से है जिसमें भैंसा, सांड, बैल, गधा, हाथी, घोडा और खच्चर शामिल हैं ।

❖ (34) **'हानिकारक पशु'** का अर्थ कोई जंगली पशु जो अनुसूची 5 में निर्दिष्ट हो ।

❖ (35) ' **शस्त्र'** के अन्तर्गत गोली बारूद, धनुष और तीर, विस्फोटक, आग्नेय अस्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल, फांदा, और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सडाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हो शामिल है।

❖ (36) '**वन्य पशु** ' से तात्पर्य है कोई पशु अनुसूची 1 से 5 में विनिर्दिष्ट और प्रकृति में जीव जो प्राकृतिक निवास का अंग हो शामिल हैं;

❖ (37) **'वन्य जीव'** के अन्तर्गत कोई पशु, भूमि, वनस्पति जीव जो प्राकृतिक निवास का अंग हो शामिल है)

❖ (38)' **वन्य जीव सरंक्षक**' से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो।

❖ (39) '**जन्तुआलय (200)** से तात्पर्य ऐसे संस्थापन चाहे स्थिर या चलित हो और जहॉ पर बन्दी पशु जनता के प्रदर्शन हेतु रखे जाते है, से है (और उसमें सकस और वेदना (बचाव) केन्द्र सम्मिलित है किन्तु ऐसा संस्थान सम्मिलित नहीं है) जो बन्दी पशुओं का कोई लाईसेंस धारित विक्रेता हो।)

❖ **धारा 51 शास्तियॉ(1)** कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम (सिवाय अध्याय 5 ए और धारा 38–जे या इनके अनतर्गत बने किसी नियम या आदेश जो इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत किसी अनुज्ञापत्र या अनुमति–पत्र की शर्तो का उल्लंघन करता है वह इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध करने का दोषी होगा, तथा उसका सिद्ध दोष होने पर उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जो कि तीन वर्षो तक बढ.ाई जा सकेगी या उसे ऐसा अथदण्ड जो कि पच्चीस हजार रूपये तक बढाया जा सकता है या दोना से दण्डित किया जायेगाः

❖ परन्तु यह है कि जहॉ पर किसी ऐसे पशु जिसका उल्लेख शिडूल 1 या शिडूल 2 के भाग 2 या ऐसे पशु के मांस या पशु वस्तु, ट्रॉफी या बिना कमाए ट्राफी जो कि ऐसे पशु से प्राप्त की गई है या कि ऐसा अपराध जो शिकार से सम्बन्धित हो या एक शरण स्थल या एक राष्ट्रीय पार्क में शिकार से सम्बन्धित हो या एक शरण स्थल या एक राष्ट्रीय पार्क की सीमा में परिवर्तन करता है तो ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, परन्तु उसे 7 वर्षो तक बढाई जा सकेगी तथा ऐसे अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया जाएगा जो कि दस हजार रूपये से कम नहीं होगा।

❖ परन्तु आगे यह है कि एक द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध जो ऐसे लक्षण का है जिसका उल्लेख इस उपधारा में किया गया है, के मामले में कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु 7 वर्ष तक बढाई जा सकेगी और ऐसे अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जा सकेगा जो कि पच्चीस हजार रूपये तक से कम नहीं होगी।

❖ **(2)** जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरूद्ध एक अपराध से सिद्ध–दोष होता है, तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि कोई पकडा गया बन्दी पशु, वन्य पशु, पशु वस्तु, ट्रॉफी, खराब होने या बिगडने होने से नहीं बचाई गई ट्रॉफी, मांस, भारत में आयातित किया गया हाथी–दांत से निर्माण की गई वस्तु, कोई पौधा, या उसका भाग या उससे उत्पन्न की गई वस्तु, जिसका सम्बन्ध में वह अपराध किया गया हे एंव कोई फंदा या जाल,औजार, वाहन, जलयानय या हथियार जिससे कथित अपराध घटित करने में उपयोग किया गया है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जप्त कर लिया जावेगा, एंव यह कि अनुज्ञापत्र या अनुमति पत्र जिसे उस व्यक्ति ने अपने पास धारण कर रखा है, राज्य सरकार द्वारा व उसे जप्त कर लिया जा सकेगा और वह कि उस अनुज्ञापत्र या अनुमति पत्र जिसे ऐसा व्यक्ति ने अपने पास धारण किया है, उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

❖ **(3)** अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र के ऐसे निरस्तीकरण या ऐसी जब्ती ऐसे अपराध के लिए दी गयी किसी भी राज्य के अतिरिक्त होगी।

PTS JODHPUR

❖ **(4)** जहॉ कि कोई अधिनियम के विरूद्ध कोई व्यक्ति एक अपराध के सम्बन्ध सिद्ध दोष होता है, तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि अनुज्ञापत्र, यदि हो जो ऐसे व्यक्ति को शस्त्र अधिनियम 1959 (1959 का 54) के अन्तर्गत शस्त्र अपने पास रखने की अनुमति दी गई है जिसकी सहायता से ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध घटित किया है, वह अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाएगा और यह कि ऐसा व्यक्ति इस शस्त्र अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दोष सिद्धि की तारीख से पॉच वर्षो की अवधि के लिये पात्र नहीं रहेगा।

❖ **(5)** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 360 या प्रोवेशन ऑफ ऑफेण्डर्स एक्ट, 1958 (1958 का 20) शरण स्थल या राष्ट्रीय उद्याान में शिकार के अपराध या अध्याय 5ए के किसी प्रावधान के विरूद्ध अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक 18 वर्ष की आयु से कम नहीं हैं

❖ **धारा 52**. प्रयत्न एंव अवप्रेरणा–: जो भी कोई इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने कोई नियम या आज्ञा के प्रावधनों का उल्लघंन करने का प्रयत्न या अवप्रेरणा करता है, उसके द्वारा उक्त प्रावधान या नियम या आज्ञा, जो भी मामला हो, का उल्लंघन किया जाना माना जावेगा।

❖ **धारा 53**. सदोष जप्ती हेतु दण्डः– यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों से अधिक शक्ति प्रयोग करते हुए, परेशान करने एंव अनावश्यक रूप से किया जा रहा है, जप्त करता है तो दोष–सिद्धि होने पर वह कारागार, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है या अर्थ दण्ड जो पांच सौ रूप्ये तक हो सकता है या दोनो से दण्डनीय होगा ।

❖ **धारा 54. अपराध को प्रशम्य करने की शक्तिः– (1)** केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निदेशक वन्य जीव संरक्षक या अन्य अधिकारी जो सहायक निदेशक वन्य जीव संरक्षक से नीचे के पद का नहीं है तथा राज्य सरकार के मामले में इसी प्रकार से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा किसी अधिकारी को जो उप वन संरक्षक से नीचे के पद का नहीं है को किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का समुचित संदेह है उससे अपराध के कम्पोजीशन के रूप में राशि प्राप्त कर सकता है ।

❖ **(2)** उस अधिकारी को उस व्यक्ति द्वारा जो संदेही है यदि राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उस अधिकारी द्वारा छोड. दिया जायेगा तथा उस व्यक्ति के विरूद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जावेगी।

❖ **(3)** वह अधिकारी जिसेने किसी अपराध को कंपाउंड किया है वह किसी भी अनुज्ञा अथवा परमिट को निरस्त कर सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत मिला हुआ हे अथवा यदि ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है तो उस अधिकारी से ऐस लाईसें अथवा परमिट को निरस्त करवाने हेतु से सम्पर्क कर सकता है जो इसके लिए अधिकृत है ं।

❖ **(4)** इस उपधारा (1) के अन्तर्गत कम्पोजिशन से स्वीकार की गई या स्वीकृति के लिए सहमत हुई राशि किसी भी तरह से 25 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।

❖ परन्तु ऐसा कोई अपराध जिसकी सजा की अवधि 52 के अन्तर्गत निर्धारित है उसको कम्पाउंड नही किया जायेगा।

❖ **धारा 55**. अपराधों का संज्ञान–: कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति की शिकायत पर, किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, निम्नलिखित को छोड.कर संज्ञेयता नहीं लेगा–:

❖ (ए) निदेशक, वन्य जीव संरक्षण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अधिकारी; या

❖ (एए) अध्याय 5 के प्रावधानों का अतिक्रमण करने पर केन्द्रीय जन्तुआलय समिति का सदस्य सचिव उन शर्तो के अध्याधीन जो उस सरकार द्वारा निर्धारित की जाए; या)

❖ (बी) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या राज्य सरकार द्वारा (उन शर्तो के आधारित जो इस सरकार द्वारा निर्धारित की जाए) इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अधिकारी; या

❖ (बीबी) उन शर्तो के अध्याधीन जो सरकार द्वारा अवधारित की जाएं प्रभारी अधिकारी जन्तुआलय धारा 38 जे के तोडने पर, अथवा

❖ (सी)कोई व्यक्ति जिसने विहित प्रकार से तथाकथित अपराध हेतु या परिवाद करने के इरादे से 60 दिनों से कम अवधि का नोटिस केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कथित प्रकार से प्राधिकृत को दिया हैं।

10.राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम 1999 धारा 2,3,5 से 11

● **धारा 2 ग सार्वजनिक स्थान** –सार्वजनिक स्थान से आशय धारा 3 के अधीन ऐसा घोषित स्थान है और इसमें ऑडिटोरियम, अस्पताल भवन, स्वास्थ्य संस्थाऐं, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षणिक संस्थाऐं, पुस्तकालय और अन्य शामिल है, जहां सार्वजनिक जनता द्वारा आवागमन किया जाता है, लेकिन इसमें कोई खुला स्थान शामिल नहीं होता है।

● **धारा 2 च :– धूम्रपान**–धूम्रपान से आशय किसी रुप में धूम्रपान अभिप्रेत है चाहे सिगरेट, सिगार, बीडी के रुप में हो या पाईप, रेपर या किसी अन्य उपकरणों की सहायता से अन्यथा हो।

● **धारा 3 :– सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं करने की घोषणा** –राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान में सार्वजनिक कार्य या प्रयोग के किसी स्थान को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए धूम्रपान नही स्थान के रुप में घोषित कर सकेगी।

● **धारा 5 :– सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का प्रतिषेध** :–कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं करेगा।

● **धारा 6 :– सार्वजनिक सेवा यान में धूम्रपान का प्रतिषेध** –मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सेवा यान में धूम्रपान नहीं करेगा।

● **धारा 7 :– सिगरेट आदि के विज्ञापन का प्रतिषेध** –कोई व्यक्ति किसी स्थान व किसी सार्वजनिक सेवा यान में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं करेगा जिसमें धूम्रपान या सिगरेट या बीडी के विक्रय को बढावा मिलता हो।

● **धारा 8 :– अवयस्कों को सिगरेट, बीडी आदि के विक्रय का प्रतिषेध** –कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का है, सिगरेट, बीडी या किसी अन्य ऐसे धूम्रपान पदार्थ का विक्रय नहीं करेगा।

● **धारा 9 :– शैक्षणिक संस्थाओं के अहाते में सिगरेट आदि का संचरण, विक्रय व वितरण का प्रतिषेध–**
कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा किसी कॉलेज या विधालय या अन्य किसी शैक्षणिक संस्था के एक सौ मीटर की परिधि में सिगरेट, बीडी या किसी अन्य ऐसे धूम्रपान पदार्थ का संचरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा।

● **धारा 10 :– बोर्ड को लगाना या प्रदर्शित करना** –सार्वजनिक स्थान का स्वामी या प्रबन्धक या कार्यों का प्रभारी सार्वजनिक जनता द्वारा आवागमित या प्रयुक्त परिसर के बाहर या सहजदृश्य स्थान या स्थानों पर स्पष्ट रुप से वर्णित करते हुए बोर्ड लगाएगा या प्रदर्शित करेगा कि स्थान धूम्रपान क्षेत्र नहीं है या धूम्रपान अपराध है।

● **धारा 11 :– शास्तियां** –
1.धारा 5, 6 या 10 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सौ रुपये का जुर्माना तथा दूसरे या अनुगामी अपराध पर दो सौ रुपये से पांच सौ रुपये का जुर्माना हो सकेगा।
2.धारा 7, 8, या 9 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये का जुमाना तथा दूसरे या अनुगामी अपराध पर तीन माह के कारावास या पांच सौ रुपये से एक हजार रुपये के जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा।

11.पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 2,11,13,20 एवं 26

धारा 2 क – पशु से तात्पर्य मनुष्य से भिन्न कोई भी प्राणधारी जीव से है।

PTS JODHPUR

धारा 11 पशुओं के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना—जो कोई पशुओं के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करेगा वह प्रथम अपराध के लिये पचास रुपये जुर्माना उसके बाद प्रथम अपराध के तीन साल के अन्दर द्वितीय अपराध की दशा में एस सौ रुपये का अर्थ दण्ड अथवा तीन महिने तक का कारावास या दोनों से दण्डित किया जावेगा। इसमें पशुओं को पिटना व पीड़ा पहुँचाना और कमजोर टट्टुओं को जोतना उन पर कील युक्त चाबुक का प्रयोग करना निर्दयता है। पशुओं पर अधिक भार लादना व आवारा पशुओं का विक्रय नहीं किया जा सकता है।

धारा **12 फूका या दूमदेव के प्रयोग के लिये दण्ड**—यदि किसी गाय या दुध देने वाले पशु पर उसके जननेन्द्रियों पर दूध निकालने के लिये हवा भरना या ऐसी मशीन लगाना जिससे सारा दूध बाहर आ जाये दण्डनीय अपराध है ऐसा पाया जाने पर 1,000/—रुपये जुर्माना या दो साल का कारावास या दोनों।

धारा 13 पीड़ित पशुओं का विनाश —धारा 11 के तहत पीड़ित पशुओं का मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार है कि ऐसे पशु को जीवन्त रखना, क्रूरतापूर्ण **वेग** उस पशु के तत्काल विनाश का आदेश दे सकेगा।

धारा 20 — जो कोई व्यक्ति पशुओं का अनुचित प्रयोग करता है या आरोपित किसी शर्त का उल्लंधन करता है तो वह दो सौ रुपये के दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

धारा 21 — पशुओं को प्रदर्शित करना और प्रशिक्षित करना—

पशुओं का प्रदर्शन करना जिसमें टिकिट बेचकर जनता को आने दिया जाता है व प्रशिक्षित करने से अभिप्रेत किसी ऐसे प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित करना है।

धारा 22 — करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण पर तब तक प्रतिबन्ध होगा तब तक वह प्रदर्शन व प्रशिक्षण रजिस्टीकृत न हो।

धारा 23 — करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही रजिस्टीकरण किया जाएगा।

धारा 24 — करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण को रोकने के लिए या प्रतिबन्धित करने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है।

धारा 25 — करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले किसी स्थान पर उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी प्रवेश कर सकता है व उस स्थान का निरीक्षण कर सकता है।

धारा 26 — जो कोई बिना रजिस्टेशन करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए पशुओं का प्रयोग करता है तो वह पांच सौ रुपये के जुर्माने या तीन माह तक के कारावास या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

12.राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो —

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबन्धन अधिनियम,2005 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न—भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न—भिन्न राज्यों के लिए भिन्न—भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) प्रभावित क्षेत्र से देश का ऐसा क्षेत्र या भाग अभिप्रेत है जो किसी आपदा से प्रभावित है;

PTS JODHPUR

(ख) क्षमता निर्माणष के अन्तर्गत निम्नलिखित है—

(i) विद्यमान संसाधनों और अर्जित या सृजित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान;

(ii) उपखंड (i) के अधीन पहचान किए गए संसाधनों को अर्जित करना या सृजित करना;

(iii) आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए कार्मिक का गठन और प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वयन;

(ग) केन्द्रीय सरकार, से भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है;

(घ) आपदा से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है;

(ङ) आपदा प्रबन्धन से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन हैं—

(i) किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण;

(ii) किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी;

(iii) क्षमता निर्माण;

(iv) किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां;

(v) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरन्त बचाव;

(vi) किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण;

(vii) निष्क्रमण, बचाव और राहत;

(viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण;

(च) जिला प्राधिकरण से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) जिला योजना से धारा 31 के अधीन जिले के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है;

(ज) स्थानीय प्राधिकारी के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी या जिला परिषद् या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी है जिनमें तत्समय विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबन्धन सहित शक्तियां विनिहित की गई हैं;

(झ) शमनष से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत हैं;

(ञ) राष्ट्रीय प्राधिकरण से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ट) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितिष से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

(ठ) राष्ट्रीय योजना से धारा 11 के अधीन संपूर्ण देश के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है;

(ड) तैयारी से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति अभिप्रेत है;

(ढ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) पुनर्निर्माण से आपदा के पश्चात् किसी सम्पत्ति का सन्निर्माण या प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है;

(त) संसाधन के अन्तर्गत जनशक्ति, सेवाएं, सामग्री और रसद भी हैं;

PTS JODHPUR

(थ) राज्य प्राधिकरण से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत उस धारा के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है;
(द) राज्य कार्यकारिणी समिति से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;
(ध) राज्य सरकार से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है;
(न) राज्य योजना से धारा 23 के अधीन संपूर्ण राज्य के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

3. **राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना**–(1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, राष्ट्रीय प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे –
(क) भारत का प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा;
(ख) नौ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।
(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप से पदाभिहित कर सकेगा ।
(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशन–(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे ।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।
(3) यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी कारण से राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।
5. राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति–केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राष्ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।
6. राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य–(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय प्राधिकरण,
(क) आपदा प्रबन्धन के संबंध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा;
(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा;
(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा;
(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा;

PTS JODHPUR

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा;
(च) आपदा प्रबन्धन के लिए नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित कर सकेगा;
(छ) शमन के प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगा;
(ज) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता उपलब्ध करा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए;
(झ) आपदा के निवारण या शमन या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे;
(ञ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण के लिए विस्तृत नीतियां और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा ।
(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, राष्ट्रीय प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा ।

7. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा, जिसमें आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ और राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे ।
(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विहित किए जाएं ।

8. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात्, राष्ट्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी ।
(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात —
(क) भारत सरकार का ऐसा सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है, जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और जो पदेन अध्यक्ष होगा,
(ख) भारत सरकार के ऐसे सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक हैं जिनका कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पीने का जल प्रदाय, पर्यावरण और वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के समन्वित सुरक्षा कर्मचारिवृन्द का प्रमुख, पदेन सदस्य ।
(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विहित किए जाएं ।
(4) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

9. उपसमितियों का गठन—(1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, जब भी वह अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी ।
(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, अपने सदस्यों में से किसी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।
(3) किसी उपसमिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संदत्त किए जा सकेंगे ।

PTS JODHPUR

10. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य–(1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगी और राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी तथा देश में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति–

(क) आपदा प्रबन्धन के लिए समन्वय और मानिटरी निकाय के रूप में कार्य कर सकेगी;

(ख) राष्ट्रीय योजना तैयार कर सकेगी जिनका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा;

(ग) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और उसे मानिटर कर सकेगी;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी;

(ङ) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी;

(च) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी;

(छ) मंत्रालयों या विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और उसके शमन के लिए उपायों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी;

(ज) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी, उपायों के संबंध में मानिटर कर सकेगी, समन्वय कर सकेगी और निदेश दे सकेगी;

(झ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के प्रयोजन के लिए सभी सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन कर सकेगी, और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारी में वृद्धि करने के लिए निदेश दे सकेगी;

(ञ) विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कर्मकारों के लिए आपदा प्रबन्धन के संबंध में विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बना सकेगी और उनको समन्वित कर सकेगी;

(ट) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में उसके मोचन के लिए समन्वय कर सकेगी;

(ठ) भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को उनके द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी या निदेश दे सकेगी;

(ड) सरकार के किसी विभाग या अभिकरण से राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरणों को ऐसे व्यक्ति या तात्त्विक संसाधन जो आपातकालीन मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए उसके पास उपलब्ध हैं, उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ढ) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य प्राधिकरणों, कानूनी निकायों, अन्य सरकारी या गैर सरकारी संगठनों और आपदा प्रबन्धन में लगे अन्य व्यक्तियों को सलाह दे सकेगी, सहायता प्रदान कर सकेगी और उनके क्रियाकलापों का समन्वय कर सकेगी;

(ण) राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी या उन्हें सलाह दे सकेगी;

(त) आपदा प्रबन्धन के संबंध में साधारण शिक्षा और जागरुकता का संवर्धन कर सकेगी; और

(थ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण उससे करने की अपेक्षा करे ।

11. राष्ट्रीय योजना–(1) संपूर्ण देश के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय योजना नामक एक योजना तैयार की जाएगी ।

PTS JODHPUR

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी जिसका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) राष्ट्रीय योजना में निम्नलिखित होंगे–

(क) आपदाओं के निवारण या उनके प्रभाव के शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ख) विकास योजनाओं में शमन संबंधी उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय;

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट उपायों की बाबत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिका और उत्तरदायित्व ।

(4) राष्ट्रीय योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना के अधीन किए जाने वाले उपायों के वित्तपोषण के लिए समुचित उपबंध किए जाएंगे ।

(6) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय योजना की प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसे मंत्रालय या विभाग राष्ट्रीय योजना के अनुसार अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार करेंगे ।

12. राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त–राष्ट्रीय प्राधिकरण, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सिफारिश करेगा जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे, –

(i) राहत कैंपों में आश्रयस्थल, खाद्य, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं;

(ii) विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष उपबन्ध;

(iii) जीवन की हानि मद्दे अनुग्रह सहायता और मकानों को नुकसान मद्दे सहायता तथा जीविका के साधनों की बहाली के लिए सहायता;

(iv) ऐसी अन्य सहायता जो आवश्यक हो ।

13. ऋण प्रतिदाय आदि में राहत–राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रचंड मात्रा की आपदाओं की दशा में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के प्रतिदाय में राहत या ऐसे रियायती निबंधनों पर, जो उचित हों, नए ऋण देने की सिफारिश कर सकेगा ।

अध्याय 3
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

14. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना–(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात –

(क) राज्य का मुख्यमंत्री जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, पदेन ।

(3) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य को राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा ।

PTS JODHPUR

(4) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगारू
परंतु ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर, जिसकी विधान सभा है, मुख्यमंत्री इस धारा के अधीन स्थापित प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा और अन्य संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में, उपराज्यपाल या प्रशासक उस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगारू
परंतु यह और कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा और उसका मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होगा ।
(5) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।
15. राज्य प्राधिकरण के अधिवेशन—(1) राज्य प्राधिकरण का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे ।
(2) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।
(3) यदि राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी कारण से राज्य प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो राज्य प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।
16. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति—राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।
17. राज्य प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन—(1) राज्य प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे ।
(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।
18. राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य—(1) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य प्राधिकरण, —
(क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति अधिकथित कर सकेगा;
(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन कर सकेगा;
(ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा;
(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता करा सकेगा;
(ङ) राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित कर सकेगा;
(च) शमन और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगा;
(छ) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और यह सुनिश्चित कर सकेगा कि निवारण और शमन के उपाय उसमें एकीकृत किए गए हैं;
(ज) राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा जो आवश्यक हों ।
(3) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, राज्य प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा ।
19. राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत—राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के मानकों का उपबंध करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करेगारू

PTS JODHPUR

परंतु ऐसे मानक किसी भी दशा में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में न्यूनतम मानकों से कम नहीं होंगे ।

20. राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन–(1) राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात् राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने और कार्य का समन्वय करने के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी ।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार के ऐसे विभागों के चार सचिव जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, पदेन ।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

21. राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपसमितियों का गठन–(1) राज्य कार्यकारिणी समिति जब भी वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में से किसी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी ।

(3) किसी उपसमिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संदत्त किए जा सकेंगे ।

22. राज्य कार्यकारिणी समिति के कृत्य–(1) राज्य कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी और राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय करने और मानिटरी करने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य कार्यकारिणी समिति–

(क) राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानिटरी कर सकेगी;

(ख) आपदाओं के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता की परीक्षा कर सकेगी और उनके निवारण या शमन के लिए किए जाने वाले उपायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगी;

(घ) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरी कर सकेगी;

(ङ) विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन की मानीटरी कर सकेगी;

(च) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन कर सकेगी और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारियों में वृद्धि करने के लिए निदेश दे सकेगी;

(छ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में मोचन का समन्वय कर सकेगी;

(ज) किसी आपदा की आंशका की स्थिति या आपदा के मोचन में किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय को निदेश दे सकेगी;

PTS JODHPUR

(झ) आपदाओं के ऐसे रूपों के संबंध में, जिनसे राज्य के विभिन्न भाग भेद्य हैं, सामान्य शिक्षा, जागरुकता और समुदाय प्रशिक्षण का संवर्धन कर सकेगी और ऐसे उपाय, जो आपदा के निवारण और ऐसी आपदा के शमन और मोचन के लिए ऐसे समुदाय द्वारा किए जा सकेंगे;
(ञ) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन में लगे अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगी, उनके क्रियाकलापों में सहायता कर सकेगी और उनका समन्वय कर सकेगी;
(ट) उनके कृत्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए जिला प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों को उनके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेगी या सलाह दे सकेगी;
(ठ) आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी वित्तीय विषयों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगी;
(ड) राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में सन्निर्माण की परीक्षा कर सकेगी और यदि उसकी यह राय है कि आपदा के निवारण के लिए ऐसे सन्निर्माण के लिए अधिकथित मानकों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई करने के लिए निदेश दे सकेगी जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;
(ढ) राष्ट्रीय प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकेगी;
(ण) राज्य स्तर की मोचन योजनाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिकथित, पुनर्विलोकित और अद्यतन कर सकेगी और यह सुनिश्चित कर सकेगी कि जिला स्तर की योजनाएं तैयार, पुनर्विलोकित और अद्यतन की गई हैं;
(त) यह सुनिश्चित कर सकेगी कि संसूचना तंत्र ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिकतः की जाती है;
(थ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जैसा वह आवश्यक समझे ।

23. राज्य योजना–(1) प्रत्येक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना होगी जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना कहा जाएगा ।
(2) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा परामर्श करने के पश्चात् जिसे राज्य कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, राज्य योजना तैयार की जाएगी ।
(3) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई राज्य योजना का राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।
(4) राज्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित होगा, –
(क) आपदा के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता;
(ख) आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय;
(ग) ऐसी रीति जिसमें शमन के उपाय, विकास योजनाओं और परियोजनाओं के साथ एकीकृत किए जाएंगे;
(घ) क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जाने वाले उपाय;
(ङ) ऊपर खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट उपायों के संबंध में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व;
(च) किसी आशंकित आपदा स्थिति या आपदा के मोचन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिकाएं और दायित्व ।
(5) राज्य योजना प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित और अद्यतन की जाएगी ।
(6) राज्य योजना के अधीन किए जाने वाले उपायों के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित उपबंध किए जाएंगे ।
(7) उपधारा (2) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट राज्य योजना की प्रतियां राज्य सरकार के विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसे विभाग राज्य योजना के अनुसार अपनी योजनाएं तैयार करेंगे ।

PTS JODHPUR

24. आपदा की आशंका की दशा में राज्य कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य—आपदा द्वारा प्रभावित समुदाय की सहायता और संरक्षा करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे समुदायों को राहत प्रदान करने के लिए या किसी आपदा की आशंका की स्थिति का निवारण करने या उसके विनाश का प्रत्युपाय करने या उसके प्रभावों से निपटने के प्रयोजन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति, —

(क) संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्रों को या वहां से या उसके भीतर वाहन यातायात को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकेगी;

(ख) किसी संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके आने—जाने और वहां से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकेगी;

(ग) मलबे को हटा सकेगी, खोज कर सकेगी और बचाव कार्य कर सकेगी;

(घ) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार आश्रय, खाद्य, पेयजल, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी;

(ङ) राज्य सरकार के संबंधित विभाग और राज्य की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जिला प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए बचाव, निष्क्रमण या तत्काल राहत पहुंचाने के ऐसे उपाय करने या कार्रवाई करने के निदेश दे सकेगी; जो उसकी राय में आवश्यक हों;

(च) राज्य सरकार के किसी विभाग या अन्य किसी निकाय या प्राधिकरण से या किन्हीं सुसंगत संसाधनों के भारसाधक व्यक्ति से आपात् मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी;

(छ) आपदाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञों और परामर्शियों से बचाव और राहत के लिए सलाह और सहायता देने की अपेक्षा कर सकेगी;

(ज) जब भी अपेक्षित हो, किसी प्राधिकरण या व्यक्ति से सुख—सुविधाओं के उपयोग को अनन्य रूप से या अधिमानतः उपाप्त कर सकेगी;

(झ) अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निर्माण कर सकेगी और ऐसी असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त कर सकेगी जो जनता के लिए परिसंकटमय हों;

(ञ) यह सुनिश्चित कर सकेगी कि गैर सरकारी संगठन साम्यापूर्ण रूप में या अविभेदकारी रीति में अपने क्रियाकलाप करें;

(ट) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए जनता को जानकारी दे सकेगी;

(ठ) ऐसे उपाय कर सकेगी जिनके लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में निदेश दे या ऐसे अन्य उपाय कर सकेगी जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में अपेक्षित या वांछित हों ।

अध्याय 4

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

25. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(क) जिले का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह—अध्यक्ष होगारू

परंतु संविधान की छठी अनुसूची में जैसा निर्दिष्ट है, जनजाति क्षेत्रों में, स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह—अध्यक्ष होगा;

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदेन;

(घ) पुलिस अधीक्षक, पदेन;

(ङ) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन;

PTS JODHPUR

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) ऐसे किसी जिले में जहां जिला परिषद् विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह–अध्यक्ष होगा ।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो, यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी ।

26. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां–(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे ।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा ।

(3) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

27. अधिवेशन–जिला प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे ।

28. सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन–(1) जिला प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा ।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा ।

(3) उपधारा (1) अधीन गठित किसी समिति या उपसमिति में विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते संदत्त किए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

29. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति–राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

30. जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य–(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा ।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा;

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा;

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं;

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है;

PTS JODHPUR

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों;

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा;

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा;

(iX) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा;

(X) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों;

(i) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा ।

(ii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा;

(iii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा;

(iv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(v) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा;

(vi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा;

(vii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें;

(viii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा;

(i) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा;

(XX) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा;

(XXi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा;

PTS JODHPUR

(XXii) जिले स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा;

(XXiii) जिला के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा;

(XXiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा;

(XXv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा;

(XXvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा;

(XXvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा;

(XXviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है;

(XXiX) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं ।

31. जिला योजना—(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी ।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं;

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी के उपाय;

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों—

(i) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आबंटन;

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत;

(iii) आवश्यक संसाधनों का उपापन;

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना; और

(अ) जनता को सूचना का प्रसार;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों ।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

PTS JODHPUR

(7) जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

32. जिला स्तर पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन–जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए–

(क) आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगे जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, अर्थातः–

(i) जिला योजना में यथाउपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समनुदेशित है;

(ii) जिला योजना में यथा अधिकथित क्षमता निर्माण और तैयारी से संबंधित उपायों को करने के उपबंध;

(iii) किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं;

(ख) जिला स्तर पर अन्य संगठनों, जिनके अंतर्गत स्थानीय समुदाय और अन्य स्थानीय प्राधिकारी समुदाय और अन्य पणधारी भी हैं, की योजनाओं के साथ अपनी योजना को तैयार और उसके कार्यान्वयन को समन्वित करेंगे;

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे; और

(घ) जिला प्राधिकरण को अपनी आपदा प्रबंधन योजना और उसके किसी संशोधन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे ।

33. जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश–जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा, जिला स्तर पर किसी अधिकारी या किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आपदा निवारण या उसके शमन के लिए या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए ऐसे उपाय करे, जो आवश्यक हों और ऐसा प्राधिकारी या विभाग ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

34. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य– किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, जिला प्राधिकरण, –

(क) जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निदेश दे सकेगा;

(ख) अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर यानों के आवागमन को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा;

(ग) किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण और उससे उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा;

(घ) मलबा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा;

(ङ) आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा;

(च) प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा;

(छ) अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा;

(ज)जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों;

(झ)सुसंगत क्षेत्रों में सलाह और सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा;

(ञ)किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्हीं सुख–सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा;

(ट)अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निर्माण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय हैं या आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती हैं, ध्वस्त कर सकेगा;

(ठ)यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अभिवेदकारी रीति से करे;

PTS JODHPUR

(ङ)ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो।

अध्याय 5 आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय

35. केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय–(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन समझे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन उपायों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उस उपधारा के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात्‌:–

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वयन करना;

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करना;

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए निधियों के समुचित आबंटन को सुनिश्चित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग किसी आपदा की आशंका या आपदा के त्वरित और प्रभावी मोचन तैयारी के लिए आवश्यक उपाय करते हैं;

(ङ) राज्य सरकारों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर या उसके द्वारा अन्यथा समुचित समझे जाने पर सहयोग और सहायता देना;

(च) नौसेना, थल सेना और वायु सेना, संघ के अन्य सशस्त्र बलों या किसी अन्य सिविलियन कार्मिकों को तैनात करना जिनका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जाए;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशी सरकारों के साथ समन्वयन करना;

(ज) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना;

(झ) ऐसे अन्य विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक या समीचीन समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार बड़ी आपदा द्वारा प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता दे सकेगी जिसे वह उचित समझे ।

36. भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के उत्तरदायित्व–भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह–

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदा के निवारण, शमन, तैयारी या क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करे;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण या शमन के लिए उपायों की अपनी विकास योजनाओं, और परियोजनाओं में एकीकृत करे;

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों या इस निमित्त राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति के निदेशों के अनुसार किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का प्रभावी और त्वरित मोचन करे;

(घ) आपदाओं के निवारण, शमन या तैयारी के लिए आवश्यक उपबंध समाविष्ट करने की दृष्टि से उसके द्वारा प्रशासित अधिनियमितियों, अपनी नीतियों, नियमों और विनियमों का पुनर्विलोकन करे;

(ङ) आपदा के निवारण, शमन या क्षमता निर्माण और तैयारी के उपायों के लिए निधियों का आबंटन करे;

(च) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करे–

(i) आपदा प्रबंधन के संबंध में शमन, तैयारी और मोचन योजनाएं तैयार करना, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और कार्मिकों की पहचान तथा प्रशिक्षण;

(ii) प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य करना;

(iii) किसी आपदा से क्षति का निर्धारण;

PTS JODHPUR

(iv) पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना;

(छ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का तत्परता से और प्रभावी रूप से मोचन करने के प्रयोजन के लिए अपने संसाधन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराना, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी हैं, –

(i) किसी भेद्य या प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार सुविधाएं उपलब्ध करना;

(ii) कार्मिकों और राहत सामग्री का प्रभावित क्षेत्र तक या उससे परिवहन;

(iii) निष्क्रमण, बचाव, अस्थायी आश्रय और अन्य तत्काल राहत प्रदान करना;

(iv) अस्थायी पुल, घाट और हवाई पट्टियां स्थापित करना;

(अ) किसी प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करना;

(ज) ऐसे अन्य कार्य करना जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

37. भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं–(1) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग–

(क) निम्नलिखित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा, अर्थात:–

(i) उसके द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए राष्ट्रीय योजना के अनुसार किए जाने वाले उपाय;

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपनी विकास योजनाओं में शमन के उपायों के एकीकरण की बाबत विनिर्देश;

(iii) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के संबंध में कार्रवाई की तैयारी और क्षमता निर्माण के संबंध में उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व;

(iv) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की तत्परता से और प्रभावी रूप से मोचन की बाबत उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व;

(v) उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट तैयारी की उसकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की वर्तमान स्थिति;

(vi) उपखंड (पपप) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तरदायित्वों का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपाय;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन और अद्यतन करेगा;

(ग) यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा जिसे सरकार उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजेगी ।

(2) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग–

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जब आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही हो तब उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के वित्तपोषण लिए उपबंध करेगा;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट योजना के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति रिपोर्ट, जब भी अपेक्षित हो, देगा ।

38. राज्य सरकार द्वारा उपाय करना–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय तथा ऐसे और उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) उन उपायों के अंतर्गत जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात:–

(क) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वय;

(ख) आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य प्राधिकरण और राज्य कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरणों को सहयोग और उनकी सहायता;

PTS JODHPUR

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का आपदा प्रबंधन में ऐसा सहयोग या सहायता जिनके लिए उनके द्वारा अनुरोध किया जाए या जो उसके द्वारा अन्यथा उचित समझे जाएं;
(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए राज्य योजना तथा जिला योजनाओं के उपबंधों के अनुसार उपायों के लिए निधियों का आबंटन;
(ङ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण या शमन के लिए उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करना;
(च) राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न आपदाओं की संवेदनशीलता को कम करने या शमन करने के लिए राज्य विकास योजना या उपायों में एकीकरण;
(छ) राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने को सुनिश्चित करना;
(ज) संवेदनशील समुदायों के स्तर तक पर्याप्त चेतावनी प्रणालियों की स्थापना;
(झ) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और जिला प्राधिकरण समुचित तैयारी के लिए उपाय करें;
(ञ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराए गए हैं;
(ट) किसी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करना और उन्हें पुनर्निर्माण में सहायता देना;
(ठ) ऐसे अन्य विषय जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

39. राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व—राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह—

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण, शमन, तैयारी और क्षमता—निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करे;
(ख) अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों को एकीकृत करे;
(ग) आपदा के निवारण, शमन, क्षमता—निर्माण और तैयारी के लिए निधियां आबंटित करे;
(घ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का राज्य योजना के अनुसार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राज्य कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार प्रभावी रूप से और तत्परता से मोचन करे;
(ङ) आपदाओं के निवारण, शमन या उसके लिए तैयारी के आवश्यक उपबंध सम्मिलित करने की दृष्टि से उसके द्वारा प्रशासित अधिनियमितियों, अपनी नीतियों, नियमों और विनियमों का पुनर्विलोकन करे;
(च) निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति और जिला प्राधिकरणों द्वारा, यथा अपेक्षित, सहायता प्रदान करे, —
(i) शमन, तैयारी और मोचन, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और आपदा प्रबंधन के संबंध में कर्मचारिवृंद की पहचान और उनके प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करना;
(ii) किसी आपदा से नुकसान का निर्धारण करना;
(iii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य करना;
(छ) जिला स्तर पर अपने प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य प्राधिकरण के परामर्श से संसाधनों की व्यवस्था करे;
(ज) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरणों को राज्य में किसी आपदा की तत्परता से प्रभावी रूप से मोचन करने के प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उपाय करना भी है, अपने संसाधन उपलब्ध कराए—

PTS JODHPUR

(i) संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ii) कार्मिकों और राहत सामग्री का प्रभावित क्षेत्र तक या उससे बाहर परिवहन प्रदान करना;

(iii) निष्क्रमण, बचाव, अस्थायी आश्रय या अन्य तत्काल राहत प्रदान करना;

(iv) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के किसी क्षेत्र से व्यक्तियों या पशुओं का निष्क्रमण करना;

(v) अस्थायी पुल, घाट या हवाई पट्टियां स्थापित करना;

(vi) प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराना;

(झ) ऐसे अन्य कार्य करना जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक हों ।

40. राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजना—राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप, —

(क) एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित अधिकथित होगाः—

(i) उन आपदाओं के प्रकार जिनसे राज्य के विभिन्न भाग संवेदनशील हैं;

(ii) आपदा के निवारण या उसके प्रभावों के शमन या दोनों के लिए नीतियों का उस विभाग द्वारा विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ एकीकरण;

(iii) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में और उन आपातकालीन सहायता कार्यों में जिनके किए जाने की उनसे अपेक्षा है, राज्य के उक्त विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व;

(iv) उपखंड (iii) के अधीन ऐसी भूमिका या उत्तरदायित्वों या आपातकालीन सहायता कार्य को करने की उसकी तैयारियों की वर्तमान स्थिति;

(अ) धारा 37 के अधीन भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित क्षमता निर्माण और तैयारी के उपाय;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन और उन्हें अद्यतन करना; और

(ग) राज्य प्राधिकरण को, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना की प्रति देना ।

(2) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय, उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए उपबंध करेगा ।

(3) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग राज्य कार्यकारिणी समिति को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्ट देगा ।

अध्याय 6
स्थानीय प्राधिकारी

41. स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य—(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए, —

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा ।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 7
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

PTS JODHPUR

42. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान–(1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से एक संस्थान का गठन किया जाएगा ।
(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार विहित करे ।
(3) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों की पदावधि और उनमें रिक्तियां तथा ऐसी रिक्तियों को भरे जाने की रीति वह होगी जो विहित की जाए ।
(4) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का एक शासी निकाय होगा जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों में से ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।
(5) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का शासी निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।
(6) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि तथा उनकी रिक्तियों को भरे जाने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।
(7) इस धारा के अधीन विनियम बनाए जाने तक केन्द्रीय सरकार ऐसे विनियम बना सकेगी और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपांतरित या विखंडित कर सकेगा ।
(8) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित विस्तृत नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के भीतर रहते हुए कार्य करेगा और आपदा प्रबन्धन, दस्तावेजीकरण और आपदा प्रबन्धन की नीतियों, निवारणतंत्र और शमन के उपायों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार के विन्यास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की योजना बनाने और उनका संवर्धन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(9) उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय संस्थान, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, –
(क) आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मापदंडों का विकास, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगा;
(ख) ऐसी व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार कर सकेगा और उसे कार्यान्वित कर सकेगा जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के सभी पहलू आते हों;
(ग) राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाने में सहायता प्रदान कर सकेगा;
(घ) सरकारी कृत्यकारियों सहित पणधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की अपेक्षित सहायता कर सकेगा और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दे सकेगा;
(ङ) राज्य स्तर की नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता तथा अपने कृत्यकारियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, कार्पोरेट सेक्टर और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित पणधारियों और सरकार के क्षमता–निर्माण के लिए राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को यथाअपेक्षित सहायता दे सकेगा;
(च) आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षिक और वृत्तिक पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक सामग्री का विकास कर सकेगा;
(छ) बहुविपत्ति के शमन, तैयारी और उसके मोचन के उपायों से सहबद्ध महाविद्यालय या स्कूल अध्यापकों और छात्रों, तकनीकी कार्मिकों तथा अन्य व्यक्तियों सहित पणधारकों के बीच जागरुकता पैदा कर सकेगा;
(ज) पूर्वोक्त उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए देश के भीतर या देश के बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान, सेमिनार कर सकेगा, उनका आयोजन कर सकेगा और उन्हें सुकर बना सकेगा;
(झ) पत्रिकाओं, अनुसंधान पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन करा सकेगा और पूर्वोक्त उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण कर सकेगा;
(ञ) ऐसे सभी अन्य विधिपूर्ण कार्य कर सकेगा जो उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों; और

PTS JODHPUR

(ट) ऐसे कोई अन्य कृत्य कर सकेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

43. राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी और अन्य कर्मचारी–केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 8
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

44. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल–(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषज्ञतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंध भी हैं, वे होंगी जो विहित की जाएं ।

45. नियंत्रण, निदेशन, आदि–बल का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उनका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा ।

अध्याय 9
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

46. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे–

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे;

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोजित किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जाएगी ।

47. राष्ट्रीय आपदा शमन निधि–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आपदा के शमन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें ऐसी रकम जमा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे ।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का उपयोजन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

48. राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना–(1) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किए जाने के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी, अर्थात्:–

(क) राज्य आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि;

(ख) जिला आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि;

(ग) राज्य आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि;

(घ) जिला आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि ।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि–

(i) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्थापित निधियां राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध हैं;

(ii) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन स्थापित निधियां राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध हैं;

(iii) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियां जिला प्राधिकरण को उपलब्ध हैं ।

PTS JODHPUR

49. मंत्रालयों और विभागों द्वारा निधियों का आबंटन–(1) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपने वार्षिक बजट में, अपनी आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को करने के प्रयोजनों के लिए निधियों का उपबंध करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित राज्य सरकार के विभागों को लागू होंगे ।

50. आपात उपापन और लेखा–जोखा–जहां किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के कारण, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बचाव या राहत के लिए रसद या सामग्री का तत्काल उपापन या संसाधनों का तत्काल उपयोजन आवश्यक है वहां,

(क) वह संबद्ध विभाग या प्राधिकारी को उपापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसी दशा में, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित मानक प्रक्रिया का त्यजन किया गया समझा जाएगा;

(ख) यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी द्वारा रसद या सामग्री के उपयोजन के बारे में प्रमाणपत्र ऐसी रसद या सामग्री के आपात उपापन के लेखा–जोखा प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेज या बीजक माना जाएगा ।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड–जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना, –

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड–जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

53. धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दंड–जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुंचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोजन करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड–जो कोई, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिमाण के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट–सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा ।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध–(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

PTS JODHPUR

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता—ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

57. अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

58. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगेरू

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी—धारा 55 और धारा 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

60. अपराधों का संज्ञान—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा, —

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम—से—कम तीस दिन की सूचना दे दी है ।

अध्याय 11

PTS JODHPUR

प्रकीर्ण

61. विभेद का प्रतिषेध–आपदा के पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति और राहत देते समय लिंग, जाति, समुदाय, उद्‌भव या धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

62. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आपदा प्रबंधन को सुकर बनाने या उसमें सहायता करने के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या किसी राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकायों या उनके किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखित में निदेश जारी करे और ऐसा मंत्रालय या विभाग या सरकार या प्राधिकरण, कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

63. बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली शक्तियां–संघ या राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, किसी राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या ऐसी किसी समिति या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उस समिति या प्राधिकरण या उस व्यक्ति को, आपदा के निवारण या उसके शमन या बचाव या राहत कार्यों के संबंध में कोई कृत्य करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जिनके लिए अनुरोध किया गया है ।

64. कतिपय परिस्थितियों में नियम, आदि बनाना या उनमें संशोधन करना–इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि आपदाओं के निवारण या उनके शमन के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांत, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधि में उपबंध करना या उनमें संशोधन करना अपेक्षित है तो वह उस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, नियमों, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधियों में संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा और समुचित विभाग या प्राधिकारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

65. बचाव कार्य आदि के लिए संसाधनों, रसद, यानों आदि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति–(1) यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि, –

(क) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के पास किन्हीं संसाधनों की तत्काल भेजने के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है;

(ख) बचाव कार्य के प्रयोजन के लिए किन्हीं परिसरों की आवश्यकता है या उनकी आवश्यकता संभावित है; या

(ग) आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से संसाधनों के परिवहन या प्रभावित क्षेत्र को संसाधनों के परिवहन या बचाव, पुनर्वास या पुनः सन्निर्माण के संबंध में परिवहन के प्रयोजनों के लिए किसी यान की आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता संभावित है,

तो ऐसा प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे संसाधनों या परिसरों या ऐसे यान की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे और आदेश भी कर सकेगा जो उसे अध्यपेक्षा के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) जब भी उपधारा (1) के अधीन किसी संसाधन, परिसर या यान की अध्यपेक्षा की जाती है वहां ऐसी अध्यपेक्षा की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए ऐसे संसाधन, परिसर या यान उस उपधारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं ।

(3) इस धारा में, –

(क) संसाधन के अन्तर्गत मानव और सामग्री संसाधन हैं;

(ख) सेवाओं के अन्तर्गत सुविधाएं हैं;

PTS JODHPUR

(ग) परिसर से कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई झोंपड़ी, छप्पर या कोई अन्य संरचना या उसका भाग भी है; और

(घ) यान से परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया या उपयोग किए जाने के लिए सक्षम कोई यान अभिप्रेत है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा नोदित हो ।

66. प्रतिपूर्ति का संदाय—(1) जब भी धारा 65 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, प्राधिकरण या अधिकारी, उस धारा के अनुसरण में किसी परिसर की अध्यपेक्षा करता है वहां हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति का संदाय किया जाएगा जिसकी रकम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाएगी, अर्थात्‌:—

(i) परिसर के संबंध में संदेय किराया, या यदि इस प्रकार कोई किराया संदेय नहीं है तो उसके परिक्षेत्र में उसके समान परिसर के लिए संदेय किराया;

(ii) यदि परिसर की अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपने आवास या कारबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होता है तो ऐसे परिवर्तन से अनुषंगी युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हों),

परंतु जहां कोई हितबद्ध व्यक्ति इस प्रकार अवधारित प्रतिपूर्ति की रकम से व्यथित होकर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को तीस दिन के भीतर, मामले को किसी मध्यस्थ को निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन करता है तो संदाय की जाने वाली प्रतिपूर्ति की रकम वह होगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे,

परंतु यह और कि जहां प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए हकदारी के संबंध में या प्रतिपूर्ति रकम के प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद है वहां विवाद को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी मध्यस्थ को अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसे ऐसे मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में हितबद्ध व्यक्तिष पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 65 के अधीन अध्यपेक्षित परिसर पर, अध्यपेक्षा से तुरंत पूर्व वास्तविक रूप में काबिज था, या उस दशा में जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार वास्तविक रूप में काबिज नहीं था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी धारा 65 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, प्राधिकरण या अधिकारी उस धारा के अनुसरण में किसी यान की अध्यपेक्षा करता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया जाएगा जिसकी रकम, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे यान के किराए के लिए उस परिक्षेत्र में विद्यमान भाड़ा या दरों के आधार पर अवधारित की जाएगीरू

परन्तु जहां ऐसे अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम से व्यथित ऐसे यान का स्वामी विहित समय के भीतर मामले को किसी मध्यस्थ को निर्दिष्ट करने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को आवेदन करता है तो संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की रकम वह होगी जो, इस निमित्त, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करेरू

परन्तु यह और कि जहां अध्यपेक्षा किए जाने के ठीक पूर्व यान या जलयान, अवक्रय करार के कारण स्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था वहां अध्यपेक्षा की बाबत संदेय कुल प्रतिकर के रूप में, इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच ऐसी रीति में प्रभाजित की जाएगी जिसमें वे सहमत हों और करार के व्यतिक्रम में ऐसी रीति से प्रभाजित की जाएगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इस निमित्त विनिश्चय करे ।

67. चेतावनी, आदि की संसूचना के लिए मीडिया को निदेश—राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या कोई जिला प्राधिकरण किसी प्राधिकारी या किसी श्रव्य या श्रव्य—दृश्य मीडिया या संसूचना के ऐसे साधनों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को, जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की बाबत किसी चेतावनी या मंत्रणाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध हों, निदेश देने की सरकार को सिफारिश कर सकेगा और संसूचना के उक्त साधन और यथा अभिहित मीडिया ऐसे निदेश का पालन करेगा ।

68. आदेशों या विनिश्चयों का अधिप्रमाणन—राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य प्राधिकरण या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, राष्ट्रीय

PTS JODHPUR

प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत हों ।

69. शक्तियों का प्रत्यायोजन—यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

70. वार्षिक रिपोर्ट—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और वह सरकार उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान किए गए उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को भेजेगा और वह सरकार, जहां उस राज्य के विधान—मंडल में दो सदन हैं वहां राज्य विधान—मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां ऐसे विधान—मंडल में केवल एक ही सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

71. न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन—किसी न्यायालय को (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात या कार्रवाई, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदेश या मार्ग निदेशन के संबंधों में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

72. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

73. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या ऐसी सरकार या प्राधिकरण के निमित्त कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या किए जाने के लिए तात्पर्यित या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे प्राधिकरण या सरकार या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

74. विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपनी शासकीय क्षमता में उनके द्वारा संसूचित या प्रसारित किसी आसन्न आपदा की बाबत, ऐसी संसूचना या प्रसारण के अनुसरण में उनके द्वारा की गई कार्रवाई या जारी निदेश की बाबत विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्त रहेंगे ।

75. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्ः—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की संख्या तथा उसकी उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें;

(ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

PTS JODHPUR

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य तथा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
(घ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उपसमिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;
(ङ) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों की संख्या, उपधारा (3) के अधीन सदस्यों की पदावधि और उनकी रिक्तियां तथा ऐसी रिक्तियों को भरे जाने की रीति और उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय के गठन की रीति;
(च) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन बल के गठन की रीति, अनुशासनिक उपबंधों सहित बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें;
(छ) वह रीति जिसमें धारा 60 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकारी या अधिकारी को अपराध की सूचना और परिवाद करने के आशय की सूचना दी जाएगी;
(ज) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 70 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है;
(झ) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए या किया जा सके या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।
76. विनियम बनाने की शक्ति–(1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्ः–
(क) शासी निकाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;
(ख) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ग) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे ।
77. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना–इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम या विनियम केवल, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । तथापि, ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
78. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्ः–
(क) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राज्य प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की संख्या तथा उसकी उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें;
(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

PTS JODHPUR

(ग) धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य तथा धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उपसमिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;
(ङ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन जिला प्राधिकरण की संरचना और उसके सदस्यों की संख्या तथा धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;
(च) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों के रूप में जिला प्राधिकरण द्वारा गठित किसी समिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदेय भत्ते;
(छ) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए या किया जा सके या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।
(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान–मंडल एक सदन का है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।
79. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होरू
परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् या विधान–मंडल के प्रत्येक सदने के समक्ष रखा जाएगा ।

PTS JODHPUR

मॉड्यूल दो – निरोधात्मक कार्यवाही

अ– परिशान्ति व सदाचार बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही–

01. द.प्र.सं. की धारा 110, 116, 122, 151 {129, 135, 141, 170BNSS}–

धारा 110 {129 BNSS}अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति– जब किसी कार्यापालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी सीानीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है–
(1) अभ्यास लुटेरा गृहभेदक चोर या कूटरचयिता हैं अथवा

(2) चुराई हुई सम्पत्ति का दउसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः प्रापक है अथवा
(3) अभ्यासतः चोरों की संरक्षता करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है अथवा
(4) व्हरण अपहरण उद्दापन छल या रिष्टी का अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग, या धारा 489ध **{178, 179, 180, 181BNS}**के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है अथवा
(5) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रचयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता हैजिनमें परिशान्ति भंग समाहित है अथवा
(6) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने बका दुष्प्रेरण करता है
(7) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) या
(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिये उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है
या
(8) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है;
तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा केर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाय।

116 {141 BNSS}सूचना की सत्यता के बारे में जांच–(1) जब धारा 111 के अधीन कोई आदेश न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना दिया गया हो या समझा दिया गया हो, या जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन में या उसके निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस सूचना की सच्चाई की जांच करने के लिए, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, आगे बढ़ेगा और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा, जो आवश्यक प्रतीत हो।
(2) ऐसी जांच, यथासम्भव, समन मामलों में परीक्षण करने तथा साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें आगे विहित तरीके से की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन जांच के प्रारंभ के पश्चात् और पूरी होने के पूर्व, यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि शांति भंग या लोक शांति में विघ्न या किसी अपराध के किए जाने के निवारण के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरन्त उपाय आवश्यक हैं, तो वह कारणों को लेखबद्ध करके उस व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 111 के अधीन आदेश किया गया है, निर्देश दे सकेगा कि वह जांच की समाप्ति तक शांति बनाए रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे और उसे ऐसे बंधपत्र के निष्पादित होने तक या निष्पादन न किए जाने की स्थिति में, जांच की समाप्ति तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकेगा :
उसे उपलब्ध कराया –(ए) किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचार बनाए रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा।
(बी) ऐसे बंधपत्र की शर्तें, चाहे उसकी रकम के संबंध में हों या प्रतिभुओं के प्रावधान के संबंध में या उनकी संख्या के संबंध में या उनके दायित्व की धनीय सीमा के संबंध में, धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों से अधिक कठिन नहीं होंगी।

PTS JODHPUR

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है या इतना हताश और खतरनाक है कि बिना सुरक्षा के उसका खुला रहना समुदाय के लिए खतरनाक है, सामान्य ख्याति के साक्ष्य या अन्यथा द्वारा साबित किया जा सकता है।

(5) जहां जांच के अधीन मामले में दो या अधिक व्यक्ति एक साथ सहयोजित हों, वहां उनके साथ एक ही या पृथक जांच में जैसा मजिस्ट्रेट न्यायसंगत समझे, निपटा जा सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन जांच उसके प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और यदि ऐसी जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट विशेष कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अन्यथा निदेश न दे

परंतु जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच लंबित रहने तक हिरासत में रखा गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही, जब तक कि उसे पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो, ऐसी हिरासत की छह माह की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन कार्यवाही जारी रखने का कोई निदेश दिया जाता है, वहां सत्र न्यायाधीश, व्यथित पक्षकार द्वारा उसको दिए गए आवेदन पर, ऐसे निदेश को रद्द कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या प्रतिकूल था।

122 {141 BNSS}प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास– (1) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 106 या धारा 117 **{125/136 BNSS}**के अधीन प्रतिभूति देने के लिये आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिये ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारम्भ होती है, नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात् ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जायेगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरूद्ध रखा जायेगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरूद्ध रखा जायेगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाये या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था।

(ख)यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशान्ति बनाये रखने के लिये [1][प्रतिभुओं सहित या रहित बन्धपत्र] निष्पादित कर दिये जाने के पश्चात् उसके बारें में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद–उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बन्धपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद–उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाये और बन्धपत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरूद्ध रखा जाये तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दण्ड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो।

(2)जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए वारण्ट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में निरूद्ध रखा जाये, और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।

(3)ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और इत्तिला या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और सम्बद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो ठीक समझे ।

परन्तु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिये कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की न होगी।

(4) यदि एक ही कार्यवाही में ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों में प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, जिनमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को उपधारा (2) के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी, जिसे प्रतिभूति देने के लिये आदेश दिया गया है, मामला शामिल किया जायेगा और उपधारा (2), और (3) के उपबन्ध उस दशा में ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है, उस अवधि से अधिक न होगी, जिसके लिये प्रतिभूति देने के लिये उसे आदेश दिया गया था।

(5)सेशन न्यायाधीश उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष रखी किसी कार्यवाही को स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को अन्तरित कर सकता है और ऐसे अन्तरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(6)यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निविदत्त की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश किया, तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

(7)परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा।

(8)सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास, जहाँ कार्यवाही धारा108 के अधीन की गई है, वहाँ सादा होगा और, जहाँ कार्यवाही धारा 109 या धारा 110 **{128/129 BNSS}**के अधीन की गई है वहाँ, जैसा प्रत्येक मामलें में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्देश दे, कठिन या सादा होगा।

धारा 151 {170 BNSS}संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी– कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, जिला चूरू

क्रमांक :– दिनांक :–

श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय,
उप खण्ड, चूरू।

सरकार **बनाम** शेरसिंह उफ शेरिया पुत्र इन्द्र चन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड न0 23 पूनिया कालोनी, चूरू।

PTS JODHPUR

अन्तर्गत धारा 107, 151, 116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता {126, 170, 135 BNSS}

महोदय,

दिनांक 06.07.2015 को परिवादी श्री हरदत्तराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट उम्र 45 साल निवासी अग्रसेन नगर, चूरू ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि – मैंने मेरे घर के उतर में चिपता ही एक प्लॉट कुन्दनमल स्वामी से क्रय किया है उक्त प्लॉट को शेरसिंह पूनियाँ अपना बताकर मुझे लेने से मना कर रहा हैं और जान से मारने की धमकी दे रहा है आदि रिपोर्ट जाँच श्री भँवर सिंह ASI के सुपर्द की गई।

दौराने जांच परिवाद श्री भँवर सिंह ASI ने परिवादी हरदत्तराम से जाँच कर बयान लिखे व मौका पर पहुंच उक्त विवादित प्लॉट बाबत मालुमात कर विक्रेता कुन्दनमल से जाँच कर बयान लिखे। इसी दौरान गेरसायल शेरसिंह मौका ने आकर परिवादी हरदतराम के साथ झगड़ा कर मारपीट करने पर आमादा हो गया। बावजूद समझाईश के नहीं मानने पर अपराध की रोकथाम हेतु गैरसायल को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया व जामा तलाशी में 507/– रूपये मिले। गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके पिता के मोबाईल नं.9413657.1005 पर दी गई विधिवत् सूचना अलग से दी गई। मौका पर उपस्थित श्यामलाल व रतनलाल से जाँच कर बयान लिखे। बाद जाँच अपनी जाँच रिपोर्ट व गैरसायल को पेश किया। समस्त जाँच पुलिस व बयान परिवादी हरदतराम, गवाह श्यामलाल व रतनलाल से गैरसायल शेरसिंह जो थाना हाजा का एच.एस. है एवं आदतन अपराधी है से प्रार्थी हरदतराम को जानमाल का पूरा पूरा खतरा होना पाया जाता है।

अतः इस्तगासा हाजा विरूद्ध गैरसायलय शेरसिंह उर्फ शेरिया पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी पूनिया कॉलोनी, चूरू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107, 151, 116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पेश अदालत कर निवेदन है कि बाद समाअत गैरसायल को माकुल समय के लिए राशि के जमानत मुचलका पर नेक चलनी हेतु पाबंद फरमाने की कृपा करे।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर,
चूरू

सूची ज्यूडिशीयल कागजात :–

1.इस्तगासा हाजा,
2.मुल रिपोर्ट हरदत्त
3. बयानात हरदत, रामलाल, रतनलाल
4. फर्द गिरफ्तारी शेरसिंह,
5. नकल रपट रोजनामचा आन न. 423 व 426 दिनांक 30.06.2015

सूची गवाहान :–

1 श्री हरदत्त सिंह पुत्र डूंगरराम जाति जाट उम्र 45 साल निवासी अग्रसेन नगर चूरू
2 श्री रामलाल पुत्र याजनराम जाति नाई उम्र 50 साल निवासी अग्रसेन नगर चूरू
3 श्री रतनलाल पुत्र बीरमाराम जाति जोगी उम्र 35 साल निवासी अग्रसेन नगर चूरू

PTS JODHPUR

4 श्री महेन्द्र कुमार, सउनि, पुलिस थाना सदर, चूरू।
5अब्दुल क्यूम, थानाधिकारीपुलिस थाना सदर, चूरू।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर,
चूरू

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, चूरू

क्रमांक :– दिनांक :–

श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय,
उपखण्ड, चूरू।

सरकार **बनाम** शेरसिंह उफ शेरिया पुत्र इन्द्र चन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड न0 23 पूनिया कालोनी, चूरू।

अन्तर्गत धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता {129 BNSS}

महोदय,

इस्तगासा का संक्षिप्त में हालात इस प्रकार से है कि–गैरसायल एक नवयुवक है जो लोगों के साथ अनायास ही मारपीट करना व डरा धमकाकर रूपये छीनना व लोगों की भूमियों पर कब्जा आदि जैसे संगीन अपराध करने का आदी हो चुका है। गैरसायल के हौसले इस प्रकार बुलन्द है कि कानून व्यवस्था का डर कतई नहीं रखता है और अपराध पर अपराध कर रहा है जो ऐसा दुस्हासिक व भयावह हो गई कि आमजन साधारण में इसका भय इस कदर व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत करने का साहस नहीं करता है। जनता में आक्रोश बना हुआ है, इसकी बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना है, जिसके लिए गैरसायल को पाबन्द किया जाना जरूरी है। गैरसायल थाना को एच.एस. है जिसके विरूद्ध आज तक थाना पर निम्न प्रकरण दर्ज होकर चालान हुए है।

(1) दिनांक 10.11.2011 को श्री नरेश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण आयु 25 वर्ष निवासी पूनियाँ कॉलोनी चूरू ने थाना पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की कि– आज सुबह 10 बजे मैं मेरे घर के बाहर सड़क पर खड़ा था तभी शेरसिंह उर्फ शेरिया आया और मेरे से शराब के लिए पैसे मांगे, नहीं देने पर मुझे रोककर मारपीट की, आदि रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. नं. 101 दिनांक 10.10.2011 धारा 323, 341 भा.दं.सं. दर्ज कर बाद अनुसंधान जरिये आरोप पत्र संख्या–70 दिनांक 15.10.2011 के दिनांक 20.10.2011 को पेश अदालत जे.एम. साहब, चूरू के किया गया जो जेर तजबीज अदालत है।

(2) दिनांक 04.04.2012 को 03:00 पी.एम. पर श्री रामसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति गुर्जर निवासी पूनियाँ कॉलोनी चूरू ने थाना पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की कि– आज दिन में 12 बजे पता चला कि शेरसिंह उर्फ शेरिया ने मेरा प्लॉट जो शर्मा कॉलोनी में है पर कब्जा कर लिया है, मैंने जाकर उसे मना किया तो मुझे रोककर मारपीट की, आदि रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. नं. 50/12 दिनांक 04.04.2012 धारा 447, 323, 341 भा.दं.सं. दर्ज कर बाद अनुसंधान जरिये आरोप पत्र संख्या–30 दिनांक 20.04.2015 के दिनांक 25.04.2012 को पेश अदालत जे.एम. साहब, चूरू के किया गया जो जेर तजबीज अदालत है।

(3) दिनांक 05.06.2013 को श्री हरिराम पुत्र श्योचन्दराम माली उम्र 24 वर्ष निवासी गाँधीनगर, चूरू ने थाना पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की कि– आज दिन में 11 बजे अग्रसेन से घर जा रहा था सर्किल के पास शेरसिंह उर्फ शेरिया मिला और मुझे रोककर मारपीट कर मुझसे 50 रूपये छीन लिये व एफ.आई.आर. नं. 65 दिनांक 05.06.2013 धारा 323, 341, 382 भा.दं.सं. दर्ज कर बाद अनुसंधान जरिये आरोप पत्र संख्या–40 दिनांक 24.06.2013 के दिनांक 27.06.2013 को पेश अदालत जे.एम. साहब, चूरू के किया गया जो जेर तजबीज अदालत है।

PTS JODHPUR

इस प्रकार से शेरसिंह उर्फ शेरिया दिन प्रतिदिन अपराध कर अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा है, उसकी बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने व सदाचार के लिए उसे पाबन्द किया जाना जरूरी है।
अतः इस्तगासा हाजा विरूद्ध गैर सांयल शेरसिंह उर्फ शेरिया पुत्र इन्द्र चन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड न0 23 पूनिया कालोनी, चूरू के अन्तर्गत धारा 110 दण्ड प्रक्रिया पेश कर निवेदन है कि बाद समाअत सलूक कानूनी फरमाते हुए भारी राशि के जमानत मुचलका पर माकुल अर्सा के लिए नेकचलनी हेतु पाबन्द फरमाने की कृपा करे।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर, चूरू

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, चूरू

क्रमांक :— दिनांक :—

श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय,
उपखण्ड, चूरू।

सरकार **बनाम** शेरसिंह उर्फ शेरिया पुत्र इन्द्र चन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड न0 23 पूनिया कालोनी, चूरू।

<u>अन्तर्गत धारा 122 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u> {141 BNSS}

महोदय,

इस्तगासा का संक्षिप्त में हालात इस प्रकार से है कि— गैर सायल शेरसिंह उर्फ शेरिया पुत्र इन्द्र चन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड न. 23 पूनिया कालोनी, चूरू का मूल निवासी है, जो आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। जिसके विरूद्ध अब तक कुल 20 अभियोग संगीन अपराधों के जैसे हत्या का प्रयास, गंभीर चोट, मारपीट, चोरी एवं धोखाधड़ी तथा आर्म्स एक्ट जैसे दर्ज होकर आरोप पत्र पेश अदालत किये गये है जो विचाराधीन न्यायालय है। उक्त शख्स शेर सिंह 5—7 व्यक्तियों के ग्रुप में रहकर लोगो के साथ अनायास ही लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करता रहा है जिससे समय समय पर लोक शान्ति भंग होने व कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है। गैरसायल शेरसिंह की एच.एस. खोली जाकर निगरानी जारी है।

दिनांक 06.07.2015 को श्री हरदत्त सिंह पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी अग्रसेन नगर चूरू ने थाना उपस्थित होकर शेर सिंह व उसके अन्य साथियो द्वारा उसकी भूमी पर अतिक्रमण करने व जान माल की धमकी बाबत परिवाद पेश करने पर परिवाद जांच हेतु श्री भँवर सिंह ASI के सुपर्द की। दौराने जांच परिवाद श्री भँवरसिंह ASI ने शेर सिंह उर्फ शेरिया व उसके अन्य साथियो को समझाईश करने के बावजुद भी नहीं मानने और हमराह परिवादी हरदत्तसिंह के साथ झगड़ा करने पर उतारू होकर उसे मरने मारने पर उतारू हो गये जिस पर उक्त शेर सिंह को मौका पर ही अन्तर्गत धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया जाकर इस्तागासा श्रीमान के समक्ष पेश किया था। जिस पर श्रीमान के आदेशानुसार दिनांक 07.07.2015 को शेर सिंह को 06 माह के लिए नेक चलनी व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने बाबत श्री राजकुमार पुत्र हनुमानाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासी खासोली, चूरू की 20,000 रूपये की जमानत व इसी कदर के मुचलका पर पाबन्द किया गया था।

गैर सायल शेर सिंह उर्फ शेरिया छः माह के लिए नेक चलनी हेतु पाबन्द होने के बावजूद भी अपराध घटित कर शान्ति व्यवस्था भंग की जिसके विरूद्ध पुलिस थाना सदर चूरू में दिनांक 10.07.15 को मु0न0

PTS JODHPUR

36 दिनांक 10.07.2015 धारा 447, 341, 323, 307, 147, 148, 149 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज होने पर शेरसिह को दिनांक 11.07.15 को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार गैरसायल ने पाबन्द होने के बावजूद भी स्वेच्छा चारिता का कदम उठाते हुए अपनी प्रतिभूति भंग कर कानून तोड़ा है एवं लोक शान्ति भंग की है।

अतः इस्तगासा हाजा विरूद्ध शेरसिंह उर्फ शेरिया पुत्र इन्द्र चन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड न0 23 पूनिया कालोनी, चूरू अन्तर्गत धारा 122 दण्ड प्रक्रिया संहिता श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर चूरू,

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, जिला चूरू

क्रमांक :– दिनांक :–

श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय,
उप खण्ड, चूरू।

सरकार **बनाम** शेरसिंह उफ शेरिया पुत्र इन्द्र चन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड न0 23 पूनिया कालोनी, चूरू।

अन्तर्गत धारा 107, 151, 116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता {126, 170, 135 BNSS}

महोदय,

दिनांक 06.07.2015 को परिवादी श्री हरदत्तराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट उम्र 45 साल निवासी अग्रसेन नगर, चूरू ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि – मैंने मेरे घर के उतर में चिपता ही एक प्लॉट कुन्दनमल स्वामी से क्रय किया है उक्त प्लॉट को शेरसिंह पूनियाँ अपना बताकर मुझे लेने से मना कर रहा हैं और जान से मारने की धमकी दे रहा है आदि रिपोर्ट जाँच श्री भँवर सिंह ASI के सुपर्द की गई।

दौराने जांच परिवाद श्री भँवर सिंह ASI ने परिवादी हरदत्तराम से जाँच कर बयान लिखे व मौका पर पहुंच उक्त विवादित प्लॉट बाबत मालुमात कर विक्रेता कुन्दनमल से जाँच कर बयान लिखे। इसी दौरान गेरसायल शेरसिंह मौका ने आकर परिवादी हरदतराम के साथ झगड़ा कर मारपीट करने पर आमादा हो गया। बावजूद समझाईश के नहीं मानने पर अपराध की रोकथाम हेतु गैरसायल को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया व जामा तलाशी में 507/– रूपये मिले। गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके पिता के मोबाईल नं.9413657.1005 पर दी गई विधिवत् सूचना अलग से दी गई। मौका पर उपस्थित श्यामलाल व रतनलाल से जाँच कर बयान लिखे। बाद जाँच अपनी जाँच रिपोर्ट व गैरसायल को पेश किया। समस्त जाँच पुलिस व बयान परिवादी हरदतराम, गवाह श्यामलाल व रतनलाल से गैरसायल

PTS JODHPUR

शेरसिंह जो थाना हाजा का एच.एस. है एवं आदतन अपराधी है से प्रार्थी हरदतराम को जानमाल का पूरा पूरा खतरा होना पाया जाता है।

अतः इस्तगासा हाजा विरूद्ध गैरसायलय शेरसिंह उर्फ शेरिया पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी पूनिया कॉलोनी, चूरू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107, 151, 116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पेश अदालत कर निवेदन है कि बाद समाअत गैरसायल को माकुल समय के लिए राशि के जमानत मुचलका पर नेक चलनी हेतु पाबंद फरमाने की कृपा करे।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर,
चूरू

सूची ज्यूडिशीयल कागजात :–

6.इस्तगासा हाजा,
7.मुल रिपोर्ट हरदत्त
8. बयानात हरदत, रामलाल, रतनलाल
9. फर्द गिरफ्तारी शेरसिंह,
10. नकल रपट रोजनामचा आन न. 423 व 426 दिनांक 30.06.2015

सूची गवाहान :–

1 श्री हरदत्त सिंह पुत्र डूंगरराम जाति जाट उम्र 45 साल निवासी अग्रसेन नगर चूरू
2 श्री रामलाल पुत्र याजनराम जाति नाई उम्र 50 साल निवासी अग्रसेन नगर चूरू
3 श्री रतनलाल पुत्र बीरमाराम जाति जोगी उम्र 35 साल निवासी अग्रसेन नगर चूरू
4 श्री महेन्द्र कुमार, सउनि, पुलिस थाना सदर, चूरू।
5अब्दुल क्यूम, थानाधिकारीपुलिस थाना सदर, चूरू।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर,
चूरू

ब – लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

धारा 129 {148 BNSS}सिविल बल प्रयोग द्वारा जमाव को तितर–बितर करना– (1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का एस.एच.ओ. या एस.एच.ओ. की अनुपस्थिति में एस.आई. से कम रैंक का न होाने वाला पुलिस अधिकारी किसी विधि विरूद्ध जमाव को जिससे लोकशान्ति भंग होने की संभावना हो तितर–वितर होने का आदेश दे सकता है तब ऐसे जमाव के सदस्यों का कर्त्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर–बितर हो जायें।

(2) यदि ऐसा समादेश दिये जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर–बितर नहीं होता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बल प्रयोग द्वारा जमाव को बल द्वारा तितर–बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने व निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है।

धारा 130 {149 BNSS}जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग– (1) ऐसा जमाव अन्यथा तितर–बितर नहीं किया जा सकता लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर–बितर

PTS JODHPUR

किया जाये तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देश सेस उन्हेकं गिरफ्तार या निरूद्ध निरूद्ध कर सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल की टुकडी का नेततृत्व कर रहा है उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने नेतृत्व के सस्त्र बल से जमाव को तितर–बितर कर देव मजिस्ट्रेट के निर्देश से उन्हें गिरफ्तार या निरूद्ध करें।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी इतने ही बल का प्रयोग करेगा ओर शरीर व सम्पत्ति को इतनी ही हानि पहुंचायेगा जितनी उस जमाव को तितर–बितर करने गिरफ्तार करने, निरूद्ध करने के लिये आवश्यक हैं।

धारा 131 {150 BNSS}–जमाव को तितर–बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति – जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पक्र नही किया सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर–बितर कर सकता है।

धारा 132 {151 BNSS}पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यो के लिए अभियोजन से संरक्षण– (1) किसी कार्य के लिये जो धारा 129, 130, या 131 के अधीन किया गया तात्पर्यिक है या व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन किसी दण्ड न्यायालय में–

(क) जहां ऐसा व्यक्ति जो शसस्त्र बल को कोई अधिकारी या सदस्य है वहां केन्द्रयी सरकार कि बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी अन्य मामलें मेंराज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कर्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में–

(ख) धारा 129 या 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में।

(ग) धारा 131 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में।

(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिये आबद्ध हो उसके पालन में किये गये किसी कार्य के लिये उस सदस्य के बारे में।

(3) इस धारा में और इस धारा की पूर्ववर्ती धाराओं–

(क) ''सशस्त्र बल'' पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना नौसेना अभिप्रेत है ओर इसके अर्न्तगत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी है।

(ख) सशस्त्र बल के संबंध में ''अधिकारी'' के सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त राजपत्रित या वेतन भोगी अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर वारंट ऑफिसर पेटी ऑफिसर अनायुक्त ऑफिसर तथा राजपत्रित ऑफिसर भी है।

(ग) सशस्त्र बल के संबंध में ''सदस्य'' से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न कोई उसका सदस्य अभिप्रेत है।

धारा 144 {163 BNSS}न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति– (1) उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपाय किया जाना वांछनीय है तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्यविशेष नहीं करने या कोई अपने

PTS JODHPUR

कब्जे की विशिष्ट संपत्ति की कोई विशेष व्यवस्था करने का निर्देश उस दिशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसा निर्देश विधिपूर्ण नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या लोकशांति विक्षुब्ध होने का या बल्वे या दंगें का निवारण हो जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशा मं पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र में निवास कराने वाले व्यक्तियों को निर्दिष्ट किये जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश दिये जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत नहीं रहेगे विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक हो सकती है।

(5) कोई मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है जो या तो उसनपे दिये है या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने दिये हैं।

(6) राज्य सरकार अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश को स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है।

(7) जहां उपधारा 5या 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या उसके प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने या आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर देगी और यदि आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी।

धारा 144क आयुध सहित जलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति–

(1) जिला मजिस्ट्रेट, जब भी वह लोक शांति या लोक सूरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, लोक सूचना या आदेश द्वारा, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जलुस में आयुध ले जाने या किसी लोकस्थान में आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण व्यवस्थित या आयोजित करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी समुदाय, दल या संगठन के व्यक्तियों के प्रति, संबोधित हो सकती या हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश, जारी किए जाने या बनाए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक के लिए, प्रवृत नही रहेगी या रहेगा।

(4) राज्य सरकार, यदि वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी लोक सूचना निकाली गई थी या आदेश किया गया था, ऐसे निदेश के न होने की दशा मे समाप्त हो जाती या हो जाती या हो जाता, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेगी या रहेगा जो उक्त अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट की जाए।

धारा 188 {223 BNS}–लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा–जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में या प्रबन्धाधीन किसी सम्पति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए विर्दिष्ट किया गया है ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा।

यदि ऐसे अवज्ञा विधिपूवक्र नियोजित किन्ही व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ, या क्षति या उसका जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृति की हो,

PTS JODHPUR

दण्ड—एक मास तक का कारावास अथवा दो सौ रूपये तक का जुर्माना या दोनों और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करेगा या कारित प्रवृति की हो या बलवा या दंगा कारित करती हो या ऐसी प्रवृति की हो,
दण्ड—छः मास तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों।

धारा 133 {152 BNSS}न्यूसेंस हटाने का आदेश— (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की इत्तिला प्राप्त होती है कि—
(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग नदी या जल सरणी में जनत4ा द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है, विधि विरूद्ध बााधा या न्यूसेन्स हो रहा है।
(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना जो समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिये हानिकर है
(ग) किसी भव तम्बू सरंचना या कोई वृक्ष जिसका गिरना संभाव्य है और जिससे व्यक्तियों को हानि हो सकती है।
(घ) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे अग्निकांड या विस्फोट ओ जाना संभाव्य है।
(ड) कोई बिना बाड लगा हुआ तालाब कुंआ या उत्खात जो किसी मार्ग या लोक स्थान के पास में है।
(च) किसी भयानक जी जन्तु जिसे नष्ट परिरूद्ध या जिसका व्ययन किया जाना अपेक्षित है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार की बाधा या न्यूसेन्स को हटा देने का सशर्त आदेश दे सकता है ओर यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो कारण प्रदर्शित करने का आदेश दे सकता है एवं ऐसा न्यूसेन्स हटा सकता है।
(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी ओदश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

इस्तगासा — अर्न्तगत धारा 133 द.प्र.सं. {152 BNSS}

कार्यालय थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर राजस्थान।

क्रमांक :— दिनांक :—

सेवामें,

श्रीमान एस.डी.एम. साहब,
नागौर , जिला नागौर।

मार्फत — श्रीमान् ए.पी.पी. साहब, सम्बन्धित कोर्ट नागौर।

सरकार जरिये	गैर सायल
	01. श्री रामनिवास पुत्र श्री रामपाल
थानाधिकारी पु.था.	जाति उम्र 40 साल, निवासी
कोतवाली नागौर	ताउसर रोड़, नागौर।

इस्तगासा — अर्न्तगत धारा 133 द.प्र.सं. पु.था. कोतवाली जिला नागौर।

महोदय,

वाकियात् इस्तगासा इस प्रकार है कि दिनांक 26.1.2016 को समय 04.00 पी.एम. पर प्रार्थी श्री नरेश पुत्र श्री रामरतन उम्र 22 साल निवासी राउसर रोड़ नागौर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट

PTS JODHPUR

इस आशय कि प्रस्तुत की कि मेरे मकान के पास पड़ोसी रामनिवास पुत्र श्री रामलाल का मकान आया हुआ है, जिसके छज्जा रोड़ पर चार फिट बाहर निकला हुआ है। छज्जा गिरने की स्थिति में है, आम सड़क पर होने से आने–जाने वाले राहगीरों को खतरा बना हुआ है। यह छज्जा कभी भी गिरकर आम नागरिक या मुझ स्वयं को भी हानी पंहुचा सकता है। हम मोहल्ले वासीयों ने रामनिवास को दिनांक 25.1.2016 को छज्जा हटाने को कहा था मगर रामलाल छज्जा हटाने को राजी नही हुआ तथा रामनिवास ने अतिक्रमण कर रखा है। वगैरह रिपोर्ट पर जांच हेतु न्यूसेंस होने से हैड कानि. श्री रामकुंवार नं. 168 को जुम्मे की गई।

दौराने जांच बयान् सायल एवं गवाहान के लिये गये एवं मौका पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया गया जाकर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मुर्तिब किया गया एवं पड़ोसीयान से गुप्त रूप से मालुमात की गई ।

हासला जांच बयान व निरीक्षण घटनास्थल से पाया गया कि सायल नरेश के पड़ोस में गैर सायल रामनिवास पुत्र श्री रामपाल निवासी ताउसर रोड़ नागौर का मकान आया हुआ है। मकान पुराना तथा खण्डर नुमा है एवं मकान का छज्जा बाहर आम सड़क पर आया हुआ है। जिससे आम जनता एवं सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों का जीवन संकटमय बना हुआ है तथा यातायात भी बाधित कर रहा है। मकान पुराना है। तथा इसमें कोई निवास नही कर रहा है जिसका छज्जा कभी भी गिर कर जान माल की हानि पंहुच सकती है। अतः गैर सायल रामनिवास के विरूद्ध जुर्म धारा 133 द.प्र.सं. **{152 BNSS}**साबित पाया जाता है।

अतः इस्तगासा हाजा बर खिलाफ गैर सायल श्री रामनिवास पुत्र श्री रामपाल उम्र 40 साल निवासी ताउसर रोड़ नागौर के विरूद्ध जुर्म धारा 133 द.प्र.सं. में पेश कर निवेदन है कि श्रीमान क्षेत्राधिकार में न्यूसेंस पाया गया है। बाद सलूक कानूनी कार्यवाही फरमावें।

सूची कागजात –

1. असल इस्तगासा हाजा वक्र– 01
2. असल रिपोर्ट – वक्र – 1
3. बयान् गवाहान् – वक्र – 03
4. नक्शा मौका – वक्र – 1
5. नकल रोजनामचा आम – वक्र – 1
6. हाजरी माफी वक्र – 1

सूची गवाहान –

1. श्री नरेश पुत्र श्री राम रतन जाति माली उम्र – 38 साल निवासी ताउसर रोड़ नागौर।
2. रामपाल पुत्र श्री रामकिशन जाति माली उम्र 60 साल निवासी ताउसर रोड़ नागौर।
3. रामनिवास कानि. 254 पु.था. कोतवाली जिला नागौर।
4. रामकुंवार हैड कानि. 138 पु.था. कोतवाली जिला नागौर।
5. थानाधिकारी पु.था. कोतवाली जिला नागौर।

भवदीय

थानाधिकारी

PTS JODHPUR

पु.था. कोतवाली नागौर

145 द.प्र.सं.व 146 द.प्र.सं. {164 व 165 BNSS}

145 CRPC {164 BNSS}:– भूमि या जल से सम्बन्धित विवादों से परिशान्ति हेतू –

1. जब कभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य ईत्तला पर समाधान होता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओ से सम्बन्धित ऐसा विवाद है जिससे शान्ति भंग होने की सम्भावना है तब वह अपने ऐसे कारणों का कथन करते हुऐ ऐसे विवाद से सम्बिन्धित पक्षकारो को लिखित आदेश देगा कि वे निश्चित तारीख व समय पर स्वंय या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय मे हाजीर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के बारे में अपने– अपने दावो का लिखित कथन पेश करें।
2 इस धारा मे '' भूमि या जल'' पद के अन्र्तगत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसले, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी सम्पत्ति के किराया या लाभ भी है।
3. इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा सम्मन की तामील के लिये निर्धारित रीति से तामील करवाई जाएगी। एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट सहज द्वश्य स्थान पर पर लगाकर प्रकाशित की जावेगी।
4. विवाद की विषय वस्तु के बारे मे पक्षकारो को सुनेगा व उनसे समस्त साक्ष्य लेगा व निर्धारित करेगा कि आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कौन कब्जा रखता है।
   यदि कोई पक्षकार बलात और सदोष रूप से किसी को बेकब्जा किया गया है तो आदेश की तारीख से दो मास के अन्दर जिसका कब्जा होगा मजिस्ट्रेट उसका कब्जा मान सकेगा।
5. यदि कोई पक्षकार या हितबद्व व्यक्ति मजिस्ट्रेट को बताता है कि विवादित विषयवस्तु पर कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नही है या नही रहा है और ऐसी दशा मे मजिस्ट्रेट उक्त आदेश को रद्द कर देगा।
6. ऐसा पक्षकार उस विषयवस्तु पर तब कर कब्जा रखने का हकदार होगा जब तक विधि के सम्यक अनुक्रम मे बेदखल न कर दिया जाए।
7. जब किसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो तब मजिस्ट्रेट उसके विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा।
8. इसमे विवाद की विषयवस्तु यदि कोई फसल या अन्य उपज जो शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिये आदेश दे सकता है।
9. यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम सम्मन जारी कर हाजिर होने का दस्तावेज या चीज पेश करने हेतू आदेश जारी कर सकता है।
10. इस धारा के तहत कोई भी कार्यवाही धारा 107 **{126 BNSS}**के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियो का अल्पीकरण करने वाली नही समझी जावेगी।
    इस धारा के अधीन कार्यवाही दण्डात्मक न होकर निवारक होती है।
    इस धारा के अधीन आदेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद से परिशान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

PTS JODHPUR

146 CRPC {165 BNSS}:– 1 धारा 145 (1) के अनुसार आदेश करने के पश्चात मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है या समझता है कि आदेश के समय किसी का कब्जा नही था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिये कुक्र कर सकता है जब तक कि सक्षम न्यायालय कब्जे के हकदार व्यक्ति के बारे मे निर्णय न देदे।

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जात है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे मे शान्ति भंग होने की सम्भावना नही है तो वह कुर्की वापस ले सकता है।

2. 1 कोई मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुक्र करता है और रिसीवर सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नही किया गया है तो वह नियुक्त कर सकता है।

2. यदि विवाद की विषयवस्तु के सम्बन्ध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किये जाने पर मजिस्ट्रेट अपने रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवादित वस्तु का कब्जा न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे।

इस्तगासा अर्न्तगत धारा – 145 जा0फौ0 {164 BNSS}

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागौर (राज0)

क्रमांक – दिनांक –

सेवामें,

श्रीमान् एस0डी0एम0 साहब,
नागौर जिला नागौर (राज0)

मार्फतः– श्रीमान् एपीपी साहब, एसडीएम कोर्ट नागौर

सरकार जरिये– थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली नागोर

गेर सायल – पार्टी नंबर 1

श्री काना राम पिता श्री कुका राम जाति माली उम्र 45 साल पेशा खेती निवासी ताउसर जिला नागौर

पार्टी नंबर 2

श्री पूरुखा राम पिता श्री पापा लाल जाति माली उम्र 40 साल पेशा खेती निवासी ताउसर जिला नागौर

इस्तगासा अर्न्तगत धारा – 145 जा0फौ0 थाना कौतवाली नागौर (राज0)

श्रीमान्जी,

वाकियात इस्तगासा हाजा इस प्रकार से है कि ग्राम टाउसर की सरहद मे विवादित जमीन खेत खसरा नंबर 309/403 आया हुआ है उक्त जमीन पर काबिज पार्टी नंबर 1 श्री काना राम पिता श्री हुकमा राम जाति माली उम्र 45 साल निवासी ताउसर वगैरा है । तथा उक्त विवादित जमीन का रेकार्ड रेवेन्यू अनुसार पार्टी नंबर 2 श्री पुरखा राम पिता पापा लाल जाति माली उम्र 40 साल निवासी ताउसर के नाम से है । इस कारण इस जमीन को लेकर दौना पक्षो में भारी आक्रोश है । दौनो पक्षों के इस जमीन को लेकर प्रकरण संख्या 13/14 धारा 447,341,323 भादसं व प्रकरण संख्या 14/17 धारा 341,323 भादसं में दर्ज

PTS JODHPUR

होकर दोनो पार्टीयों का चालान हो चुका है । दोनो प्रकरण जैर ट्रायल अदालत है एवं प्रकरण सं. 31/16 व 32/16 थाना हाजा पर दर्ज होकर जैर अनुसंधान है । दोनो पार्टीयों को धारा 107,151 द.प्र.सं.में गिरफ्तार कर न्यायालय से पाबन्द करवाया जा चुका है । फिर भी दोनो पार्टीयॉ मरने मारने पर आमादा होने से तथा जमीन विवाद को लेकर खुन खराबा होने की पूर्ण संभावना होने से जॉच धारा 145 जा. फौ. में शुरु की गई ।

दौराने जॉच है.का. रामकुमार 168 ने घटना स्थल विवादित जमीन का नक्शा मौका रेखाचित्र मुर्तिब किया गया। बयान गवाहान लिये गये। हल्का पटवारी से रेवन्यु रेकार्ड प्राप्त किया गया । पूर्व में चालान शुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट 13/14 व 14/14 व चार्जशीट की प्रमाणित प्रतियां। एवं इस्तगासा अर्न्तगत धारा 107,151 द.प्र.सं.की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल प्रत्रावली की गई ।

हासला जॉच बयान गवाहान एवं उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि गैर सायल पार्टी नंबर 1 व 2 के विरुद्ध जमीन खेत खसरा नंबर 309/403 सरहद ताउसर को लेकर आपस में रंजिश है दौनो पक्ष उक्त जमीन को लेकर कभी भी खुन खराबा कर श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में शान्ति भंग कर सकते है अतः दोनों पक्षकारों को पाबंद करना फरमावें।

अतः इस्तगासा हाजा बर खिलाफ गेर सायल पार्टी नंबर 1 व पार्टी नंबर 2 के विरुद्ध जुर्म धारा 145 द.प्र. सं.मे पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादित जमीन को अविलम्ब कुक्र फरमाकर हल्का पटवारी को रिसीवर नियुक्त फरमानें की कृपा करावें, ताकि श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में शांती व्यवस्था कायम रह सके।

सूचि कागजात –1. इस्तगासा हाजा वक्र –1
2. शपथ पत्र वक्र –1
3. बयान गवाहान वक्र वक्र –2
4. रेवेन्यू जमाबन्दी गिरदावरी वक्र –2
5. FIR No 13/14 व 14/14 की प्रमाणित प्रति व चार्जशीट वक्र –10
6. FIR No 31/116 व 32/16 की प्रमाणित प्रति
6. हाजिर माफी वक्र –1

सूचि शहादत गवाहान –

1. श्री सुनील पिता श्री कृपा राम जाति माली निवासी ताउसर
2. श्री धन्ना राम पिता श्री किशना राम जाति माली निवासी ताउसर
3. श्री सही राम विश्नोई हल्का पटवारी ताउसर
4. श्री राम निवास कानि. नंबर 554 थाना कोतवाली नागौर
5. श्री ओम प्रकाश कानि. नंबर 1103 थाना कोतवाली नागौर
6. श्री रामकुमार हे. कानि. नंबर 168 थाना कोतवाली नागौर
7. थानाधिकारी थाना कोतवाली नागौर

भवदीय

थानाधिकारी
थाना कोतवाली नागौर (राज0

PTS JODHPUR

गुण्डा एक्ट एवं एच.ओ. एक्ट के प्रमुख प्रावधान एवं कार्यवाही –

धारा 2 (ख) गुण्डा से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो –

(1)या तो स्वंय किसी गैंग के सदस्य या नेता के रूप में भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध) अध्याय 17 (सम्पति के विरूद्ध अपराध) और अध्याय 22 (आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में अपराध) या धारा 290 से 294 भादस **{292 से 296 BNS}**का अपराध आदतन करता है प्रयत्न करता है या उन्हे करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या

(2) महिलाओं एवं कन्याओं में अनैतिक आरचरण का दमन अधिनियम 1956 के अधीन दोष सिद्ध हो गया हो या

(3) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या

(4) एनडीपीएस एक्ट के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ हो या

(5) राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 में कम से कम दो बार सजायाब ठहराया गया हो

(6) महिलाओं या लडकियों पर अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हे छेडता हुआ पाया गया हो,

(7) हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधिपालक लोगो को भयभीत करने का अभ्यासी पाया गया हो,

(8) जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बल पूर्वक चन्द संग्रहित करने या अपने या अन्य के अवैध आर्थिक फायदे के लिए लोगो को धमकी देने का अभ्यासी हो,

धारा 3 गुण्डो का निष्कासन आदि – (1)यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतित हो कि कोई व्यक्ति गुण्डा है धारा 2 (ख) के उपखण्ड 1–6 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का कृत्य को करने के लिए जिले या उसके किसी भाग में साक्षी लोगो को अपने शरीर या सम्पति की सुरक्षा की आंशका होने पर उसके विरूद्ध साक्ष्य देने का इच्छुक नहीं होने से पर जिला दण्डनायक उसे लिखित में एक नोटिस द्वारा महत्वपूर्ण आरोपो की सूचना देगा और उनके सम्बंध में उनके सम्बंध में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु एक उचित अवसर देगा।

(2) जिस व्यक्ति के विरूद्ध इस धारा के अधीन कोई आदेश जारी किया जाता है वह अपने वकील से परामर्श कर अपना बचाव कर सकता है।

(3) जहां जिला दण्डनायक इससे सन्तुष्ट होने पर कि उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान है जब तक कि ऐसी अवधि जो 6 माह से अधिक की नहीं होगी तथा जिसका आदेश में उल्लेख किया जावेगा समाप्त न हो जावे लिखित आदेश द्वारा– उस जिले या जिले के किसी भाग से निष्कासन अवधि जो छः माह से अधिक न होगी निर्देश देगा कि स्वंय को उस अवधि के लिए प्रवेश से रोके विहित तरीके से स्वंय की उपस्थिति की सूचना निर्दिष्ट व्यक्ति को देगा। किसी भी ऐसी वस्तु का जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये उपयोग में लेने से मना करेगा ऐसे तरीके से विनिर्दिष्ट किया जावे या अन्य प्रकार से स्वंय का आचरण करने के लिए उससे कहेगा।

धारा 4 अस्थायी रूप से लौटने की अनुमति

धारा 5 आदेश की अवधि को बढाना – यह अवधि समय समय पर बढाई जा सकती है परन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

PTS JODHPUR

धारा 6 अपील – आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर सम्भागीय आयुक्त के समक्ष के अपील कर सकेगा।

धारा 10 – धारा 3 से 6 के अधीन आदेशो के उल्लंघन के लिए दण्ड – कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी लेकिन 6 माह से कम नहीं होगी एवं उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा।

7. द.प्र.सं. की धारा 91 {94 BNSS}के अन्तर्गत नोटिस एवं धारा 174 व 176 {208 व 211 BNS}के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार करना

धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समय – (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि

किसी ऐसे अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए जो कइिस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या चीज कके होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात–

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)की धारा 123 और 124 या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र पोस्टकार्ड तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक

क्रमांक –   दिनांक –

श्रीमन् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
टोंक।
मार्फत – एपीसी साहब – प्रथम, न्यायालय टोंक।

PTS JODHPUR

सरकार जरिये थानाधिकारी सदर जिला टोंक	बनाम	श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक।
इस्तगासा अन्तर्गत धारा 174 आई0पी0सी0 **{208 BNS}**थाना सदर जिला टोंक।		

महोदय ,

वाक्यात इस्तगासा इस प्रकार है कि मुकदमा नम्बर 245/17 धारा 143.324, 325,326 भा0द0सं0 थाना सदर टोंक में अनुसंधान अधिकारी श्री नन्द सिंह राजावत स0उ0नि0 ने अनुसंधान में अनुसंधान में सहयोग हेतु श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक को दिनांक 18.08.17 को समय 10.30 ए0एम0 तक थाना सदर टोंक पर उपस्थित आने हेतु सफीना अन्तर्गत धारा 160 सीआरपीसी में जारी कर श्री भरत लाल कानि0 321 थाना सदर टोंक को तामिल हेतु दिया गया था श्री भरत लाल कानि0 321 द्वारा दिनांक 16.08.17 को मोहल्ला हाउसिंग बोर्ड टोंक में श्री दशरथ सिंह के मकान पर पहुंच कर स्वंय को दिनांक 18.08.17 को 10.30 ए0एम0 तक अनुसंधान में सहयोग हेतु थाने पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने हेतु सफीना अन्तर्गत धारा 160 सीआरपीसी की एक प्रति प्राप्त कर प्राप्ति रसीद हस्ताक्षर दूसरी प्रति पर देकर तामिल करने हेतु कहा गया तो श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक ने थाने पर उपस्थित होने से मना कर दिया एवं सफीना पर हस्ताक्षर नहीं किये न ही प्रति अपने हाथ में ली और कानि0 से कहा कि ना तो मैं थाने पर आउंगा और ना ही उक्त मुकदमें में कोई सहयोग जानकारी दूंगा। तामिल कुनिन्दा कानि0 ने वापसी थाना पर आकर तामिल हालात निवेदन कर सफीना अदम तामिल पेश किया।

इस प्रकार श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक द्वारा संगीन किस्म के मुकदमें में सहयोग, जानकारी देने के लिए लोक सेवक द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना की है। अतः इस्तगासा हस्बदफा 174 आई0पी0सी0 विरूद्ध श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 4/25 हाउसिंग बोर्ड थाना सदर जिला टोंक के पेश कर निवेदन है कि बाद समायत सलूक कानूनी फरमाने की कृपा करें।

भवदीय,
हस्ता0
थानाधिकारी,पुलिस
थाना सदर,जिला टोंक

सूची गवाहान

1— श्री भरत लाल कानि0 321 पुलिस थाना सदर जिला टोंक ।(तामिल कुनिन्दा)
2— श्री राधेश्याम त्रिपाठी पुत्र श्री किशोरी लाल जाति ब्राहम्ण उम्र 25 साल नि0 हाउसिंग बोर्ड टोंक (तामिल हालात का गवाह)
3— श्री वीरेन्द्र सिंह है0कानि0 36 पुलिस थाना सदर जिला टोंक । (रोजनामचा नवीस एच0एम0)
4— श्री नन्द सिंह राजावत स0उ0नि0, अनुसंधान अधिकारी मु0नं0 245/17।
5— श्री नरेन्द्र कुमार जैन पु0नि0, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक।

सूची दस्तावेज

1— इस्तगासा मय गोस्वारा गवाहान ।

2— नकल रपट रोजनामचाआम दिनांक 16.08.17 (रवानगी, वापसी तामिल कुनिन्दा)
3— असल सफीना 160 सीआरपीसी मय कानि0 रिपोर्ट।
4— एफआईआर नं0 245 / 17 की प्रमाणित प्रति।

हस्ता0
थानाधिकारी,
पुलिस थाना सदर,जिला टोंक

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक

क्रमांक — दिनांक —

श्रीमन् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
टोंक।
मार्फत — एपीसी साहब — प्रथम, न्यायालय टोंक।

सरकार जरिये थानाधिकारी सदर जिला टोंक	बनाम	सदाकत अली पुत्र श्री लियाकत अली जाति मुसलमान उम्र 47 साल निवासी चिडीयों की बाडी पुलिस थाना सदर जिला टोंक
इस्तगासा अन्तर्गत धारा 176 आई0पी0सी0 **{211 BNS}**थाना सदर जिला टोंक।		

महोदय ,

वाक्यात इस्तगासा इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.17 को स0उ0नि0 नन्द सिंह राजावत को मय जाब्ता जीप सरकारी के सांयकालिन गश्त, चैकिंग बदमाशान, तलाश वारन्टियान में ईलाका थाना रवाना किया गया था। वापसी पर स0उ0नि0 ने हालात दर्ज कराये कि दौराने गश्त चिडियों की बाडी पहुंच कर गश्त कर रहा था जहां पर मुखबिर खास से सूचना मिली की फरार उद्घोषित अपराधी निजाम मद्रासी पुत्र गफूर खां निवासी देशवाली मोहल्ला पुरानी टोंक वार्ड मेम्मर सदाकत अली के घर पर परसो रात्री (दिनांक 16.08.17) आया था सूचना की तस्दीक की गई आस पास के अन्य दो—तीन व्यक्तियों ने भी परसों रात्री में फरार उद्घोषित अपराधी निजाम मद्रासी के वार्ड मेम्मर सदाकत अली के घर पर आने व रात रूकने की बात को ताईद किया। निजाम मद्रासी मुकदमा संख्या 215 / 17 धारा 302, 34 भा0द0सं0 थाना सदर जिला टोंक में वांछित उद्घोषित अपराधी है जो प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ है जिसे न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है। वार्ड मैम्बर सदाकत अली पुत्र श्री लियाकत अली जाति मुसलमान उम्र 47 साल निवासी चिडीयों की बाडी पुलिस थाना सदर जिला टोंक ने विधि से आबद्ध होते हुए भी जानबुझ कर फरार उद्घोषित अपराधी निजाम मद्रासी को अपने घर में शरण दी व कानूनन सूचना देने के लिए बाध्य होते हुए भी उद्घोषित अपराधी के अपने यहां आने व ठहरने के बारे में किसी थाना पुलिस न्यायालय में सूचना नहीं दी व बदनियती पूर्वक सूचना देने का लोप किया है जो जुर्म धारा 176 आई0पी0सी0 के तहत दण्डनीय है।

अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 176 आई0पी0सी0 में बरखिलाफ श्री सदाकत अली पुत्र श्री लियाकत अली जाति मुसलमान उम्र 47 साल निवासी चिडीयों की बाडी पुलिस थाना सदर जिला टोंक पेश कर निवेदन है कि बाद समायत सलूक कानूनी फरमावें।

भवदीय,
हस्ता0

PTS JODHPUR

थानाधिकारी,पुलिस थाना सदर,
जिला टोंक

सूची गवाहान

1– श्री आनन्दी लाल निवासी चिडीयो की बाडी (गवाह)
2– श्री महमूल खां पुत्र सलीम मो0 निवासी चिडीयों की बाडी (गवाह)
3– श्री भरत लाल कानि0 321 पुलिस थाना सदर जिला टोंक।
4– श्री निर्मल कुमार कानि0 850 पुलिस थाना सदर जिला टोंक।
5– श्री नन्द सिंह राजावत स0उ0नि0, पुलिस थाना सदर जिला टोंक।
6– श्री नरेन्द्र कुमार जैन पु0नि0, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक।

सूची दस्तावेज

1– इस्तगासा मय गोस्वारा गवाहान ।
2– नकल रपट रोजनामचाआम दिनांक 18.08.17 (रवानगी, वापसी स0उ0नि0 मय जाब्ता)
3– बयानात गवाहान –2
4– एफआईआर नं0 215/17 की प्रमाणित प्रति।
5– न्यायालय उद्घोषणा की प्रमाणित प्रति।
6– स्थायी वारन्ट की प्रति।

हस्ता0
थानाधिकारी,
पुलिस थाना सदर,जिला टोंक

PTS JODHPUR